पंचम माला, खंड 60, अंक 28, बुधवार, 28 अप्रैल, 1976/8 वैशाख, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LX, No. 28, Wednesday, April 28, 1976/Vaisakha 8, 1898(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र / Sixteenth Session]

[खंड 60 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. LX contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

7 LSS/76—1.

विषय सूची/CONTENTS

अंक 28, बुधवार, 28 अप्रैल, 1976/8 बैशाख/1898 (शक)

No 28, Wednesday April 28, 1976/Vaisakha 8, (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 568, 570, 572, 576, 578, 582 और 583	Starred Questions Nos. 568, 570, 572, 576, 578, 582 and 583 . . .	1—11
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 566, 567, 569 573 से 575, 577, 579, 580, 584 और 585	Starred Questions Nos. 566, 567, 569, 573 to 575, 577, 579, 580, 584 and 585	14—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 2727 से 2743, 2745 से 2753, 2755 से 2770, 2772 से 2815 और 2817 से 2851	Unstarred Questions Nos. 2727 to 2743, 2745 to 2753, 2755 to 2770, 2772 to 2815 and 2817 to 2851 . . .	23—84
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	84—86
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	86
63वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	63rd Report presented . . .	86
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee . .	86
216वां और 220वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	216th and 220th Report presented	
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee . . .	86
99वां, 101वां और 90वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	99th, 101st and 90th Report presented.	86
याचिका समिति—	Committee on Petitions .	87
29वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	29th Report presented. . . .	87

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
अनुदानों की मांगें, 1976-77--	Demands for Grants, 1976-77 .	87—113
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	Ministry of Health and Family Planning	87
डा० कैलास	Dr. Kailas	87
डा० सरदीश राय	Dr. Sardish Roy	91
श्री पी० वेंकटासुबैय्या	Shri P. Venkatasubbaiah . .	93
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	94
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन	Shrimati Bhargavi Thankappan .	95
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerji	96
कुमारी मणिबेन पटेल	Kumari Maniben Patel .	97
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul	97
श्री जी० विश्वनाथ्न	Shri G. Vishwanathan	98
श्री ए० के० किस्कु	Shri A. K. Kisku	99
श्रीमती टी० लक्ष्मीकानतम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	99
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra .	100
श्रीमती एम० गोडफ्रे	Shrimati M. Godfrey.	101
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque	101
श्री जगन्नाथ मिश्र . . .	Shri Jagannath Mishra	102
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	102
श्री पी० गंगा रेड्डी	Shri P. Ganga Reddy	103
श्री अरविन्द बाला पाजानौर	Shri Arvind Bala Pajanor .	104
श्री एस० एम० सिद्य्या	Shri S. M. Siddayya .	105
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R. N. Barman . .	106
श्री डी० बासुमतारी	Shri D. Basumatari	107
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	107
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi . .	108
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga .	109
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	109
श्री रण बहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh . .	109
श्री राम सेवक	Shri Ram Sewak . . .	110

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	111
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi . .	111
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . . .	111
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar . . .	111
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	112
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan . . .	112
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh . . .	112
श्री भगतराम मनहर	Shri Bhagatram Manhar . .	113
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . . .	113
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . . .	113
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion . . .	113—116
विभिन्न संगठनों के साथ सी० आई० ए० के सम्बन्ध तथा एक धर्मार्थ सोसायटी द्वारा विदेशों से धनराशि प्राप्त करना	CIA Links of various organizations and Funds received by a Charitable Society from Abroad	113
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	113
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	115

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 28 अप्रैल, 1976/8 वैशाख 1898 (शक)
*Wednesday, April 28, 1976/*Vaisakha 8, *1898* (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वनों पर आधारित उद्योग

*568. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई परियोजनायें हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र में वनों पर आधारित उद्योगों के हितों की विशेष रूप से देखभाल करने के लिए कोई निगम है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह कार्य हिन्दुस्तान कागज निगम को दिये जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) देश में सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में वन पर आधारित उद्योग स्थापित करने की अनेक योजनायें हैं ।

(ख) कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में वनों पर आधारित कच्चे माल के विकास और उपयोग के लिए अनेक राज्य सरकारों ने वन विकास निगम स्थापित किए हैं ।

(ग) कागज और अखबारी कागज की स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विशिष्ट कार्य का दायित्व हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० को सौंपा गया है ।

श्री बी० बी० नायक : किन राज्यों ने वन विकास निगम स्थापित किए हैं तथा उनका कुल पूंजी परिव्यय कितना है ?

श्री बी० पी० मौर्य : आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय तथा महाराष्ट्र ने वन विकास निगम स्थापित किए हैं । जहां तक राशि का सम्बन्ध है, इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री बी० वी० नायक : वन क्षेत्रों वाले सभी मुख्य राज्य वन विकास निगम के अन्तर्गत हैं । लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण ये निगम 10 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का वित्त पोषण नहीं कर पाता, क्या सरकार ने वन-आधारित उद्योगों के संवर्द्धन तथा वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय निगम की स्थापना की आवश्यकता महसूस की है ? प्रायः देखने में आया है कि हम वनों में पूंजी लगाने की बजाय उनसे कुछ लेते ही हैं ।

श्री बी० पी० मौर्य : ये निगम राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव पर स्थापित किए गए हैं । इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि ये वित्तीय निगमों से सहायता, ऋण तथा अग्रिम ले सकेंगे । इसलिए राज्यों ने यह सिफारिश की है कि उनके राज्य में अपने निगम होने चाहिए ताकि कच्चे माल एवं वनों से लाभ उठाया जा सके । जहां तक केन्द्रीय निगम का सम्बन्ध है, कागज अत्यावश्यक वस्तुओं में से एक है तथा सरकार ने हिन्दुस्तान कागज निगम की स्थापना की है और यह निगम अपना कार्य कर रहा है । जहां तक माननीय सदस्य के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि वन संसाधनों से लाभ उठाने के लिए अन्य केन्द्रीय निगम बनाया जाए, मेरे विचार से इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : विभिन्न उद्योगों का विकास करते समय देखने में आता है कि आधारभूत ढांचा सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं । चूंकि ये उद्योग वनों के सहवर्ती क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन निगमों को आधारभूत ढांचे की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी ताकि स्थानीय लोग वनों पर आधारित उद्योगों से लाभ उठा सकें ?

श्री बी० पी० मौर्य : यह स्वाभाविक ही है कि वन संसाधनों का उपयोग आधारभूत ढांचे के बिना नहीं हो सकता ताकि सभी उपलब्ध संसाधनों को प्राप्त किया जा सके । सड़कें आधारभूत ढांचे का एक मुख्य अंग हैं । यह कार्य राज्य सरकारों के पास है और वे यह कार्य कर रही हैं।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : वन प्रान्त उत्पादन के बारे में दिए गए प्रतिवेदन में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यह सुझाव दिया है कि निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य वन निगम की स्थापना की जाए:—

(क) दुर्गम वनों में सड़कें तथा मशीनों आदि पर पैसा खर्च करके उत्पादन शुरू करना;

(ख) राज्य और देश की आवश्यकता के लिए लुगदी लकड़ी, औद्योगिक लकड़ी तथा निर्माण कार्य में काम आने वाली लकड़ी पैदा करने के लिए विशेष प्रकार के पौधों को उगाना, खेती करना, उपजाना और सिंचाई करना;

(ग) बड़े पैमाने पर जंगल काटने तथा उगाई गई वन सामग्री से लाभ उठाने के लिए वन उद्योग का संवर्द्धन;

(घ) वन उत्पाद पर आधारित उद्योग के विकास के लिए तथा किसी व्यक्ति विशेष या कम्पनी को पूंजी तथा ऋण आदि देकर सहायता करने के लिए कम्पनियों, फर्मों, संस्थापनों, संस्थाओं या उपक्रमों का संवर्द्धन ।

Shri K.M. Madhukar: A grass known as 'Sabai' is found in Bihar and particularly in the jungles of North Bihar, which is helpful in producing paper; may I know from the hon. Minister whether the Government of India has made any assessment regarding the prospects of making paper with the 'Sabai' grass. If there are prospects of it, what steps have been taken in this direction.

Shri B.P. Maurya : I do not have any knowledge about Sabai grass to which the hon. Member is referring but the 'bagasse' which remains after extracting juice from the sugar-cane helps in producing a better paper. It has been experimented in Mandya. So for as Sabai grass is concerned we will do experiment on it but a good pulp is not prepared from grass, therefore a good quality paper will not be available from the grass. However, we will look into the suggestion given by the hon. Member.

श्री धामनकर : वन सहकारी समितियों का कार्य राज्य निगमों को सौंपा जा रहा है, क्या यह सरकार की नीति के अनुकूल है ?

श्री टी० ए० पाई : सरकार की नीति ऐसी नहीं है कि सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले लकड़ी के काम को राज्य निगमों को सौंपा जाए, बल्कि राज्य निगम राज्यों में वनों के उपयोग के मामले में वन सहकारी समितियों का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे ।

आकाशवाणी के और अधिक केन्द्रों के लिए हरियाणा का अनुरोध

*570. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में आकाशवाणी के और अधिक केन्द्रों की स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, रोहतक में एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है और यह शीघ्र ही चालू किया जायेगा ।

Ch. Ram Prakash : The hon. Minister have just stated that a radio station at Rohtak will be commissioned shortly. I want to know how long it will take ?

Shri Vidya Charan Shukla : It will be duly inangurated on 8th of the next month.

Ch. Ram Prakash: May I know whether Government are considering to increase the time of 'Dehati' programme and to open a Television Centre for Haryana. You know that our Prime Minister's 20-point programme is being implemented there progressively. Besides, our youth leader Shri Sanjay Gandhi has proved himself to be very effective in implementing socialism. Therefore, if the Government could increase the time of 'Dehati' programme and could make arrangement to open a Television Centre immediately, it will benefit our Village-brothers. May I know whether Government are considering over it ?

Shri Vidya Charan Shukla: It is being considered that a relay station of Delhi Television Centre should be set up there so that a large part of Haryana may be covered under it. This question is still under consideration. We will take up this task only when we will be having means to achieve it.

Supplementary plan submitted by Bihar for 1976-77

*572 **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Bihar Government has submitted for Centre's approval a Rs. 37 crore supplementary plan for financial year 1976-77; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) जी, हां । बिहार सरकार के 37 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के प्रस्तावों पर इस समय योजना आयोग में विचार हो रहा है ।

Shri Chiranjib Jha: May I know from the hon. Minister whether this point will also be taken into consideration that during the last few years some irresponsible elements had been creating an atmosphere of anarchy and giving rise to Gherao, strikes, lock-outs etc. and causing loss of production as a result of which states failed to mobilise adequate resources from their sides and about more than 74% of the people of Bihar are living below poverty line?

My second question is that whether the Planning Commission is aware that the main part of this supplementary plan of Rs. 37 crores is concerned with the 20-point economic programme in which along with providing the resources for small construction in Panchayats, basic necessities are power, irrigation, small scale industry, village drinking water supply.

अध्यक्ष महोदय : श्री घोष जी, क्या आप प्रश्न को समझ सके हैं ?

श्री शंकर घोष : मैं प्रश्न को समझ गया हूं । हम बिहार की समस्याओं को अच्छी प्रकार से जानते हैं । जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, वर्ष 1975-76 में योजना का आकार 205 करोड़ रुपये का था और चालू वर्ष, 1975-76 में इसे बढ़ाकर 242 करोड़ कर दिया जाएगा और केन्द्रीय योजना सहायता भी 6.87 करोड़ रुपये अधिक की दी जाएगी और बाजार ऋणों में भी 2.46 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाएगी ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, the hon. Prime Minister is also present here. Shri Chiranjib Jha has stated that Bihar Government had to spent a huge amount to face the difficulties created by the last untoward incidents. Besides, the credit goes to the Prime Minister that she herself visited Patna and Bihar during the last year's floods and got the work started. Bihar Government had demanded Rs. 37 crores for meeting this loss. The reply given by the Minister, keeping in view the loss to Bihar and its backwardness is not satisfactory. Keeping in view the condition of Bihar does he think that the allocation to Bihar should be increased? If so, to what extent ?

श्री शंकर घोष : मैं पहले ही कह चुका हूं कि बिहार की समस्याओं के प्रति हमारी सहानुभूति है और उसका नियतन बढ़ा रहे हैं जो बढ़ाकर 242 करोड़ कर दिया जाएगा । हम स्थिति का अध्ययन करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

Shri Ramavtar Shastri: I want to know the item for which Bihar Government have demanded an extra amount of Rs. 37 crores. Whether it is a genuine demand and if so, the action being taken by the Government.

श्री शंकर घोष : मांग का ब्यौरा इस प्रकार है : पंचायतों के स्थानीय विकास कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपये, बिजली के लिए 10 करोड़ रुपये, सड़कों के लिए 4 करोड़ रुपये आदि । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विभिन्न मदें हैं ।

Police set-up in Tamil Nadu

*576. **Shri K.M. Madhukar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether drastic changes have been made in police organisation in **Tamil Nadu** by which many higher police officers have also been affected; and

(b) if so, the charges against these officers and the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) Subsequent to the imposition of President's Rule in the State of Tamil Nadu, several changes have been made in police organisation in order to tone up the working of the Department.

(b) The changes have not been made on the basis of any specific charges against the officers concerned.

Shri K.M. Madhukar: We have been informed that in the states where great aliance parties were in power, they tried to influence the police officials. And as such whether this act is in your knowledge that there have been such officers in the Tamil Nadu Police who have been supporting the secessionist policy of the D.M.K. Government, on account of which these changes had to be made ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : अधिकतर स्थानान्तरण इस कारण किये गए कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों के कुछ निजी स्वार्थ वहां हो गये थे तथा स्थानीय राजनीतिज्ञों से भी उनकी सांठ-गांठ थी । इसके अतिरिक्त उनमें से कई बड़े लम्बे समय से एक ही स्थान पर थे । कुछ स्थानान्तरण पूर्वोपाय के रूप में किए गये ।

Shri K.M. Madhukar: I want the basis on account which this conclusion was derived that these officials created vested interest and they had links with politicians ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : सरकार के पास इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी थी कि किस अधिकारी की स्थानीय राजनीतिज्ञों से सांठ-गांठ थी तथा कौन लम्बे समय से एक ही स्थान पर था । इसी आधार पर ये स्थानान्तरण किए गये ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : इस बात की क्या गारन्टी है कि यह गठजोड़ उनमें अन्य स्थानों पर नहीं रहेगा ? क्या यह सत्य नहीं है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनेकों शिकायतें की गई थीं, परन्तु स्थानान्तरण करने के अलावा और कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं की गई और न ही कोई जांच की गई है ? जब तक वे बने रहेंगे क्या तब तक वे अपने पुराने ढर्रे पर ही नहीं चलते रहेंगे ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : : कुछ आरोप प्राप्त हुए थे और उनकी जांच की जा रही है ।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या पुलिस के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध विभाग ने एक अधिकारी के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था और उसी अधिकारी की पदोन्नति की गई है अथवा सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधी निदेशक नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है ? तमिलनाडु पुलिस में भ्रष्टाचार समाप्त करने या कम करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : प्रशासन के सुधार के लिए ही ये स्थानान्तरण किए गये हैं । दो डी०आई०जी० के अतिरिक्त सभी का स्थानान्तरण किया गया है । मद्रास का पुलिस आयुक्त, रेलवे सशस्त्र पुलिस का डी०आई०जी० और खाद्य विभाग का डी०आई०जी० भी बदल दिया गया है । यह परिवर्तन कदाचार को समाप्त करने के लिये किया गया है तथा और भी परिवर्तन किए जाएंगे । इससे यह कदाचार और भ्रष्टाचार बड़ी सीमा तक रुकेगा । हम इस बात की सतर्कता बरत रहे हैं कि पुलिस अधिकारी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न करें जहां तक किसी एक विशेष अधिकारी का सम्बन्ध है उसके लिए मुझे समय चाहिए ।

श्री जी० विश्वनाथन : उसका मामला गृह मंत्रालय में विचाराधीन है वे अपनी अनभिज्ञता प्रकट नहीं कर सकते ।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि द्रमुक सरकार के सत्ता में आने के समय से पुलिस विभाग में उनकी विचारधारा का समर्थन करने वाले तत्वों को भरा गया और इस समय तमिलनाडु में असुरक्षा की भावना व्याप्त है ? इस दृष्टि से क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण पुलिस विभाग की जांच करने का है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह एक अच्छा सुझाव है ।

पांचवीं योजना में आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए मंत्रालयों को नियतन

*578. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना में आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों, शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए कोई नई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में और वर्ष 1976-77 में इस कार्य के लिए मंत्रालयों को कितनी राशि नियत की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वर्तमान नीति पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (भाग 2) के अध्याय 14 में दी गई है ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और इसलिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए मंत्रालयों के आवंटनों के सम्बन्ध में बताना इस समय सम्भव नहीं है । पिछड़े क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए मंत्रालयों के विशेष कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए 1976-77 के लिए किए गए आबंटनों का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

1976-77 में जन जातीय क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए मंत्रालयों का आबंटन इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपये)

मंत्रालय/कार्यक्रम/स्कीम	1976-77 के लिए आबंटन
1	2
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	
1. आदिवासी विकास अभिकरण परियोजनाएं	2.40
2. पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजनाएं	0.50
3. समेकित सूखी भूमि कृषि विकास स्कीम	1.70
4. सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	34.00

1	2
5. लाख का विकास (जनजातीय क्षेत्रों में) . .	0.02
6. नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत अपवाह क्षेत्र में भूमि संरक्षण (जनजातीय क्षेत्रों में)	1.28
7. स्थान-परिवर्तनीय कृषि पर नियंत्रण (जनजातीय क्षेत्रों में)	0.15
8. बस्तियां बनाकर उपयोगी रोज़गार (जनजातीय क्षेत्रों में)	0.0025
उद्योग व पूर्ति मंत्रालय	
1. निवेश सहायता और परिवहन सहायता की केन्द्रीय स्कीमें	10.00
2. ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं @	4.00
परिवहन और नौवहन मंत्रालय	
1. महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्रों में सड़क संचार से सम्बन्धित स्कीमें	1.00
2. सामरिक महत्व की सड़कें (सीमावर्ती क्षेत्रों में)	7.00
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय	
1. 5 समेकित जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम के लिए अनुदान	0.04
विशेष कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता	
1. उत्तर-पूर्वी परिषद् योजना	16.50
2. जनजातीय क्षेत्रों की उप-योजनाएं .	40.00*
3. पहाड़ी क्षेत्रों की उप-योजनाए ** .	36.00
4. छः सूत्री फार्मूला	18.00

@111 परियोजनाओं में से 92 परियोजनाएं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में [illegible] हैं।

*आदिम जातियों और असम्भावित आकस्मिक व्ययों के लिए 4 करोड़ रुपये का [illegible] शामिल है।

**पश्चिमी घाट सहित ।

श्री गिरिधर गोमांगो : विवरण से पता चलता है कि पिछड़े क्षेत्रों को मांग से अधिक रुपया दिया गया है, परन्तु मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या यह धन प्रारूप योजना को देखकर दिया गया है

या मात्र राज्यों द्वारा की गई मांग के अनुसार और क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना का नियतन करने से पहले सभी मंत्रालयों से इस पर चर्चा की थी ?

श्री शंकर घोष : यह कुल नियतन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया गया है । परन्तु इस सम्बन्ध में राज्यों से चर्चा समाप्त होने पर नियतन किया गया है । यही प्रक्रिया गत वर्ष और इस वर्ष भी काम में लाई गई है ।

श्री गिरिधर गोमांगो : परियोजना प्रतिवेदन के तैयार किए जाने में विलम्ब होने के कारण इन राज्यों के लिए रखा गया रुपया पूरी तरह खर्च नहीं हुआ । अब इस रुपये को किसी दूसरे काम में लगाने का प्रश्न है । अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय पर चर्चा हुई अथवा उन्होंने राज्य सरकारों को उप-योजनाएं बनाने के लिए कोई पत्र लिखा है जिससे कि केन्द्र द्वारा दिए गए धन को उसी मद पर खर्च किया जा सके जिसके लिए उसे वह रखा गया है ?

श्री शंकर घोष : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के योजना विभाग को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए योजना आयोग ने विशेष धन और कर्मचारी उन्हें दिए हैं । गत वर्ष भी राज्यों को योजना तैयार करने सम्बन्धी पत्र लिखे गये थे तथा योजना आयोग के सदस्यों ने भी राज्यों का दौरा किया था ।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : विभिन्न मंत्रालयों के अनेकों कार्यक्रम होने के बावजूद देश के विभिन्न क्षेत्रों का विकास असमान रूप से हुआ है । पिछड़े क्षेत्र शेष भागों से अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं । क्या कोई ऐसा माध्यम है जो विभिन्न मंत्रालयों के कार्य के प्रभाव का अनुमान लगाता है क्योंकि कभी-कभी मंत्रालय भिन्न-भिन्न दिशा में कार्य करते हैं ? इस सम्बन्ध में मैं राजस्थान का उदाहरण दे सकता हूं -- राजस्थान के लिए 1978-79 के कार्यक्रम में केवल 13,800 लाख यूनिट बिजली रखी गई है जबकि हरियाणा के लिए 22,000 लाख और पंजाब के लिए 36,000 लाख ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है । आपका प्रश्न यों रखा जाए कि क्या विभिन्न राज्यों में इन कार्यक्रमों को लागू करने के सम्बन्ध में कोई समन्वय है या नहीं ?

श्री शंकर घोष : अनेकों अलग-अलग योजनाएं हैं और प्रत्येक में समन्वय है । उदाहरणतः एक आदिवासी कल्याण योजना है । फिर एक उप-योजना है । इस आशय के पत्र लिखे गये हैं कि उप-योजनाओं को अन्तिम रूप देकर लागू किया जाए । इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी किया जा रहा है ।

श्री बसन्त साठे : चार वर्ष पूर्व पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी नीति के निर्धारण के लिए नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ ? हमें बताया गया है कि वह प्रतिवेदन अभी तैयार हो रहा है । यह कब तक पेश किया जाएगा ?

श्री शंकर घोष : हम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में हैं और आशा है कि वह शीघ्र ही पेश किया जाएगा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या वित्तीय आबंटन राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को गुणा करके अथवा घटाकर किए जाते हैं अथवा पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में कोई विचार है, क्या उनका मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि लक्ष्य प्राप्त तो किए जा चुके हैं लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में हुई प्रगति वहां

पर खर्च की गयी धनराशियों के अनुरूप नहीं हैं और यदि हां, तो लक्ष्यों को गुणा करके सरकार किस तरह पहाड़ी क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति करना चाहती है ?

श्री शंकर घोष : हमने वित्तीय आबंटन पर ही नहीं बल्कि वास्तविक कार्यक्रम पर भी बल देने का प्रयास किया है । इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय आबंटन ही नहीं किए गए हैं बल्कि हम चाहते थे कि केन्द्रीय सहायता राज्यों के कार्यक्रमों के अनुरूप हो ताकि एक समेकित कार्यक्रम चलाया जा सके । राज्यों द्वारा किए गए आबंटनों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी अतिरिक्त सहायता के आधार पर एक समेकित वास्तविक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । वित्तीय परिव्यय वास्तविक कार्यक्रम के अनुरूप होता है ।

कोयले की मांग और पूर्ति

*582. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की मांग और उसकी पूर्ति में समय-समय पर असन्तुलन रहा है, जिसके कारण राजकोष को हानि होती रही है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की मांग का वैज्ञानिक ढंग से निर्धारण करने और मांग को पूरा करने के लिए कोयला खानों के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोयले का उत्पादन और उठान उपभोक्ताओं द्वारा हमेशा प्रायोजित मांग के अनुरूप नहीं रहा है । मांग और पूर्ति के बीच मामूली से असन्तुलन से राजस्व में कोई घाटा नहीं हुआ है ।

(ख) कोयले की मांग एक प्रकार से आकलित मांग होती है जिसका निर्धारण खनन सेक्टर के विकास के लिए जिम्मेदार विभिन्न सम्बद्ध प्राधिकारियों के निकट सहयोग से किया जाता है । मांग अनुमानों तथा खान विकास योजनाओं, दोनों में प्रभावी तालमेल रखने की दृष्टि से, निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्री ने कहा है कि कोयले का उठान उपभोक्ताओं द्वारा प्रायोजित मांग के अनुरूप नहीं रहा है । वास्तव में प्राक्कलन समिति ने अपने 68वें प्रतिवेदन में कहा है कि तीसरी और चौथी योजनाओं के दौरान निर्धारित मांग की तुलना में उपभोग में कमी क्रमशः 33 प्रतिशत और 21 प्रतिशत थी । इस सन्दर्भ में, प्राक्कलन समिति ने यह भी सिफारिश की है कि पांचवीं योजना के दौरान कोयला उत्पादन के वर्षवार लक्ष्य निश्चित किए जाने चाहिएं ताकि देश में वास्तविक मांग और आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । क्या ये सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : वास्तव में मांग और उपलब्धता में वृद्धि को ध्यान में रखकर वर्ष के लक्ष्यों को विनियमित और संशोधित किया जाता है । परन्तु मैं इस बात को मानता हूं कि उत्पादन की स्थिति में आने में अधिक समय लेने वाली परियोजनाओं के लिए उत्पादन प्रतिवर्ष विनियमित नहीं किया जा सकता । अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक निश्चित दर पर धन लगाना होता है और एक वर्ष के लिए ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक लम्बी अवधि के लिए भी मांग में हुई वृद्धि को ध्यान में रखना पड़ता है । इसके अनुरूप हम यह देखने की कोशिश करते

हैं कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई परियोजनाएं आरम्भ करते समय मांग को ध्यान में रखा जाये ।

श्री अर्जुन सेठी : प्राक्कलन समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार को प्रत्येक कोयला खान और प्रत्येक कोयला क्षेत्र के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिएं ताकि कोयला क्षेत्र अपना लक्ष्य पूरा कर सके । सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लक्ष्य प्रत्येक कोयला क्षेत्र और प्रत्येक कोयला खान के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और इन लक्ष्मों को ध्यान में रखकर कोयला खानों में धन लगाया जाता है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : कोयले के उत्पादन को आठ करोड़ अस्सी लाख टन से बढ़ाकर नौ करोड़ अस्सी लाख टन करके सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है इसके लिए ऊर्जा मंत्री बधाई के पात्र हैं । लेकिन यह सुनने में आया है कि मुहानों पर बहुत सा कोयला पड़ा हुआ है । यह भी खबर है कि हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों और ब्रिटेन को भी कोयले का निर्यात करने के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं । कोयले के निर्यात के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुहानों पर कुछ कोयला खास तौर पर घटिया किस्म का कोयला जमा हो गया है ।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, हमारी वास्तविक कठिनाई बन्दरगाहों पर है जहां कोयले के लादने और उतारने की व्यवस्था नहीं है । हम नौवहन मंत्रालय से सम्पर्क कर रहे हैं ताकि हल्दिया बन्दरगाह शीघ्र ही बन जाये क्योंकि हल्दिया बन्दरगाह पर चार करोड़ तीस लाख टन कोयला प्रतिवर्ष लादने की व्यवस्था है ।

श्री दामोदर पाण्डे : क्या बढ़िया किस्म का कोयला भी वहां पर जमा हो गया है और क्या यह सच है कि वहां से कोयला उठाया नहीं जा रहा है और खानों में आग लगने का खतरा है । सरकार उन इस्पात सयंत्रों को कोयले का अपना-अपना कोटा वहां से उठाने के लिए मजबूर करने के सम्बन्ध में क्या पग उठा रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम उनसे इस सम्बन्ध में बाचतीत कर रहे हैं और उन्हें मनाने को कोशिश कर रहे हैं ।

Shri Ramavatar Shastri: Is it a fact that though the production of coal has gone up, the prices of soft coke has not come down, and if so, what steps are proposed to be taken to bring down the prices of soft coke keeping in view the increased production of coal ?

Shri K.C. Pant: The prices of coal fixed by the Chakravarti Committee did not include depreciation and return on capital. The prices as they are at present will also result in some loss this year as well. The prices of soft coke have not been increased.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि कोयला उत्पादन के बारे में और कोयले को घरेलू प्रयोग के लिए गांवों में सप्लाई करने सम्बन्धी मंत्रालय की नीति किस सीमा तक चक्रवर्ती समिति अथवा ईंधन मूल्य नीति समिति द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों से भिन्न हो गई है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं लेकिन जहां तक विभिन्न क्षेत्रों की मांग का सम्बन्ध है, अब यह पूरी की जाती है। सभी उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कोयला मिल रहा है।

श्री रण बहादुर सिंह : मुहानों पर कोयले के जमाव और कोयले की मांग और पूर्ति की सन्तोष-जनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार कोयले को देश के उन पिछड़े क्षेत्रों में भेजने के सम्बन्ध में विचार करेगी जहां आदिवासी लोग जलावन की लकड़ी के लिए वनों को काट रहे हैं? मेरे विचार में पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कोयला क्षेत्र उन पिछड़े क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कोयला नहीं देते।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह बहुत अच्छा विचार है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। किन्तु वास्तविक समस्या यह है कि वनों से मिलने वाली लकड़ी आदिवासियों को अथवा उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त मिलती है जबकि यदि आप उन्हें कोयला सप्लाई करेंगे तो यह कितना भी सस्ता क्यों न हो आपको इसका कोई मूल्य निश्चित करना होगा। यह एक बड़ी समस्या है। लेकिन यह विचार अच्छा है और हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या हम आम आदमी के लिए कोयले पर आधारित ईंधन को उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस बात के बावजूद कि मुहानों पर कोयला भारी मात्रा में जमा हो रहा है, तापीय संयंत्र जिन्हें बढ़िया किस्म के कोयले की जरूरत होती है यह शिकायत क्यों कर रहे हैं कि उन्हें कोयला समय पर नहीं मिल रहा है जिससे बिजली के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बहुत से विद्युत् संयंत्र और अधिक मात्रा में कोयला उठाने से इन्कार कर रहे हैं। उन्होंने अपने भारी स्टाक बना लिए हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि वे कुछ और कोयला लें।

विकास केन्द्र

*583. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्रों के बारे में 5 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न सं० 2232 के उत्तर के सम्बन्ध में संक्षेप में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विकास केन्द्रों की स्थापना की दशा में कितनी प्रगति हुई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जॉर्ज) : पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्रों के चयन कार्यक्रम की समीक्षा 1975 में की गई थी। इस समीक्षा से यह पता चला था कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विकास केन्द्रों के बारे में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है उसमें काफी भिन्नता है। योजना आयोग और लघु उद्योग बोर्ड की बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई थी। चूंकि विकास केन्द्रों की संकल्पना की अभी तक स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है, इसलिए योजना आयोग इस पहलू पर सभी संबंधितों के परामर्श से विचार कर रहा है।

श्री नवल किशोर सिंह : देश में उन विकास केन्द्रों की संख्या क्या है जिन्हें मान्यता दी जा चुकी है?

श्री ए० सी० जॉर्ज : देश भर में 18 विकास केन्द्रों को मान्यता दी जा चुकी है और इस सम्बन्ध में कुछ कार्य किया गया है।

श्री नवल किशोर सिंह : इन क्षेत्रों में क्या विकास कार्य किया गया है और क्या ये विकास केन्द्रों का कृषि विपणन समितियों के साथ विस्तार किया जाएगा?

श्री ए० सी० जार्ज : इन विकास केन्द्रों के प्रति हमारा मूल दृष्टिकोण यह है कि : इन्हें ऐसे जिले में स्थापित किया जाए जहां क्षेत्र सर्वेक्षण किए जा चुके हैं; ऐसी कम से कम दस परियोजनाओं को चुना जाए, जिनमें औद्योगिक कारखानों की स्थापना के लिए सबसे अधिक क्षमता हों; इन दस औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किए जाएं और इन कारखानों का संवर्धन करने हेतु उपयुक्त उद्यमियों का चयन किया जाए तथा सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त कराने तथा इन औद्योगिक कारखानों को स्थापित करने में उनकी सहायता की जाए। इस समस्या के प्रति कुछ राज्यों का दृष्टिकोण भिन्न है। कुछ राज्यों का विचार है कि इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई जाए। इसलिए योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों को लिखा है कि इस सम्बन्ध में अनके विचार जानने के लिए चर्चा की जाए।

श्री रणबहादुर सिंह : गत पांच वर्षों में मंत्रालय ने जो यह अनुभव प्राप्त किया है कि वित्तीय प्रोत्साहन के कारण ही उद्योग पिछड़े क्षेत्र में नहीं जाते, इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वित्तीय सहायता देने की बजाय जो केवल धनी लोगों को ही मिल पाती है, आधारभूत ढांचे में सुधार करने की व्यवस्था करने पर बल देगी जिससे उद्योग इन क्षेत्रों के प्रति आकर्षित हों? केवल वित्तीय प्रोत्साहन के कारण सामान्य उद्यमी इन पिछड़े क्षेत्रों में नहीं आ पाते।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। इस सम्बन्ध में हमने कई बार चर्चा की है और इसका निष्कर्ष यही रहा है कि इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के एक निर्णय के अनुसार, उन उद्यमियों को जो अपने उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगाएंगे, वित्तीय सहायता दी जाएगी।

Shri Rajendra Prasad Yadav : The Hon'ble Minister has just now stated that 18 growth centres have been set up in the country but there are about 300 backward districts in the Country. Will the Hon'ble Minister consider setting up at least one growth centre in each backward district?

श्री ए० सी० जार्ज : आरम्भ में तो हम एक राज्य में केवल एक ही विकास केन्द्र खोलने का विचार रखते हैं। हमारा निर्णय यह है कि प्रत्येक राज्य में एक विकास केन्द्र को मान्यता दी जाए और आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं और औद्योगिकीकरण और कृषि उत्पादन को बढ़ाने सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। आरम्भ, में तो हम प्रत्येक राज्य में एक ही विकास केन्द्र स्थापित करेंगे और उसके बाद आगे सोचेंगे?

Shri Nathuram Ahirwar : May I know where these 18 growth centres have beed located.

श्री ए० सी० जार्ज : विभिन्न राज्यों में विकास केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर खोले गए हैं:—

आन्ध्र प्रदेश . .	चितौढ़ जिले में तिरुपति
बिहार	भागलपुर जिले में कलगांग, चम्पारन जिले में रक्सौल, और दरभंगा जिले में जयानगर
गुजरात	जूनागढ़ जिले और सुरेन्द्रनगर में तलाला ब्लाक
गोआ	मापुसा नगर

हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा जिले में दमतल
केरल	अल्लेपी जिले में शेरतलायी
मैसूर	नंजागुडा
महाराष्ट्र	रत्नागिरि जिले में कुदाल
उड़ीसा	कोरापुट, केवझर और मयूरगंज जिलों में जैपुर, बरबिल, वेंरगपुर
पंजाब	होशियारपुर जिले में उरमा टांडा, दसुया, गढ़शंकर और मुकेरियान; संगरूर जिले में अहमदगढ़ और धुरी
राजस्थान .	टोंक जिले में नवाई
तमिलनाडु	रामनाथपुरम जिले में तिरुपत्तुर; धर्मपुरी जिले में तालु, कृष्णागिरी और होस्ट
उत्तर प्रदेश	रायबरेली
पश्चिम बंगाल	नाडिया जिले में कल्याणी
हरियाणा	महेन्द्रगढ़ जिले में रेवाड़ी
जम्मू और काश्मीर	अनन्तनाग में शोखियां और जम्मू जिले में दयाल चाक
आसाम	होजाई जिले में रंगिया और नागलदिया
मध्य प्रदेश .	देवास

श्री एस० आर० दामाणी : मंत्री महोदय ने विकास की केन्द्र की उपयोगिता के बारे में सविस्तार बताया है और यह भी बताया है कि शीघ्र औद्योगिकीकरण के लिए छोटे-छोटे नगरों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। माननीय मंत्री कृपया यह भी बताएंगे कि विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों के कितने आवेदन निलम्बित पड़े हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : श्रीमान्, जब से विकास केन्द्रों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है तब से इसके अर्थ के, सम्बन्ध में काफी भ्रान्ति है। वास्तव में विकास केन्द्रों के उद्देश्य, तरीकों और चयन केन्द्रों के उद्देश्य, तरीकों और चयन आदि के बारे में राज्यों में काफी भिन्नता है। आन्ध्रप्रदेश, त्रिपुरा और बिहार का विचार है कि इन विकास केन्द्रों के सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए और अन्य राज्यों का यह कहना है कि इनके अन्तर्गत कृषि, आधारभूत ढांचे अथवा उद्योग के विकास की ओर भी ध्यान दिया जाए। आशा है गुजरात, मेघालय, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु में इन विकास केन्द्रों के कारण कृषि विकास होगा जबकि महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के अनुसार इन विकास केन्द्रों से औद्योगिक विकास होगा। कुछ राज्यों ने विकास केन्द्रों के विचार को इसलिए बढ़ावा दिया है कि इनसे अदिवासी क्षेत्रों का विकास होगा। महाराष्ट्र सरकार इस बात पर बल दे रही है कि विकास केन्द्रों का उद्देश्य वर्तमान पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करना ही हो। इसलिए योजना आयोग विकास केन्द्रों के सम्बन्ध में एक विस्तृत अध्ययन कर रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिजली के उत्पादन में वृद्धि

*566. **श्री शिव पुजन शास्त्री :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः महीनों में बिजली के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में बिजली के उत्पादन में, राज्यवार कितनी वृद्धि की आशा है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पिछले छः महीनों में अर्थात् अक्तूबर, 1975 से मार्च, 1976 तक की अवधि में बिजली का कुल उत्पादन 42797 मिलियन यूनिट था। पिछले वर्ष की इसी अवधि में अर्थात् अक्तूबर, 1974 से मार्च, 1975 की अवधि में हुए कुल उत्पादन की तुलना में यह उत्पादन लगभग 17 प्रतिशत अधिक था।

(ख) 1975-76 को आधार वर्ष मान कर, परियोजनाओं को पूरा करने के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार जो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता निर्मित होनी संभावित है उसके फलस्वरूप 1978-79 में ऊर्जा उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि, नीचे की तालिका में दी जाती है:--

क्रम संख्या	राज्य	1978-79 में ऊर्जा के उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि
		(मिलियन यूनिटों में)
उत्तर क्षेत्र		
1.	चण्डीगढ़	34
2.	दिल्ली	--
3.	हरियाणा	2,191
4.	हिमाचल प्रदेश	304
5.	जम्मू और काश्मीर	533
6.	पंजाब	3,595
7.	राजस्थान	1,380
8.	उत्तर प्रदेश	6,153
9.	केन्द्रीय परियोजनाएं	1,083
पश्चिम क्षेत्र		
10.	गुजरात	3,340
11.	मध्य प्रदेश	2,473
12.	महाराष्ट्र	3,168

क्रम सं०	राज्य	1978-79 में उर्जा के उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि
		(मिलियन यूनिटों में)
दक्षिण क्षेत्र		
13.	आन्ध्र प्रदेश	4,221
14.	कर्नाटक	1,250
15.	केरल	2,020
16.	तमिलनाडु	589
17.	केन्द्रीय परियोजनाएं (कलपक्कम)	822
पूर्व क्षेत्र		
18.	बिहार	1,341
19.	दामोदर घाटी निगम	612
20.	उड़ीसा	70
21.	पश्चिम बंगाल	1,302
	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	312
जोड़		36,793

पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास

*567. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लघु उद्योगों के एककों को नए प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या नए प्रोत्साहनों से पिछड़े क्षेत्रों में लघु क्षेत्र के एककों के विकास को नया बल प्राप्त होगा; और

(ग) क्या इन नए प्रोत्साहनों का सामूहिक प्रभाव उत्पादन लागत को घटाने और लघु उद्योग के विकास को गति देने में सहायक सिद्ध होगा?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) इस क्षेत्र की आवश्यकताओं और साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए लघु उद्योगों के संवर्धन करने हेतु समय-समय पर अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जाते हैं और कोई नया प्रोत्साहन देने का इस समय विचार नहीं है। सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की संवीक्षा तथा जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ताकि पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास करने के लिए उपयुक्त नीति निर्धारित की जा सके। समिति ने अपनी रिर्पोट पेश कर दी है और सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) आशा है कि वर्तमान विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रभाव ही लघु उद्योगों के उत्पादन की लागत घटाने और विकास तेज करने में सहायक सिद्ध होगा।

अपक्षारीकरण सम्बन्धी विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यकारी दल सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन द्वारा दिये गये सुझाव

*569. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अपक्षारीकरण सम्बन्धी विज्ञान और प्रौद्योगिक कार्यकारी दल सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के चैयरमैन के दिनांक 4-10, अप्रैल, 1976 के एक साप्ताहिक में प्रकाशित लेख में दिए गए सुझावों की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) जी हां।

(ख) बी० ए० आर० सी० (भाभा आण्विक अनुसन्धान केन्द्र) बम्बई, सी० एस० एम० सी० आर० आई० (केन्द्रीय नमक तथा समुद्री रसायन अनुसन्धान संस्थान), भावनगर आदि में अनुसन्धान एवं विकास कार्य में प्रगति हो रही है।

सौर ऊर्जा

*573. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सौर उर्जा के उपयोग के क्षेत्र में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : प्रत्यक्ष फोटो वोल्टीय रूपांतरण तथा तापीय उपयोग द्वारा, सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु युक्तियों पर अनुसन्धान एवं विकास कार्य चल रहा है। हरिद्वार के भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड संयंत्र में, स्थान तापन (स्पेस हीटिंग) पर एक प्रायोगिक परियोजना पूरी हो चुकी है तथा इस समय इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। ग्रामीण, नगरीय तथा महानगरीय क्षेत्रों में सौर तापीय युक्तियों के इंजीनियरी विकास के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की गई एक समेकित परियोजना, ऊर्जा अनुसन्धान समिति द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है तथा इसमें प्रगति हो रही है।

"इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आफ इंडिया" द्वारा विदेशी परियोजनाओं का निष्पादन

*574. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बाहर के देशों द्वारा, विशेषरूप से खाड़ी के देशों तथा अरब देशों द्वारा अनेक परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 'इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस आफ इंडिया' से पूछताछ की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस अवसर का लाभ उठाने और इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड ने लगभग तीन वर्ष पूर्व विदेशी बाजार में प्रवेश किया। इस अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं में भाग लेने से उन्होंने मध्य पूर्व, दक्षिणपूर्व एशिया और यूरोप से 38.13 करोड़ रु० के मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किए। अब इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लि० भविष्य में और अधिक कारोबार प्राप्त करने की स्थिति में है।

(ग) ई० पी० आई० को दिए जा रहे क्रयादेशों को सुकर बनाने के लिए ई० पी० आई० द्वारा प्राप्त बैंक गारंटी पर सरकार प्रति गारंटी देती है। इसके अलावा कारोबार में वृद्धि करने के लिए ई० पी० आई० को कुवैत और बगदाद में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और विदेशी सरकारों के साथ बातचीत करने में सरकार ई० पी० आई० की सहायता करती है। इन सबके अलावा, ई० पी० आई० को इसके निर्यात प्रयासों के लिए जितनी भी उपयुक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है, सरकार द्वारा हमेशा उपलब्ध कराई जाती है।

साधारण कार्यात्मक (फंक्शनल) टेलीविजन सेटों का निर्माण

*575. **श्री रामसहाय पांडे :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **इलेक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन निर्माताओं को प्रधान मंत्री के इस परामर्श के अनुसरण में कि उन्हें साधारण और कार्यात्मक टेलीविजन सेटों का डिजाइन बनाना चाहिए और ऐसे टेलीविजनों की उत्पादन लागत और उनका विक्रय मूल्य कम करना चाहिए, कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या टेलीविजन सेटों के मूल्य में कमी होने के बाद उनकी बिक्री में वृद्धि हुई है?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) दूरदर्शन सेटों के अधिकांश निर्माता बाजार में 51 सैं० मी० आकार के ऐसे सेट लेकर आए हैं जिनका कारखानागत मूल्य 1800 रु० है। ऐसा करने के लिए उन्हें पूर्ववर्ती माडेलों की अपेक्षा सरल एवं कार्यात्मक टेलीविजन सेट बनाना पड़ा है।

(ग) इसका सही अर्थों में निर्धारण करने में समय लगेगा।

राज्यों के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन

*577. **श्री मान सिंह भौरा :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने अभी हाल में नई दिल्ली में राज्यों के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन विषयों पर चर्चा की गई और उनका क्या परिणाम निकला?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। राज्यों के सूचना मंत्रियों का तेरहवां सम्मेलन 6 अप्रैल, 1976 को नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया वे केन्द्र और राज्यों की सूचना एजेंसियों के बीच राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक समन्वय तथा प्रमुख अभियान विषयों से लेकर जन सम्पर्क के प्रत्येक माध्यम का प्रभावी रूप से उपयोग करने के उपायों तथा प्रशिक्षण और कर्मचारियों की समस्याओं तक थे। सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

अप्रैल, 1976 में हुए सूचना मंत्रियों के सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें

केन्द्रों और राज्यों की सूचना एजेंसियों के बीच समन्वय

1. समन्वय समितियों के वर्तमान ढांचे को, जो समन्वित कार्यक्रमों के लिए केन्द्र और राज्यों की एजेंसियों को एक दूसरे के नजदीक लाने में प्रभावी सिद्ध हुआ है, जारी रखा जाए।

2. राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र की राजधानियों में बनी हुई अन्तर-माध्यम प्रचार समन्वय समितियों के अध्यक्ष को राज्य सरकारों/संघ प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करने के लिए बनाई गई राज्य स्तरीय समिति का सदस्य होना चाहिए, ताकि केन्द्रीय माध्यमों के जरिए राज्य सरकारों/संघ प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा प्रायोजित प्रचार के लिए महत्वपूर्ण सम्पर्क सुनिश्चित किया जा सके।

3. अन्तर माध्यम प्रचार समन्वय समितियों की एक छोटी सी टास्क फोर्स जिसमें राज्य और केन्द्र के चुनीदा वरिष्ठ अधिकारी हों, की हर हफ्ते बैठक हो ताकि स्वीकृत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर सूचना का आदान प्रदान हो सके।

4. जिला समन्वय समितियों में जिले में या उसके आसपास काम करने वाले केन्द्रीय माध्यम का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इन बैठकों में प्रचार कार्यक्रमों को कार्यान्वित किए जाने के तरीके के बारे में विचार विमर्श किया जाना चाहिए ।

5. केन्द्र और राज्य के क्षेत्रीय प्रचार एककों को निर्धारित महीने के भीतर कवर किए जाने के लिए जिले के क्षेत्रों को आपस में बांट लेना चाहिए ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र कवर हो सके।

6. राज्यों/संघ प्रशासित क्षेत्रों को अपने प्रचार कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए। इस प्रकार की मूल्यांकन योजनाएं तैयार करने में राज्यों/संघ प्रशासित क्षेत्रों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय सहायता करे।

7. क्योंकि अब प्रचार को उच्चतर प्राथमिकता दी जानी है, इसलिए प्रचार के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रमुख अभियान विषय

8. प्रचार की मुख्य नीति यह होनी चाहिए कि जो लोग किसी विशिष्ट कार्यक्रम से लाभान्वित होते हैं वे प्रचार के कार्यक्रमों में भाग लें। अभियान के जिन मुख्य विषयों की सिफारिश की गई, वे है: भूमि सुधार सम्बन्धी कदमों को तेजी से लागू करना; शहरी भूमि की सीमा का निर्धारण; कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण; भूमिहीनों को आवास स्थानों का आबंटन; एप्रेंटिसशिप योजना; उद्योगों में श्रमिकों को भागीदार बनाना; स्वदेशी; और सफाई और जन स्वास्थ्य का महत्व।

राष्ट्रीय महत्व के जिन विषयों पर निरन्तर अभियान चलाने की सिफारिश की गई वे हैं : परिवार के कल्याण और देश की भलाई के लिए परिवार नियोजन; केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा हरिजनों, जन जातियों के लोगों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता के लिए उठाए गए कदम; महिलाओं की हैसियत में सुधार जिसमें दहेज के विरुद्ध अभियान भी शामिल है; छात्रों और युवकों की भूमिका; और धूम्रपान और मद्यपान के खतरे।

9. उपर्युक्त मुख्य व्यापक विषयों के अलावा राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र ऐसे और विषय भी अपना सकते हैं जो उनके अपने अपने क्षेत्रों के लिए आवश्यक हों।

प्रेरक नारे और दृश्य प्रचार

10. राज्यों/संघ प्रशासित क्षेत्रों को चाहिए कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर होर्डिंगों और पैनलों के माध्यम से प्रेरक नारों के प्रदर्शन में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के प्रयत्नों को और आगे बढ़ाएं। ये नारे सरकारी बसों और निजी वाहनों, बस स्टापों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, न्यायालय भवनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज मार्गों और रेलवे लाइनों के किनारों तथा विभिन्न सभा स्थानों पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अनुशासन, समय की पाबन्दी, कड़ी मेहनत आदि पर बल देने वाले नारों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पत्रिकाओं और सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं में छापा जाना चाहिए। प्रचार के लिए मेलों और उत्सवों के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उत्सवों का एक केलेण्डर तैयार रखना चाहिए। प्रेरक नारों के प्रदर्शन के बारे में भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों, हवाई अड्डों और पत्तन अधिकारियों से पहले ही सम्पर्क बनाए हुए है। राज्यों/संघ प्रशासित क्षेत्रों को भी अपने अपने क्षेत्रों के संगठनों के बारे में इसी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

11. सिनेमा स्लाइडें संक्षिप्त और सरल संदेश पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। इनका भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए और राज्यों/संघ प्रशासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिनेमा स्लाइडें सिनेमाघरों में नियमित रूप से दिखाई जा रही हैं।

रेडियो

12. अपनी व्यापक पहुंच और कार्यक्रमों के लचीलेपन के कारण, रेडियो लोगों को मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्यों की सही जानकारी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत जैसे बड़े देश में जहां पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है, रेडियो और दूरदर्शन के महत्व को देखते हुए, योजनागत धन राशि के आवंटन में उनको उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

13. सामुदायिक श्रवण योजना, जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 1969 में समाप्त हो गई थी, को सीमित रूप में कम से कम पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्रांति और कम कीमत वाले रेडियो सेटों के निर्माण के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो का इतना विस्तार नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। जो राज्य इस योजना को समाप्त करने की सोच रहे हैं, वे इस योजना को समाप्त नहीं करें। इसके अलावा, वे इस योजना का विस्तार उन क्षेत्रों में भी करें जहां रेडियो सुनने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं है।

दूरदर्शन

14. छोटे और कम खर्च वाले दूरदर्शन सेटों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

15. 31 जुलाई, 1976 को उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग की समाप्ति पर, उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग के अन्तर्गत आने वाले 40 प्रतिशत गांवों तथा उनके आस पास के 8,000 गांवों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए स्थलीय ट्रांसमिटर लगाए जाएंगे। इन सभी गांवों को परम्परागत सामुदायिक टेलीविजन सैट उपलब्ध करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में, राज्यों और स्थानीय प्राधिकरणों को भी खर्चे में शामिल होना चाहिए।

प्रेस

16. आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम को राज्य सरकारों की सहायता से प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।

17. छोटे और मझोले दर्जे के समाचारपत्रों को विज्ञापनों का बड़ा भाग देने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। राज्यों/संघ प्रशासित क्षेत्रों की सरकारों को अपने विज्ञापन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की मार्फत जारी करने या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के मानकों और विज्ञापन दरों के अनुसार जारी करने के बारे में विचार करना चाहिए।

18 प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए जिससे अधिनियम के अन्तर्गत घोषणाओं के लिए प्रार्थना-पत्र भेजने के इच्छुक दलों के प्रत्यय पत्रों की जांच की जा सके ताकि उन समाचारपत्रों के चालू होने को रोका जा सके जो लोगों को गुमराह करने वाले और पीली पत्रकारिता वाले हों।

फिल्में

19. राज्यों/संघ प्रशासित क्षेत्रों को सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित देना चाहिए। लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए।

20. फिल्में जिस क्रम में प्रमाणीकृत की जाती है उसी क्रम में उनका प्रदर्शन करने के लिए नियम बनाने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए ताकि थिएटरों में प्रदर्शन के मामले में सभी प्रकार की फिल्मों को समान अवसर मिल सके।

21. बाल फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

प्रकाशन

22. क्योंकि निःशुल्क प्रचार साहित्य के संस्थागत वितरण की अपेक्षा प्रत्येक को डाक से भेजने की पद्धति अधिक प्रभावी सिद्ध हुई है, इसलिए जहां तक हो सके ऐसा साहित्य अलग अलग व्यक्ति को डाक से भेजा जाए।

कर्मचारी और प्रशिक्षण

23. राज्यों/संघ प्रशासित क्षेत्रों के सूचना विभागों द्वारा भारतीय जन सम्पर्क संस्थान के साथ परामर्श करके प्रशिक्षण आवश्यकताओं की एक क्रमबद्ध सूची तैयार की जानी चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक संगणक उद्योग में संकट

*579. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलेक्ट्रॉनिकी संगणक उद्योग में मांग की कमी है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कुछ छोटे एकक इस संकट के कारण बन्द हो गए हैं;

(ग) क्या देशीय इलेक्ट्रानिकी संगणकों का मूल्य संगणकों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में बहुत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार को ऐसी किसी मन्दी के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) स्वदेश में इलेक्ट्रानिक परिकलित्रों (कैलक्युलेटर्स) का मूल्य, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अन्य समतुल्य क्षमता वाले परिकलित्रों के मूल्य की अपेक्षा अधिक है।

(घ) सरकार परिकलित्र उद्योग के सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बिजली घर के विस्तार के लिए सहायता

*580. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड के बिजली घर के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी थी; और

(ख) क्या सम्बन्ध उपक्रम को आवश्यक सहायता दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों की विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था राज्य की समूची योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत् सेक्टर की योजनाओं में शामिल की जाती है। केन्द्रीय सहायता समूची राज्य योजना के लिए दी जाती है और पश्चिम बंगाल के मामले में भी ऐसा ही किया गया है।

बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों को सरकारी अधिकार में लेना

*584. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ बहु-राष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या कोई बहु-राष्ट्रीय कम्पनी देश में तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में भी संलग्न है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन वितरण आदि के क्षेत्र में कार्य कर रही कुछ कम्पनियों को अपने अधिकार में लिए जाने के लिए बातचीत चल रही है।

(ख) इस प्रकार की कोई विशेष सूचना के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा की खपत

*585. **श्री रानेन सेन** :

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास के लिए वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975 में दिसम्बर तक ऊर्जा की कुल कितनी खपत हुई है ;

(ख) वर्ष 1976 में औद्योगिक उत्पादन में ऊर्जा की कुल कितनी खपत की आशा है; और

(ग) क्या सरकार ने उद्योगों में ऊर्जा के उपयोग हेतु राज्यों के लिए कोटा निश्चित किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और ख) वर्ष 1973-74 और वर्ष 1974-75 के दौरान उद्योग में ऊर्जा की खपत क्रमशः 37,827 मिलियन यूनिट और 38,107 मिलियन यूनिट थी। उद्योग में दिसम्बर, 1975 तक हुई ऊर्जा की वास्तविक खपत सम्बन्धी सूचना अभी तक समेकित नहीं हुई है क्योंकि बोर्ड विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को की गई बिक्री के आकड़ों का संकलन वित्त वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद, प्राप्त हुए राजस्व के साथ करते हैं। चूंकि इसके लिए सभी राज्यों से आंकड़े एकत्रित करने होते हैं अतः वित्त वर्ष के समाप्त होने में और उस वर्ष से संबंधित समेकित आंकड़े उपलब्ध होने में लगभग छः महीने का अन्तर पड़ जाता है। बहरहाल, ऊर्जा की संभावित उपलब्धता और औद्योगिक उपभोक्ताओं की संभावित मांग के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 1976-77 के दौरान उद्योग में ऊर्जा की खपत लगभग 48,000 मिलियन यूनिट होगी।

(ग) जी, नहीं।

बहरहाल केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त परिपत्रित किए हैं जिनमें यह बताया गया है कि बिजली की अत्यधिक कमी की स्थिति में विभिन्न उद्योगों को बिजली देने में परस्पर क्या प्राथमिकता बरती जाए।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मामले

2727. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्य अपराध अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली के न्यायालय में कितने और किन-किन नामों वाले मुकदमे दायर किए गए; और

(ख) उनमें से कितने मामले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किए गए ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

राज्यों में उग्रपंथियों के विरुद्ध जोरदार अभियान

2728. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में उग्रपंथियों के विरुद्ध जोरदार अभियान शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक पंजाब में कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस सम्बन्ध में पंजाब में अब तक 372 व्यक्ति पकड़े गए हैं।

तीसरे विश्व के देशों की विकास परियोजनाओं के लिए यूरोपीय देशों के साथ सहयोग

2729. **श्री नुरुल हुडा** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य मंत्री ने हाल ही में कई यूरोपीय देशों का दौरा किया है;

(ख) उस दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या मंत्री ने तीसरे विश्व के देशों की विकास परियोजनाओं में यूरोपीय देशों के साथ भारतीय सहयोग के प्रश्न पर विचार किया था; और

(घ) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जी, हां। श्री ए० पी० शर्मा के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल यूरोपीय देशों में गया था जिसका अन्य

प्राकृतिक और संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों की होड़ से भारत से जाने वाले कयर निर्यात के हितों की रक्षा करने के लिए व्यापार उद्योग और सरकार के बीच उच्चतम स्तर पर सम्पर्क स्थापित करना था।

(ग) और (घ) जी, हां। ये विचार विमर्श केवल अन्वेषणात्मक प्रकार के थे।

Scheme to provide employment to eduacted unemployed in Madhya Pradesh

2730. Shri G.C. Dixit: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has recently approved a scheme to provide employment opportunities to educated unemployea persons in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the salient features thereof and the time by which this scheme will be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Sankar Ghose): (a) and (b) Employment opportunities to educated unemployed persons in the State of Madhya Pradesh, will be provided primarily through the implementation of the Plan Programmes for different sectors, as in other States. Further, a few schemes were also included in the Annual Plan proposals for 1976-77 of that State for providing employment opportunities to educated unemployed persons. These are described below:—

(1) State Employment Programme for educated unemployed (other social and community services):

This Programme, aims at providing employment to educated unemployed persons by training them for self-employment and for construction of sheds etc. for establishment of industries and trades.

(2) Schemes for the educated unemployed under the Village and Small Industries Sector:

Under the Village and Small Industries sector the State Government of Madhya Pradesh had included a few schemes for providing employment opportunities to educated unemployed persons. Salient features of these schemes are given below:—

(i) In-plant training programme:

Under this scheme technically qualified unemployed persons will be deputed to receive practical training in units within and outside the State with the ultimate objective of enabling them to set up industrial units of their own. An outlay of Rs. 0.60 lakh was proposed for this scheme for 1976-77.

(ii) Supply of machines on hire-purchase basis:

Under this scheme, the Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Ltd. would supply machines on hire-purchase basis to educated unemployed persons below the age of 30 years. The Nigam is reported to be charging a nominal service charge @ 2 per cent of the value of machines and interest at 6 1/2% per annum. An outlay of Rs. 4.0 lakhs was proposed for this scheme for 1976-77.

(iii) Loans under State-Aid to Industries Act for educated unemployed:

Under this scheme, loans upto Rs. 10 000/- are proposed to be advanced mainly to the educated unemployed for setting up of industries. An outlay of Rs. 8.00 lakhs was proposed for this scheme for 1976-77.

(iv) Supervisory staff for schemes for educated unemployed:

A Consultancy Bureau is to be set up under this scheme, including technical staff. The outlay proposed for this scheme for 1976-77 was Rs. 1.3 lakhs.

(v) Margin money Scheme:

Margin money will be made available under this scheme to enable the entrepreneurs to secure institutional credit for setting up their own ventures. Outlay proposed for 1976-77 for this scheme was Rs. 5 lakhs.

All these schemes are expected to be taken up for implementation during 1976-77.

तमिलनाडु के अनिर्णीत आशय-पत्र

2731. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु से कितने आशय-पत्र केन्द्र के पास अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में तमिलनाडु में नये उद्योगों की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तमिलनाडु में नए उपक्रम स्थापित करने के लिए वर्ष 1974 और 1975 की अवधि में कुल 98 आशय-पत्र और 60 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ख) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में पाँचवीं पचंवर्षीय योजनावधि में शुरू की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं के नामों, उनके स्थापन स्थलों और परिव्ययों (जिस सीमा तक निर्णय ले लिए गए हैं) का उल्लेख पाँचवीं योजना के प्रारूप अभिलेख के (भाग II) पृष्ठ 151 से 155 पर किया गया है।

Aerodrome at Udhampur

2732. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Phool Chand Verma:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether a big aerodrome has been constructed by the Air Force at Udhampur (Jammu & Kashmir) and has been put to use since Ist March, 1976; and

(b) whether the construction of the said aerodrome was completed within the specified period and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Bansi Lal) : (a) Yes, Sir, and has been in use since 5th August, 1975.

(b) No, Sir. The reasons for the delayed completion of the job were:

(i) delay in acquisition of the land;

(ii) time taken by the Engineers in clearance of the site before handing it over to the contractor;

(iii) the contractor's failure to complete the job within the scheduled time.

Price of Nepa Newsprint

2733. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether the price of Nepa Newsprint in the market is more than that of the imported newsprint; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Industry and Civil Supplies (Shri T.A. Pai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उद्योगों में क्षमता का कम उपयोग

2734. **श्री मधु दंडवते** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मई, 1975 को इन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्जीनियर्स के बंगलौर यूनिट के समक्ष भाषण करते हुए उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो औद्योगिक कारखाने बाजारों को अपने हित के अनुकूल बनाने के लिये जानबूझ कर क्षमता का कम उपयोग करेंगे उनके साथ कठोर व्यवहार किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक कारखानों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध जान बूझकर क्षमता का कम उपयोग करने के आधार पर कार्यवाही की गई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) विद्यमान औद्योगिक क्षमता के पूर्ण उपयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में सशोधन करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि बिना किसी न्याय संगत आर्थिक कारण के क्षमता का कम उपयोग किए जाने वाले मामलों में दण्ड का प्रावधान किया जा सके।

Registration of Land Mortgaged by Adivasis by Money-lenders in their own name in M.P.

2735. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether there are thousands of cases in adivasi areas of Madhya Pradesh in which money-lenders have got registered the sale of and mortgaged with them by adivasis for non-payment of debts and as a result thereof the adivasis have been benefited only nominally by the indebtedness abolition campaign; and if so, the reasons therefor; and

(b) whether an inquiry is proposed to be made about liquidation of debts and restoration of mortgaged land and articles to Adivasis in Madhya Pradesh?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a)& (b): The requisite information has been called for from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Lok Sabha when received.

पश्चिम बंगाल में उद्योगों के बंद होने का प्रभाव

2736. **श्री समर गुहा**: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री पश्चिम बंगाल से उद्योगों के स्थानान्तरण के बारे में 24 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1205 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन कम्पनियों ने कुल कितनी पूंजी लगाई थी;

(ख) उत्पादन बिल्कुल बंद होने से श्रमिकों सहित कितने औद्योगिक कर्मचारी पूर्णतः प्रभावित हुए और उत्पादन में कमी होने से कितने ऐसे कर्मचारी अंशतः प्रभावित हुए;

(ग) इन कम्पनियों ने किन सामान्य कारणों से उत्पादन में कमी की या उत्पादन बिल्कुल बंद किया;

(घ) उत्पादन बंद होने या उसमें कमी होने से पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास और तत्सम्बद्ध व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी जिससे ये कम्पनियां पुनः उत्पादन शुरू कर दें और उत्पादन में वृद्धि करें?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल के औद्योगिक एककों में उत्पादन के कम होने अथवा उनके बन्द करने के अनेक कारण रहे हैं जैसे मांग की कमी, श्रमिक संकट, बिजली की कमी, वित्तीय कठिनाईयां आदि। पश्चिम बंगाल के कुल औद्योगिक विकास और व्यापार पर उत्पादन बन्द होने अथवा उसमें कमी होने का विशेष रूप से ऐसे एककों के पूंजी निवेश पर और कितने कर्मचारियों पर पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसका ठीक-ठीक परिमाण में पता लगा पाना सम्भव नहीं है।

(ङ) सरकार विभिन्न अभ्युपायों द्वारा बिजली की सप्लाई में सुधार करके, श्रमिक-प्रबन्धक सम्बन्धों और विविधीकरण सुविधाओं के माध्यम से औद्योगिक उपक्रमों के उत्पादन में सुधार करने की कोशिश कर रही है।

Electricity under Union List

2737. Shri Nageshwar Dwivedi: will the Minister of Energy be pleased to state whether, like collieries, Government proposoe bring electricity under the Union List?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): No such proposal is under consideration.

जनता सोप समिति

2738. **श्री राम भगत पासवान : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता सोप समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) भारतीय मानक संस्था की दि सोप्स एण्ड अदर सरफेस एक्टिव एजेन्टस् सेक्शनल कमेटी तथा सोपस् सब कमेटी ने जनता नहाने धोने के साबुन के मानक विशिष्टताओं को अंतिम रूप दे दिया है और उन्हें आई० एस० 7963 : 1976 में प्रकाशित कर दिया है।

(ख) संक्षेप में, जनता साबुन तैयार करने में अपेक्षित मानक निम्नलिखित विशिष्टताओं के अनुरूप होना चाहिये :——

(i) कुल फैट (चर्बी), कुल प्रतिशत न्यूनतम	70.0
(ii) रोजिन एसिड, कुल फैट (चर्बी वाले पदार्थ) का प्रतिशत, अधिकतम	7.0
(iii) अनसेपोनीफाइड फैट (चर्बी वाला पदार्थ) कुल का प्रतिशत-अधिकतम .	00.50
(iv) फ्री कास्टिक अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में (एन० ए० ओ० एच०) कुल का प्रतिशत, अधिकतम	0.05
(v) अलकोहल में न घुलने वाला पदार्थ, कुल का प्रतिशत, अधिकतम	2.50
(vi) ग्लासीरोल तत्व कुल का प्रतिशत, अधिकतम	1.0
(vii) फैटी (चर्बी वाले) एसिड का अनुमापकांक ओ सी, अधिकतम	37.0

मुहानों पर कोयला जमा होना

2739. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए उत्पादन में रिकार्ड कायम करने के पश्चात् कोयला जमा होने की चिंताजनक समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो गत चार महीनों में कुल कितना उत्पादन हुआ तथा मुहानों पर इस समय कितना कोयला जमा है;

(ग) जो खानें सरकार की नहीं हैं उनके मुहानों पर कितना कोयला जमा है; और

(घ) जमा को ले को उठाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी नहीं। उत्पादन के अनुसार इस ग्रेड के कोयले की मांग में वृद्धि न होने के कारण केवल निम्न ग्रेड कोयले का कुछ स्टाक जमा हो गया हैं। गत चार महीनों अर्थात् दिसम्बर 1975 से मार्च, 1976 तक भारत कोकिंग कोल लि० में कोयले का माहवार उत्पादन व खान मुहाना स्टाक निम्नलिखित है :—

माह	उत्पादन	खान मुहाना स्टाक
	(आंकड़े लाख टनों में)	
दिसम्बर, 1975 .	18.02	20.70
जनवरी, 1976 .	17.94	22.45
फरवरी, 1976 .	25.35	30.96
मार्च, 1976 .	17.62	32.64

(ग) निजी कोयला खानों में कोयले के खान मुहाना स्टाक जमा हो जाने की कोई सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Agreement between West Bengal and Bihar over D.V.C. Waters

2740. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of Energy be pleased to state:

(a) The salient features of the agreement reached between the Chief Ministers of West Bengal and Bihar in regard to Damodar Valley Corporation waters; and

(b) the parts of Bihar which will get water from Konar and Tilaiya dams together with the quantity thereof and the time by which work on them is likely to be started?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) No formal agreement has yet been entered into between the Chief Ministers of West Bengal and Bihar.

(b) Does not arise.

कच्चे माल के बैंक

2741. **श्री पी० गंगादेब:** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रत्येक तहसील में कच्चे माल के बैंकों की स्थापना करने में ग्रामीण कारीगरों को निश्चित मूल्य पर कच्चा माल प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करेंगी; और

(ख) यदि हां, तो कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह उपाय करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) और (ख) इस समय सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Conference of State Social Welfare Ministers

2742. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether a Conference of the State Social Welfare Ministers was held last year for considering welfare measures for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if so, the decision taken at the conference; and

(c) the extent to which these decisions have been implemented so far and the time by which these will be implemented fully?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) The Conference of State Ministers incharge of Backward Classes Welfare was held on 19th and 20th April, 1975.

(b) The resolutions adopted by the Conference may be seen in the Annexure. [Placed in the Library. *See* No. LT 107/17/76].

(c) The decisions have been accepted in principle by the State Governments. Their implementation is also being followed up at different levels. The Prime Minister addressed the Chief Ministers in July, 1975 highlighting some of these points. The progress has also been reviewed during the Annual Plan discussions, consideration of the tribal sub-plans and Integrated Tribal Development Projects. A number of aspects like administrative structure, excise policy, unified credit-*cum*-marketing structure are being specifically pursued at different levels. Thus, the pace of implementation of the decisions is under constant review.

आदिवासी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन

2743. **श्री सी० सी० गोहेन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की विशेष योजनाएं क्या हैं;

(ख) क्या उपरोक्त योजनाओं के निरूपण और कार्यान्वयन में आदिवासी नेताओं को सम्बद्ध किया गया है; और

(ग) क्या देश में आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के प्रयासों के बीच कोई विरोध देखा गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) प्रत्येक क्षेत्र को आदिवासी विकास की व्यापक योजना के नये प्रस्ताव में विशिष्ट समस्याओं का उल्लेख है। संबंधित क्षेत्र में आदिवासी समुदायों का सांस्कृतिक जीवन, विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने के लिये महत्वपूर्ण प्रारंभिक शर्तों में से एक है। आदिवासी अनुसंधान संस्थाओं से विशेषरूप से परिवर्तन की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करने की आशा की जाती है। आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक जीवन को बनाये रखने और उसको उन्नत करने के लिए उनके पास कुछ विशेष कार्यक्रम भी हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) आर्थिक विकास की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन में स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। सरकार की यह स्वीकृति नीति है कि विधान बनाते अथवा प्रशासनिक कार्यवाही करते समय इस बात की सावधानी रखी जाए कि इनसे आदिवासी समुदायों के जीवन के तौर तरीकों में अनावश्यक हस्तक्षेप न हो।

माप तोल की ब्रिटिश प्रणाली का प्रयोग

2745. **श्रीमती प्रमलाबाई दाजीसाहेब चव्हाण** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मीटरी प्रणाली अपनाए जाने के वर्षों बाद इंजीनियरी उद्योग अभी भी माप-तोल की ब्रिटिश प्रणाली का काफी हद तक प्रयोग कर रहा है;

(ख) क्या यह मुख्यतः इस कारण से है कि कोलक उद्योग (फासनर इंडस्ट्री) ने अभी तक मीटरी स्टेण्डर्ड नहीं अपनाये हैं;

(ग) बड़े पैमाने के ऐसे एकक अनुमानतः कितने प्रतिशत हैं जो अभी भी ब्रिटिश प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :—

विवरण

(क) से (घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि इंजीनियरी उद्योग में विविध प्रकार की मदें होती हैं और उनमें से कइयों को उनके द्वारा गैर-मीटरी प्रणाली वाले देशों के साथ पहले किये गये सहयोग-करारों के कारण समस्यायें हैं, इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये कि उत्पादन में रुकावट न पड़े, यह आवश्यक समझा गया कि इंजीनियरी उद्योग में मीटरी प्रणाली दो चरणों में लागू की जाये :—

(i) वर्तमान परिमापों को मीटरी प्रणाली में बदलना ताकि पुरानी इकाइयों, जिनका प्रयोग बाट और माप मानक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वर्जित है, के प्रयोग को समाप्त किया जा सके।

(ii) परिमेय मीटरीकृत मानक अपनाना, जिसमें कोलक आदि के वास्तविक परिमापों में परिवर्तन करना शामिल है।

अब तक पहला चरण कार्यान्वित किया जा चुका है। दूसरे चरण में काफी काम करने की जरूरत है, जैसे मीटरी प्रणाली पर आधारित नये मानक तैयार करना, वर्तमान उपकरणों का व्यवस्थित रूप में पुनर्विन्यास करना और वर्तमान उपकरणों आदि के स्थान पर व्यवस्थित रूप से नया धीरे-धीरे नये उपकरणों की व्यवस्था करना।

यह कहना सही नहीं होगा कि कोलक उद्योगों के कारण इंजीनियरी उद्योग में मीटरी प्रणाली को अपनाने की गति धीमी रही है। कोलक के भारतीय मानकों में आमूल रूप से संशोधन किया गया है, ताकि उन्हें मीटरी इकाइयों के अनुसार बनाया जा सके। जून, 1955 में एक निदेश जारी किया गया था कि जब कभी किसी केन्द्रीय मंत्रालय के अन्तर्गत किसी नये संयंत्र और मशीनरी का आर्डर दिया जाये अथवा कोई नया उत्पादन आरम्भ किया जाये तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि जिन उपकरणों के लिये आर्डर दिया जाये और जो उत्पादन शुरू किये जायें वे मीटरी प्रणाली पर ही आधारित हों, ताकि भविष्य में उनके बारे में कोई संक्रमण कालीन कठिनाइयां न आयें। दूसरे चरण को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

उड़ीसा में विद्युत-जनन के लिए वित्तीय सहायता

2746. **श्री डी० के० पंडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत्-जनन के लिए अन्य राज्यों की तरह आवश्यक धन देना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सैक्टर में उड़ीसा में किसी भी परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव इस समय नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी का विकास

2447. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी के विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) अनन्यत: लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए निम्नलिखित वस्तुओं को सुरक्षित रखा गया है :

(1) आई० एफ० ट्रांसफार्मर
(2) व्यावसायिक प्रयोग के लिए एअर ट्रिमर;
(3) ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर) यंत्रों का संयोजन।
(4) श्रवण-सहाय (हियरिंग एड)
(5) इलेक्ट्रानिक फ्लैशगन
(6) मनोरंजन/जन-सम्बोधन प्रणाली के लिए प्रबंधक (ऐम्पलीफायर)
(7) कम लागत के रेडियो सेट (200 रु० से कम)
(8) ट्रांसिस्टर हैडर

तकनीकी तथा आर्थिक विश्लेषण करने और लघु क्षेत्र के औद्योगिक संघों के साथ परामर्श करने के बाद इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा लघु उद्योग क्षेत्र के विकास आयुक्त की सम्मिलित राय के आधार पर अन्य वस्तुओं को भी लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

दूरदर्शन सेट, इलेक्ट्रानिक डेस्क परिकलित्र, टेपरिकार्डर, इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे जैसी विभिन्न इलेक्ट्रानिक वस्तुओं को लघु उद्योग क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने की स्वीकृति दी गयी है।

मुख्यत: इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में लघु उद्योगों को पनपने का अवसर प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न केन्द्रों में कार्यालय स्वरुप के औद्योगिक समूहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये औद्योगिक समूह राज्य सरकारों अथवा विभिन्न राज्य औद्योगिक विकास निगमों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत हैं जिन्हें इलेक्ट्रानिकी विभाग आवश्यक मार्ग दर्शन तथा परामर्श प्रदान करता है। विभिन्न राज्यों में (अधिकांश कार्यालय स्वरूप के औद्योगिक समूहों के साथ मिलकर) परीक्षण तथा विकास केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा दिए गये अनुदानों से इनका वित्तपोषण किया जा रहा है।

रेडियो तथा इलैक्ट्रानिकी का सामान बनाने वाली विदेशी कम्पनियों का निर्यात उत्तरदायित्व

2748. **श्री बयलार रवि** : क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो तथा इलेक्ट्रानिकी का अन्य सामान बनाने वाली विदेशी कम्पनियों के लिए कोई निर्यात दायित्व, नियत किया गया है, यदि हाँ, तो कितना;

(ख) इस दायित्व को किस हद तक पूरा किया गया है; और

(ग) क्या निर्यात दायित्वों के आधार पर उनको विस्तार की कोई अनुमति दी गई है?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ। उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित 'लाइसस प्रदान करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त' नामक पुस्तिका के अनुसार इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का निर्माण करने वाली विदेशी कंपनियों (और साथ ही भारतीय कंपनियों) पर अनिवार्य रूप से निर्यात करने की शर्त लगाई जाती है इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विभिन्न इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के संबंध में ब्यौरे दिए गए हैं जिनमें यह में बताया गया है कि निर्यात किस सीमा तक अनिवार्य है। लाइसेंस प्रदायी समिति तथा परियोजना-अनुमोदन बोर्ड भी गुण-दोष के आधार पर प्रत्येक मामले में निर्यात की शर्त लगाते हैं।

(ख) निर्यात की जो शर्तें लागू हैं उनके संबंध में केवल एक ही विदेशी फर्म ने निर्यात के सबूत पेश किए हैं। मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक द्वारा, जो निर्यात की अनिवार्य शर्तों पर निगरानी रखता है इस सबूत का सत्यापन किया जा रहा है।

(ग) जी, हाँ।

आर्य भट्ट का कार्यक्रम

2749. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उपग्रह, आर्यभट्ट जो अभी भी पृथ्वी के कक्ष में है, किस सीमा तक कार्य कर रहा है और यह वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करने में कहां तक उपयोगी है;

(ख) आर्यभट्ट के मूल कृत्य क्या थे और उसने उन्हें कहां तक पूरा किया है; और

(ग) क्या इसने अन्तरिक्ष के "ब्लैक होल्स" पर प्रकाश डाला है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्टानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) उपग्रह में लगी सभी तकनीकी उप-प्रणालियाँ अपने-अपने डिजायन के विनिर्देशों के अनुसार काम करती रहीं उपग्रह की चक्कर लगाने की गति आशा से भी ज्यादा ज्यों की त्यों बनी रही, उक्त प्रणाली को अच्छे ढंग से तैयार करने में बरती गई सावधानी के कारण उपग्रह की गति के घटने की दर कम रही, और इसका नतीजा यह निकला है कि जहाँ उपग्रह के उपयोग में लाये जा सकने का समय पहले छः महीने माना गया था, अब यह समय उससे कहीं ज्यादा हो गया है।

क्योंकि विद्युत-प्रणाली में लगे रेगुलेटरों में से एक रेगूलेटर के खराब हो जाने की वजह से ऐक्स-किरण खगोल विज्ञान तथा सौर्य न्यूट्रॉन एवम् गामा किरणों से सम्बन्धित परीक्षणों को उपग्रह के छोड़े जाने के पांचवें दिन बन्द करना पड़ा, इसलिए इन परीक्षणों से मिलने वाली वैज्ञानिक महत्व की जानकारी पहले कुछ दिनों तक ही प्राप्त की जा सकी।

(ख) आर्यभट्ट को छोड़ने का मुख्य उद्देश्य अन्तरिक्ष में काम में लाई जा सकने योग्य एक प्रणाली का अभिकल्पन एवम् संनिर्माण देश में ही करके एवम् उसे अन्तरिक्ष में छोड़कर उसके कार्य-निष्पादन की जाँच करना, उपग्रह की सहायता से अनेक जटिल परीक्षणों को करने की विधियाँ खोजना, संदेश-प्रेषण और उपग्रह की स्थिति का पता लगाने के लिए आवश्यक प्रणाली को भूमि पर स्थापित करना, तथा अत्यन्त परिष्कृत उपग्रह-प्रणालियों को तैयार करने के लिए आवश्यक आधार बनाना था।

आर्यभट्ट के छोड़े जाने से यह सिद्ध हो गया है कि भारत में उपग्रहों के डिजायन बनाने और उनका निर्माण करने की क्षमता है। इससे यह भी पता लग गया है कि हम उपग्रह से आंकड़ों को प्राप्त कर उनका विश्लेषण तथा उनकी व्याख्या कर सकते हैं तथा अनिवार्य समझे गए परीक्षणों को उपग्रह की सहायता से करने के लिए उपग्रह को निर्देश दे सकते हैं।

(ग) जी, हाँ। "ब्लैक होल" को तारकीय विकास-क्रम की चरम अवस्था समझा जाता है, यह "अन्तरिक्ष में विद्यमान विवर" माना जाता है जो कि लगभग 10 किलोमीटर व्यास का एक ऐसा गोला है जिसमें सूर्य के द्रव्यमान से चार गुणा द्रव्यमान सम्पीडित अवस्था में विद्यमान है यदि कोई भी प्रकाश अथवा किसी भी प्रकार का विकिरण एक बार "ब्लैक होल" की जबरदस्त आकर्षणशक्ति के क्षेत्र में आ जाए तो वह प्रकाश अथवा विकिरण उस क्षेत्र से बाहर कभी भी नहीं निकल पायेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कार्यों में लगे स्वयंसेवी संगठन

2750. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने स्वयंसेवी संगठन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कार्यों में लगे हैं;

(ख) ऐसे कितने संगठनों को सरकार से सहायक अनुदान मिलता है;

(ग) क्या जन-जातियों के कल्याण संबंधी नयी योजनाओं में वन-श्रमिकों जो मुख्यतः जनजातियों के लोग हैं तथा हरिजन हैं, के कल्याण में लगे श्रमिक सहकारी संगठनों को वित्तीय सहायता अथवा सहायक अनुदान देने की कोई व्यवस्था है; और

(घ) यदि हां, तो कितने श्रमिक सहकारी संगठनों ने सहायता माँगी है तथा उन्हें कितनी राशि सहायता के रूप में मंजूर की गयी है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय स्कीम "स्वैच्छिक ऐजेंसियों को सहायता" के अधीन सहायतानुदान अखिल भारतीय स्तर की केवल उन गैर-सरकारी संगठनों को दिये जाते हैं जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लाभ की स्कीमें चलाने के लिए सरकार से सहायता मांगते हैं। वर्ष 1975-76 में 21 संगठनों को 45,73,805.00 रुपये की राशि की सहायता अनुदान दिये गये थे।

(ग) तथा (घ) आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सामाजिक महत्व की नई नीति के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक बसावट वाले सभी आदिवासी क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए उप-योजना/समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। उप-योजनाओं के अधीन विभिन्न विकासात्मक

स्कीमों में सहकारिता कार्यक्रम को भी उचित प्राथमिकता दी जाती है । चूंकि उप-योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः उप-योजना क्षेत्रों में अग्रिम कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, जिसके अनुसार साख तथा विपणन ढांचे को मजबूत बनाना है । सम्बन्धित राज्य सरकार कार्यान्वयन प्राधिकारी है और स्कीमों के स्थान का चयन भी उनके द्वारा किया जाता है । 1975-76 में सहकारिता से सम्बन्धित स्कीमों पर खर्च के लिए विभिन्न राज्यों को 45.61 लाख रुपये की धन राशि दी गई थी ।

केरल में लाइसेंसों के लिए प्राप्त निर्णयाधीन आवेदनपत्र

2751. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) केरल में उद्योगों की स्थापना के लिए लाईसेंस हेतु प्राप्त कुल कितने आवेदन पत्र भारत सरकार के विचाराधीन पड़े हैं, और

(ख) क्या सरकार का विचार उनमें से कुछ उद्योग केरल के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने का है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) केरल में नए उद्योग स्थापित करने के लिए तीन लाइसेंस प्राप्ति के आवेदन सरकार के पास अनिर्णीत है । इनमें से एक राज्य के पिछड़े जिले में उपक्रम स्थापित करने के बारे में है।

बड़ौदा डायनामाईट कांड

2752. **श्री शंकर राव सावन्त** :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा-डायना-माइट कांड के अभियुक्त व्यक्ति किन-किन राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक गिरफ्तार किया गया है तथा जो व्यक्ति फरार है उनके नाम क्या हैं; और

(ग) षड्यंत्रकारियों के उद्देश्य और प्रयोजन क्या थे तथा इस कूट योजना के पीछे किस का दिमाग था?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) और (ख) निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है :—

1. राजेन्द्र प्रसाद सरैया

2. जसवन्त सिंह चौहान

3. किरित भट्ट

4. पुंजा भाई

5. के० विक्रम राव

6. राधेश्याम सिंह

7. जतिमभाई पटेल

8. मोतीलाल बाबूलाल कनौजिया

9. गोविन्द भाई सोलंकी

10. प्रभू दास पटवारी

11. महेन्द्र नारायण बाजपेयी

उपरोक्त क्रम संख्या 2, 8 तथा 9 का संबंध सोशलिस्ट पार्टी से बताया जाता है। उपरोक्त क्रम संख्या 3, 5 और 6 को सोसलिस्ट पार्टी के विचारों का समर्थक बताया जाता है। क्रम संख्या 10 कांग्रेस (संगठन) से सम्बद्ध है।

फरार व्यक्तियों के नाम बताना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) मामले की अभी जांच पड़ताल की जा रही है।

वार्षिक योजना 1976–77 के लिए कर्नाटक द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सहायता

2753. **श्री के० मलन्ना**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उस राज्य में 1973-74 में सूखे की स्थिति के अनुभव को देखते हुए वार्षिक योजना 1976-77 के लिए कर्नाटक राज्य को विशेष अतिरिक्त सहायता दे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शंकर घोष) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को देय राशि की वसूली

2754. श्री **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को राज्य विद्युत बोर्डों तथा अन्य निकायों से बहुत बड़ी बकाया देय राशि वसूल करनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और यह राशि कब से बकाया है; और

(ग) राशि वसूल करने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है तथा किस अवधि तक उन्हें चुकता कर दिया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 31-3-76 तक विद्युत बोर्डों और अन्य ग्राहकों से बकाया देय राशि 123.4 करोड़ रुपये की थी। अवधिवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

अवधि के लिए बकाया देय राशि :—

(1)	45 दिन से कम	60 करोड़ रुपये
(2)	45 दिन से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम	48.2 करोड़ रुपये
(3)	एक वर्ष से अधिक	15.2 करोड़ रुपये

(ग) बकाया देय राशियों की स्थिति की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है और बकाया राशियों को सामान्य स्तर तक कम करने के दृष्टिकोण से जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे उपक्रम के लिए लगभग दो महीने का उत्पादन होना चाहिए शीघ्रता से भुगतान करने के लिए ग्राहकों के साथ निरन्तर सम्पर्क रखा जा रहा है। जब कभी बकाया देय राशियां असामान्य रूप से अधिक हो जाती हैं तो भारत सरकार भी राज्य सरकारों और अन्य सरकारी ग्राहकों के साथ मामले पर विचार विमर्श भी कर रही है। इस प्रकार के कुछ मामलों में अलग-अलग राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से किए जाने वाले योजना आवंटन पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को सीधे ही धनराशि देने की व्यवस्था की गई थी। यह ठीक-ठीक बता सकना सम्भव नहीं है कि बकाया देय राशियां पूरी तरह से कब चुकता हो जायेंगी।

बिजली इंजीनियरों के लिए नवीकरण पाठ्यक्रम

2756. **डा० के० एल० राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि 'बिजली' पैदा करने और बिजली पारेषण के लिए अत्यधिक आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है, क्या सरकार बिजली इंजीनियरों के लिए कुछ वर्षों के अन्तर से नवीकरण पाठ्यक्रम आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या आपरेटरों और अन्य व्यक्तियों को कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ग) ब्रिटेन, अमरीका तथा रूस जैसे देशों में प्रशिक्षण के क्या उपाय अपनाये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्युत इंजीनियरों तथा अन्य प्रचालन व अनुरक्षण कर्मचारियों के लिए, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (रिफ्रैशर कोर्स) सहित, पर्याप्त प्रशिक्षण देने के महत्व को सरकार समझती है। इसी प्रयोजन से पांचवीं योजना में दो नए ताप-विद्युत प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए गए हैं। ये संस्थान पहले से ही चल रहे दो संस्थानों के अलावा हैं। एक विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान 1972 से कार्य कर रहा है और 1975 में एक हाट लाइन कर्मीदल प्रशिक्षण केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इसके अलावा, विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भी समय-समय पर प्रबंध किए जाते हैं।

(ग) यू०के० स्थित केन्द्रीय बिजली उत्पादन बोर्ड ने ऐसे प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं जिनमें विद्युत इंजीनियरों के लिए विशेषीकृत पाठ्यक्रम हैं। संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस में प्रशिक्षण संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में ब्यौरा सहज ही उपलब्ध नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों को रियायतें

2757. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाओं में भर्ती में आरक्षण, नौकरी के लिये आयु में छूट और लाभकारी स्व-नियोजन परियोजनाओं के नियतन जैसी कुछ रियायतें सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि तक रियायतें दी गई हैं; और

(ग) क्या इस तिथि को और आगे बढ़ाया जायेगा जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों का समुचित पुनर्वास सुनिश्चित हो सके?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में प्रतिशतता के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के बारे में आरक्षण और आयु सीमाओं में छूट की केन्द्र सरकार की एक योजना है जो 30-6-1979 तक चालू है। इस आरक्षण योजना के सिवाय अन्य किसी रियायत के लिये अन्य समय-सीमाएं नहीं हैं। 30-6-1979 के पश्चात् इस आरक्षण योजना को बढ़ाने के लिए योजना समाप्त हो जाने से काफी समय पूर्व विचार किया जायेगा।

गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण

2758. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री० एन० आर० बेकारिया :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कुल कितनी ग्रामीण जनसंख्या है;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात राज्य की कितने प्रतिशत ग्रामीण जनता आती है; और

(ग) उस राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण को तीव्र गति प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार गुजरात राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 192.01 लाख है।

(ख) गुजरात की कुल ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 12 प्रतिशत भाग निगम द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहा है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण के मामले में गुजरात एक अग्रणी राज्य है। 29-2-1976 को जो स्थिति थी उसके अनुसार राज्य की 58 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को बिजली का लाभ प्राप्त था। इसकी तुलना में, देश में बिजली का लाभ प्राप्त ग्रामीण जनता का अखिल भारतीय औसत 47.6 प्रतिशत है।

पांचवीं योजना की रूप-रेखा में, गुजरात के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। ग्राम विद्युतीकरण निगम के सामान्य कार्यक्रम की 400 करोड़ रुपये की राशि में से 19 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि गुजरात को ऋण सहायता देने के लिए नियत कर दी गई है। आशा है कि इस परिव्यय के परिणामस्वरूप, गुजरात में बिजली का लाभ प्राप्त ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति के बारे में और सुधार होगा।

राज्यों में सहकारी कानून की प्रतिबन्धात्मक लक्षण

2759. **श्री बसंत साठे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री द्वारा हाल में व्यक्त किये गये विचारों के संदर्भ में राज्य सरकारों/संघटनों के परामर्श से राज्यों में सहकारी कानून की विभिन्न प्रतिबन्धात्मक लक्षणों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या अब तक कोई परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सातवीं सहकारी कांग्रेस में प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के सन्दर्भ में इस मंत्रालय ने राज्यों में सहकारी कानून की विभिन्न प्रतिबन्धात्मक बातों के बारे में जांच पूरी कर ली है। इस जांच के परिणामस्वरूप एक ब्यौरेवार लेख (पेपर) तैयार किया गया है। इस पर मंत्रालय द्वारा गठित सहकारिता सम्बन्धी सलाहकार परिषद की अगली बैठक में चर्चा करने का विचार है।

Expenditure incurred on space Satellite service provided by NASA

2760. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Space** be pleased to state the total expenditure incurred on Space Satellite Service made available to India for one year by an agreement signed with National Aeronautics and Space Administration?

The Prime Minister, Minister of Planning, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi): According to agreement signed with NASA, ATS-6 satellite has been provided free of cost for a period of one year. While the cost of space segment of the Satellite Instructional Television Experiment is borne by NASA, the expenditure on ground segment is entirely our responsibility. The sanctioned cost of Satellite Instructional Television Experiment Project was Rs. 9.00 crores but the final cost is likely to be slightly higher.

एच० एम० टी० द्वारा श्रीनगर में समायोजन केन्द्रों की स्थापना

2761 **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच०एम०टी० का विचार श्रीनगर में अनेक समायोजन केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां तो उसकी संख्या कितनी है और उसमें कितना व्यय होगा?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य के कल्याण विभाग से राज्य में एसेम्बली केन्द्र खोलने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। इन आवेदन पर विचार किया जा रहा है।

Setting up of Industries in States with cooperation of H.M.T.

2762. **Shri Paripoorna Nand Painuli:** Will the Minister of Industry and Civil Supplies be pleased to state:

(a) the names of the industries set up in various States with the cooperation of H.M.T.; and

(b) The quota of their production?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George): (a) & (b) The following units are being set up for the manufacture of machine tools/tractors in various States in cooperation with Hindustan Machine Tools Limited:—

1. Quilon District Engineering Technicians Industrial Workshop Cooperative Society Ltd. (QUETCOS) have set up a unit for the manufacture of Centre Lathes in Quilon, Kerala State. This was with technical cooperation of HMT. The estimated production will be Rs. 1.00 crore per annum.

2. Chamundi Machine Tools (P) Ltd. is being set up in Karnataka State for production of Centre Lathes. This will be with technical cooperation of HMT. The estimated production will be Rs. 1.50 crores per annum.

3. Gujarat State Machine Tools Corporation Limited is being set up in Bhavnagar, Gujarat State as a joint venture between Gujarat Industrial Investment Corporation Limited and HMT for the manufacture of Vikram Lathes. HMT will invest 25.5% of the equity and also provide technical assistance. The estimated production will be Rs. 10.00 crores per year.

4. Bihar State Agro Industries Development Corporation will set up a unit in FATWAH, Bihar State for the assembly of HMT - Zetor 2511 Tractors with SKD and with the technical assistance to be supplied by HMT Pinjore. According to the agreement concluded between HMT and BSAIDC a production level of Rs. 10.00 crores will be achieved by 1978-79.

5. Tamilnadu Small Industries Corporation Ltd. (TANSI) will set up a medium scale machine tool factory in Tamilnadu for the manufacture of Hacksaw machine, Bench Drill, Pillar Drill and Gang drill. This will be with technical cooperation of HMT. The estimated production will be Rs. 75 lakhs per annum.

6. Punjab Tractors Ltd., Chandigarh. HMT have invested Rs. 8.5 lakhs in the equity of this company which manufactures Swaraj tractors.

सरकारी स्टोरों के माध्यम से एच० एम० टी० की घड़ियां

2763. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच०एम०टी० की घड़ियां खुले बाजार में उपलब्ध नहीं हैं और इनकी बिक्री सरकारी स्टोरों के माध्यम से की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हिमटू की घड़ियों की बिक्री देश के विभिन्न भागों में स्थित एच०एम०टी० बिक्री-सह-सेवा केन्द्रों, उपभोक्ता सहकारी थोक/विभागीय स्टोरों और मिलिटरी कैन्टीनों के जरिए की जा रही है। हिमटू की घड़ियां व्यापारियों के जरिए नहीं बेची जाती हैं। चूंकि हिमटू की घड़ियों की मांग उत्पादन से काफी अधिक है। इसलिए उचित वितरण करने की दृष्टि से घड़ियों की खुदरा बिक्री केवल इन्हीं खुदरा-केन्द्रों के जरिए की जा रही है।

प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए क्षेत्रीय केन्द्र

2764. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय प्रायोजित क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित केन्द्र के बारे में ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की विशेष बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इसकाप के मार्च/अप्रैल, 1976 में हुए 32वें सत्र में सिफारिश की गई है कि प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के लिये भारत में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किया जाये।

(ख) और (ग) इसकाप के कार्यकारी सचिव से ब्यौरा तैयार करने के लिए कहा गया है। प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्र के लिये भारत सरकार ने शामिल सुविधाएं, 10 लाख डालर से ऊपर भूमि के लिए योगदान भवन और अन्य आवश्यक अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं देने की घोषणा की है। केन्द्र के बारे में अन्य ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

इजरायल में प्रवासी यहूदियों को भारतीय नागरिकता

2765. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीय यहूदियों ने, जो इजरायल चले गये थे, भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन किया है: और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) बिना पते के एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और तथाकथित भारत से इजराइल को गये और इजराइल के हुये नागरिकों की ओर से फरवरी, 1974 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके अधीन बनाये नियमों व नीति के अनुसार प्राधिकारी केवल उन व्यक्तियों के जो वैधानिक आवासीय तथा अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं और निर्धारित फार्म पर तथा पद्धति के अनुसार आवेदन पत्र भेजते हैं गुणदोष के आधार पर विचार कर सकते हैं।

राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों द्वारा रद्दी का बेचा जाना

2766. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र हर महीने लाखों रुपए के मूल्य की रद्दी बेचता है जिसका हिसाब ठीक प्रकार से लाभ तथा हानि लेखे में नहीं दिखाया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्रों के बारे में स्थिति सुनिश्चित की है; और यदि हां, तो गत एक वर्ष के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इन समाचार पत्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) किसी भी प्रकार के रद्दी अखबारी कागज की बिक्री अखबारी कागज नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नहीं आती। इसलिए सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न पत्रिकाओं को विदेशी स्रोतों से सहायता

2767. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक अप्राधिकृत भवन गिराते समय सरकार को अखबारी कागज का भण्डार और एक ऐसा रजिस्टर मिला है जिसमें कुछ पत्रिकाओं के नाम तथा विदेशी स्रोतों से नकद अथवा अन्य रूप में सहायता का ब्यौरा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Rural Electrification Schemes in Madhya Pradesh

2768. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the number of rural electrification schemes submitted for approval of the Central Government by Madhya Pradesh Electricity Board after conducting a survey in respect thereof;

(b) the district-wise number of these schemes and the expenditure to be incurred on each of them; and

(c) the time by which these schemes will be approved by Central Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) Rural Electrification schemes are not approved by the Central Government but by the Rural Electrification Corporation Ltd., a Government of India Undertaking.

The Madhya Pradesh Electricity Board has upto 31-3-1976 sent to the Corporation 198 rural electrification schemes. Out of these, 145 schemes have been sanctioned by the Corporation and 53 are pending consideration.

(b) A statement giving the district-wise details of these pending schemes and the cost thereof is enclosed. [Placed in the Library. See No. L.T.-10718/76]

(c) The Corporation expects to sanction during 1976-77 fresh schemes of Madhya Pradesh Electricity Board for a total loan assistance of about Rs. 8.35 crores. So technically feasible and financially viable schemes upto this amount will be sanctioned by the Corporation in this year. The remaining schemes will be considered in subsequent years.

Prices of Shoes

2769. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether the owners of footwear factories have increased prices of shoes considerably during the last few years;

(b) if so, whether Government have taken any action to bring down the prices of shoes; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya): (a) There has been some increase in the prices of shoes during the last few years.

(b)&(c) Negotiations have been conducted with the principal manufacturers of common brands of footwear and as a result of these negotiations, action has been initiated by the Footwear Manufacturers to effect reduction in the prices of shoes to 1973 level. As a result of these negotiations, M/s. Tannery & Footwear Corporation of India Ltd., a Government of India undertaking and M/s. Bata have since announced reductions in prices. Other manufacturers are also considering similar price reductions.

प्रेस सूचना अधिकारी द्वारा समाचारपत्रों के संपादकों को आमंत्रण

2770. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य सूचना अधिकारी विभिन्न समाचार-पत्रों के संपादकों को देश की प्रगति के बारे में अवगत कराने के लिए प्रतिवर्ष आमंत्रित करता है; और

(ख) यदि हां, तो दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित छोटे समाचार पत्रों के साथ नियमित सम्पर्क बनाये रखने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो ने क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं। पत्र सूचना कार्यालय आर्थिक समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के सम्पादकों तथा आर्थिक विषयों संबंधी समाचारपत्रों के स्तम्भ लेखकों को देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का सारांश देने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करता है जो उन्हीं तक सीमित होता है।

(ख) प्रधान सूचना अधिकारी और उनके अधिकारी इन क्षेत्रों में अपने दौरे के दौरान छोटे समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों के छोटे समाचारपत्रों के प्रतिनिधि भी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रधान सूचना अधिकारी और उनके अधिकारियों से मिलते हैं। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा छोटे समाचारपत्रों के लिए विशेष समाचार और लेख सेवाएं भी जारी की जाती हैं।

तीव्रगति से समाप्त हो रही जनजातियों के बारे में कार्थी कयान समिति का प्रतिवेदन

2772. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कार्थीकायान समिति के उस प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि टोडा, कोटा, कुरूमता जैसी कुछ जनजातियां तेजी से समाप्त होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है;

(घ) क्या उनकी ऋण ग्रस्तता का घातक भार ही उनकी भूमि और पशुओं की बिक्री के लिए जिम्मेदार है; और

(ङ) यदि हां तो इन अभागे आदिवासियों को राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ङ) कार्थीकायान समिति की रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को फरवरी 1976 में पेश की गई है। समिति ने ऋणग्रस्तता तथा भूमि की बिक्री की समस्याओं समेत तमिलनाडु में जन जातियों की समस्या के बारे में विभिन्न विचार तथा सिफारिशें की हैं। कुछ आदिम जातियों की घट रही संख्या की समस्याओं को भी लिया गया है। समिति की सिफारिशों की तमिलनाडु सरकार जांच कर रही है।

Glass Sheet Industry

2773. **Shri Janeshwar Misra:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether the National Council of Applied Economic Research has in a survey recommended the setting up of a glass sheet industry in view of silica sand being found in abundance in the neighbourhood of Shankargarh, Allahabad; and

(b) the steps taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya): (a) Yes, Sir.

(b) No proposal for setting up a Sheet Glass unit in the neighbourhood of Shankargarh, Allahabad, based on the survey conducted by the National Council of Applied Economic Research, has been received. However, one firm in the private sector had been granted an industrial licence in December, 1962, for the establishment of a new industrial under taking at Allahabad for the manufacture of sheet glass for an annual capacity of 5 million square metres. This undertaking has commenced production in January, 1976.

Small Paper Mills in M.P.

2774. **Shri D.C. Dixit:** Will the Ministry of **Industry and Civil Supplies be** pleased to state:

(a) whether Central Government have granted licences for setting up small paper-Mills in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the salient features of the scheme?

The Minister of Industry and Civil Supplies (Shri T.A. Pai): (a) Yes Sir.

(b) Industrial licences and letters of intent have been issued for a cpacity of 1,58,700 tonnes to 24 parties upto the end of 1975, for setting up paper manufacturing plants each having a capacity of 10,000 tonnes per annum or less. Most of the schemes are based on agricultural residues and indigenous plant and machinery. However, a few units are based on second hand imported machinery.

Co-operative Spinning Mills

2775. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether Government propose to improve the economic condition of the co-operative spinning mills in the country; and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George): (a) & (b) To help uneconomic cooperative spinning mills to become viable by expanding their installed capacity to a minimum of 25,000 spindles, a Central sector scheme of assistance is in operation through the National Cooperative Development Corporation. During 1974-75 and 1975-76, an assistance of Rs. 249.60 lakhs was provided to the State Governments for contributing to the sharecapital of cooperative spinning mills to enable them to expand their installed capacity.

Due to crisis in the textile industry, many of the cooperative spinning mills suffered heavy cash losses during 1974-75 and also during 1975-76. To enable these cooperatives to have adequate cash resources for providing the necessary margin money for working capital loans from banks, the National Cooperative Development Corporation has evolved a scheme for giving assistance to cooperative spinning mills. Under this scheme, the Corporation has so far sanctioned a loan assistance of Rs. 147.385 lakhs to the State Governments for assisting 20 cooperative spinning mills in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra and Madhya Pradesh.

Central Assistance to increase power production in Madhya Pradesh

2776. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government have requested the Central Government for immediate assistance for implementation of a 1000 to 1500 MW thermal Power project with a view to meeting the power shortage of the State; and

(b) the reaction of the Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) No project for establishing a thermal power station of capacity 1000 to 1500 MW has been received from Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को ऋण

2777. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देने का है ।

(ख) यदि हां तो ऐसी परियोजनाओं के लिए अधिकतम कितना ऋण दिया जायेगा. ;

(ग) उन अभिकरणों के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से ऐसे ऋणों के वितरण किए जाने की संभावना है ; और

(घ) ऐसे ऋण मंजूर करने के लिए सरकार ने क्या कसौटी अपनाई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० सी जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चालू किए गए उद्यमों के वित्त पोषण के लिए औद्योगिक वित्त निगम

2778. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये उद्यमों के. जिन्हें भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाये जाने का प्रस्ताव है. वित्त पोषण के लिए औद्योगिक वित्त निगम आरम्भ करने के प्रस्ताव में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) नये औद्योगिक उद्यम प्रारम्भ करने में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के लिए सरकारी क्षेत्र निगम स्थापित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है। तथापि यह निर्णय किया गया है कि यह कार्य सरकार द्वारा स्वयं विभागीय संगठित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए कुछ ऐसे औद्योगिक नगरों में जहां भूतपूर्व सैनिक काफी संख्या में हैं, उपयुक्त संगठन स्थापित करने का प्रश्न कुछ राज्यों सरकारों के परामर्श से इस समय विचाराधीन है।

बिलासपुर में सीमेंट फैक्टरी

2779. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्टरी के बारे में 21 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न सं० 920 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि, सीमेंट फैक्टरी की स्थापना के बारे में कितनी प्रगति हुई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड बम्बई को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 4 लाख मी० टन पोर्टलैण्ड सीमेंट का उत्पादन करने के लिए एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु एक आशय पत्र सं० एल०आई० 87(76) दिनांक 10-3-76 जारी किया गया है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा नमूना सर्वेक्षण

2780. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रभावी नमूना सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की राज्यों में कोई सह-उद्देशीय इकाइयां हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान एककों के नाम क्या हैं और क्या बहु-राज्यी एककों का विभाजन किया जायेगा ताकि सम्बद्ध राज्यों में पृथक एकक हो सके?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, उनमें से अधिकांश में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्र संकार्य प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। असम, मेघालय, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केरल में इन क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्य-क्षेत्र राज्य सीमाओं के साथ सह-उद्देशीय है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल पंजाब तमिलनाडु बिहार इत्यादि जैसे बड़े राज्यों में उनके आकार के आधार पर एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नागालैण्ड में सर्वेक्षण कार्य इस समय शहरी क्षेत्रों तक सीमित होने से काम का भार बहुत कम है और इसलिए इसकी देखभाल क्षेत्रीय कार्यालय असम द्वारा की जाती है। नागालैण्ड में कार्य भार का औचित्य सिद्ध होने पर वहां एक अलग इकाई स्थापित की जाएगी। राज्यों में स्थित क्षेत्र संकार्य प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०--10719/76] इस समय इन क्षेत्रीय कार्यालयों को विभाजित करने का कोई विचार नहीं है।

नए क्षेत्रीय प्रचार एकक

2781. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 24 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1242 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी क्षेत्रीय प्रचार सुनिश्चित करने के लिए पर्वतीय और पिछड़े राज्यों में मंजूर की गई अथवा प्रस्तावित नये एककों के नाम क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में इन एककों के किन तारीखों तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1974-75 तक कुल 212 एककों में से 54 एकक हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थापित किए गए थे। उनके नाम परिशिष्ट में दिये गये हैं। 1975-76 के दौरान कुल चार एककों में से तीन एकक क्रमशः मनि (नागालैण्ड), गंगतोक (सिक्किम) और जोरेथंग (सिक्किम) में स्थापित किए गए थे।

1976-77 के दौरान, प्रस्तावित पांच एककों में से 2 एकक जुनेहेबीटो (नागालैण्ड) और सेहा (मिजोरम) में स्थापित किये जा रहे हैं।

(ख) नये एककों के चालू करने की तारीखें वाहनों और उपकरणों की उपलब्धि और कर्मचारियों की भर्ती आदि पर निर्भर करती है।

विवरण

जम्मू और काश्मीर

1. अनन्त नाग
2. कठुआ
3. बारामूला
4. जम्मू
5. कंगन
6. कारगिल
7. क्युवाड़ा
8. लेह
9. पुंछ
10. राजोरी
11. श्रीनगर
12. चद्रूरा
13. ऊधमपुर
14. बटोटे
15. शोपियान

हिमाचल प्रदेश

16. धर्मशाला
17. कल्पा
18. मंडी
19. शिमला
20. बिलासपुर

उत्तर पूर्वी राज्य

21. अगरतला
22. ऐजल
23. भूत्री

24. डिब्रूगढ़
25. गौहाटी
26. जोरहाट
27. जोवाइ
28. केलाशर
29. लुंगलेह
30. लालबाड़ी
31. लखीमपुर (उत्तर)
32. शिलांग
33. शिल्चर
34. देजबुर
35. तुरा
36. हसलोंग
37. नवगांग
38. तुराचांदपुर
39. इम्फाल
40. कोहिमा
41. त्वेनसांग
42. मोकाकचम
43. उखरुल
44. अलांग
45. अनिनी
46. बोमडीला
47. दपोरिजाओ
48. खेनसा
49. नामपोंग
50. पासीघाट
51. तवांग
52. सेपला
53. तेजू
54. जीरो

Construction of Aerodrome at Udhampur

2782. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the findings of the Court of Enquiry appointed after 1972 for going into the matter of construction of the aerodrome at Udhampur (Jammu and Kashmir);

(b) the expenditure incurred by Government on the said aerodrome and the amount outstanding for payment to contractors; and

(c) the names of the contractors whose claims relating to the construction of this aerodrome are pending indicating the amount involved in these claims and the time by which a decision is likely to be taken thereon?

The Minister of Defence (Shri Bansi Lal) : (a) A Staff Court of Inquiry, even though convened on 22nd April, 1975, was unable to complete the recording of evidence, initially due to non-availability of certain essential documents which had been sealed by the Arbitrator and subsequently because of an application filed on 28th October, 1975, in the High Court of Jammu & Kashmir by the contractor making the matter *sub-judice*.

(b) the expenditure incurred on the aerodrome upto the 31st March, 1976 is Rs. 2,93,50,800 and the amount outstanding for payment to contractors is Rs. 3,54,500.

(c) The requisite information is given in the enclosed statement.

Statement

Sl. No.	Name of the contractor	Amount of the claim of the contractor	When decision is likely to be taken thereon
1.	M/s United Builders (i) CA No. CEJK-4/72-73	Rs. 74,90,665	These claims were referred to arbitrator. He has awarded a sum of Rs. 2,95,300/- to the contractor against his claims amounting to Rs. 74,90,665/- whereas he has awarded a sum of Rs. 22,00,100/- to the Government against its claims of Rs. 36,07,130/-. The net effect of the award is that the contractor has to pay a sum of Rs. 19,04,800/- to the Government.
	(ii) CANo. GA/AF/U-3/H	(i) Rs. 19,500 (ii) Rs. 20,90,085	These amounts are in dispute. The matter has been referred to arbitration. The arbitrator's award is awaited.
2.	M/s Raja Ram & Sons CA No. CEJK/28 of 73-74	Rs. 5,000	This amount is likely to be paid in two months time.
3.	M/s Om Prakash Nargotra CA No. CEJK-25/75-76	Rs. 1,80,000	The work has not yet been completed. Payment will be made on completion of work.
4.	M/s Parasram Pachiala CA No. CWE/U/6-75-76	Rs. 1,50,000	The work has not yet been completed. Payment will be made on completion of work.

Subsidy Scheme for industrial units

2783. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** is pleased to state

(a) whether Government have extended upto March, 1976 the Subsidy Scheme for setting up new Industrial units and expansion of existing units;

(b) if so, the facts in this regard; and

(c) the number of those units which have taken advantage of this scheme for the purpose of expansion?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George): **(a) & (b)** Central Outright Grant or Subsidy Scheme, 1971 was extended upto March, 1976. It has been further extended upto March, 1977 on the existing terms and conditions.

(c) No separate record for the new units and the existing units to whom the subsidy has been paid for expansion is maintained.

Export and Import of Films

2784. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the names of the countries to which films were exported from 1974-75 and 1975-76 and the names of the countries from which films were imported by India during these years;

(b) the earnings from the films exported as well as the expenditure incurred on the films which were imported;

(c) whether it is necessary to raise the standard of the Indian films with a view to exporting them to foreign countries; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Vidya Charan Shukla): **(a) & (b)** [A statement is attached. **[Placed in the Library.** *See* **No. L.T.-10720/76)]**

(c) & (d) Indian films already enjoy a fairly good market abroad and consequently our exports have progressively increased. Earnings from export of films were approximately Rs. 5.02 crores in 1971-72; while these are expected to go up to about Rs. 8.40 crores in 1975-76. The final figures for 1975-76 are being compiled. Government encourage the production of quality films by granting loans through the Film Finance Corporation and the institution of National Awards for films etc.

आदिवासी क्षेत्रों से शराब की दुकानों का हटाया जाना

2785. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों को आदिवासी क्षेत्रों से शराब की दुकानों को हटाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विचार व्यक्त किए गए हैं तथा इस सम्बन्ध में राज्यों ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों से शराब के विक्रेताओं से प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता है; और

(घ) बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में कुल कितनी शराब की दुकानों को खोलने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं तथा राज्य मंत्रियों के पिछड़ी जातियों के कल्याण संबंधी सम्मेलन में आदिवासी क्षेत्रों से शराब की दुकानें हटाने के बारे में लिए गए निर्णय के बाद कितनी दुकानें हटाई गई हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) भारत सरकार (समाज कल्याण विभाग) ने जनवरी, 1975 में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को मार्गदर्शन जारी किये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ यह सुझाव दिया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब बेचने की ठेका-प्रणाली

समाप्त कर दी जाये। आदिवासी बमापत के क्षेत्रों में, जहां स्थानीय शराब बनाने की प्रथा अभी विद्यमान है, शराब की कोई दुकान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गैर-आदिवासियों के साथ मिश्रित आदिवासी जनसंख्या के कारण जहां यह प्रथा नहीं है, वहां शराब सरकारी दुकानों के जरिये बेची जा सकती है।

(ख) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों ने नई उत्पादन शुल्क-नीति को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। चूंकि गुजरात में और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में नशाबन्दी है अतः उनकी ओर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में शराब बेचने की ठेका-प्रणाली नहीं है। इस मामले में अन्य राज्यों के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा समेकित जन-जाति विकास परियोजनाओं के लिए परियोजना संबंधी कार्यवाही योजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना

2786. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या **गृह** मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा राज्यों को कहा गया है कि वे प्रत्येक समेकित जन-जाति विकास परियोजना के लिये परियोजना संबंधी कार्यवाही योजना प्रतिवेदन तैयार करें और निर्धारित राशि को दूसरे कार्यों में लगाने से बचाने के लिये तथा निर्धारित अवधि तक उस राशि को व्यय कर देने के लिये परियोजना क्षेत्रों के राज्य क्षेत्रीय परिव्यय, केन्द्रीय सहायता तथा संस्थागत वित्तीय सहायता का उल्लेख करें; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिये हैं और उन्हें अन्तिम रूप दे दिया है तथा मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्। 18 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जिन्होंने जन-जाति क्षेत्रों के लिये उप-योजनाएं तैयार की हैं समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं को तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) समेकित जन-जाति विकास परियोजनाओं जो राज्यों से अब तक प्राप्त हुई है तथा जिन पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है की सूची अनुलग्नक-1 में दी गई है।

विवरण

1975-76 के दौरान प्राप्त/विचार विमर्श की गई समेकित जन-जाति विकास परियोजनाएं

राज्य	समेकित जन-जाति विकास परियोजना का नाम
1	2
1. आंध्र प्रदेश	1. विशाखापट्नम्*
	2. खाम्माम*
	3. अदिलाबाद*

1	2
2. असम	—
3. बिहार	4. खूंटी*
	5. चक्रधारपुर*
•	6. सीमदेग*
4. गुजरात	7. भड़ौच*
	8. पंचमहल*
	9. सूरत-1
	10. वालसद
	11. साबरकंठ
5. हिमाचल प्रदेश	—
6. केरल	12. आट्टाप्पदी
7. कर्नाटक	—
8. मध्य प्रदेश	13. बीजापुर*
	14. पुष्पराजगढ़
	15. लखनादोन
	16. झाबवा
9. मणिपुर	17. थानलोन
	18. शीनघाट
10. महाराष्ट्र	—
11. उड़ीसा	19. कापतीपाड़ा*
	20. बोनाई*
12. राजस्थान	21. बंशवाड़ा*
	22. डूंगरपुर*
	23. प्रतापगढ़*
	24. उदयपुर*
13. त्रिपुरा	—
14. तमिलनाडु	—
15. उत्तर प्रदेश	25. लखीमपुर खेरी
16. पश्चिम बंगाल	26. बीनपुर

*तारांकित समेकित जन-जाति विकास परियोजनाओं पर सरकार द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया है तथा कुछ शर्तों के अधीन उनका अनुमोदन किया जा चुका है।

राज्यों द्वारा समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं पर व्यय

2787. **श्री गिरिधर गोमांगो**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान प्रत्येक राज्य ने समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं के लिये उप योजना क्षेत्रों में राज्य क्षेत्र परिव्यय में से कितना धन व्यय किया;

(ख) क्या राज्यों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अपने वार्षिक बजट में उप-योजना शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न विकास विभागों द्वारा निर्धारित की गई धनराशि सैक्टर-वार दिखायें; और

(ग) प्रत्येक राज्य में राज्य के अपने विभिन्न विभागों द्वारा इस शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित की गई धनराशि कुल परिव्यय की कितने प्रतिशत है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तंजाबूर जिले में लिग्नाइट निक्षेप

2788. **श्री के० लकप्पा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजाबूर जिले में मयूरन क्षेत्र में लिग्नाइट के निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) क्या निक्षेपों की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को, तंजौर जिले में मयूरम से उत्तर पश्चिम में लगभग 10 कि० मी० पर तिरुमंगलम् में ड्रिलिंग करते समय 320 मीटर से 387 मीटर की गहराई में कंकरीले रेत के साथ मिलाजुला लिग्नाइट मिला है। मयूरम रेलवे स्टेशन से सात किलोमीटर पश्चिम तथा लगभग एक किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में अधिक गहराई पर कम मोटाई के लिग्नाइट भंडारों का पता चला है। इन भंडारों की मात्रा का पता नहीं चला है।

जिला कछार के नकली स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

2789. **श्री नूरूल हुडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार के समाचार प्राप्त हुए हैं कि अनेक नकली व्यक्ति असम के कछार जिले में केन्द्र सरकार से स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन पा रहे हैं;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) असम सरकार ने मामले की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी और जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर असम सरकार ने 268 व्यक्तियों के बारे में निलंबित की गई पेंशनों को फिर से चालू करने की सिफारिश की है। शेष मामलों के बारे में असम सरकार की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

सीमा सड़क विकास योजनाएं

2790. **श्री नूरूल हुडा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आसाम राज्य में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में सीमा सड़क विकास योजनाओं के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) कितना कार्य पूरा हुआ ; और

(घ) आसाम में कछार जिले के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और उक्त जिले में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) से (ग) जहां तक असम राज्य का संबंध है सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--10721/76]** उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन करना लोक हित में नहीं है।

(घ) असम के कछार जिले में सीमा सड़क संगठन के पास केवल दो सड़कें हैं अर्थात् :--

(1) **सिलचर-जोरोघाट (40 कि० मी०)** : इस सड़क पर निर्माण कार्य के लिए 116.87 लाख रुपए की राशि स्वीकार की गई है इस पर 1975-76 के दौरान 39.86 लाख रुपए खर्च किए जाए और शेष राशि अगले दो वर्षों के दौरान खर्च करने की योजना बनाई गई है।

(2) **राष्ट्रीय मार्ग 44 का (78 कि० मी०) का बदरपुर-चुराइबाड़ीभाग** : सीमा सड़क संगठन के पास एन एच 44 का जो जवाई-बदरपुर-अगरतला भाग है वह वह तीन राज्यों अर्थात् मेघालय, असम और त्रिपुरा के बीच से गुजरता है। इस सड़क पर निर्माण कार्य के लिए मंजूरी सारी एक सड़क के रूप में ही जारी की जाती थी और जारी की जाती है और तदनुसार खर्च भी लिखा जाता है। अतः केवल कछार (असम) जिले के लिए इस सड़क के बारे में 3 वर्ष के लिए मंजूर किए गये धन और वास्तविक व्यय के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

संघ लोक सेवा आयोग की वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार

2791. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में प्रक्षालक संयंत्र

2792. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक प्रक्षालक (डिटरजेंट) संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) मैं० मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० को प्रति वर्ष 10,000 मी० टन सिन्थेटिक डिटरजेंट का उत्पादन करने की क्षमता के लिए जुलाई 1972 में एक आशय पत्र स्वीकार किया गया था। आशय पत्र में दी गई क्रियान्वयन की शर्तों को पूरा करने के लिए कोई प्रभावी अभ्युपाय न किए जाने के कारण इसे मई 1975 में व्यपगत मान लिया गया था। राज्य सरकार ने पहले के आशय पत्र के बदले में निजी क्षेत्र के एक एकक को स्वीकृति देने की सिफारिश की है। यह सिफारिश विचाराधीन है।

बड़े व्यापारिक घरानों विषयक सरकार आयोग

2793. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :**
श्री मधु दंडवते :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े व्यापारिक घरानों के मामलों की जांच के लिए सरकार आयोग की नियुक्ति किस तिथि को गई थी और उसके निर्देश पद क्या हैं ;

(ख) क्या आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस आयोग पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) बड़े औद्योगिक गृहों के जांच आयोग की स्थापना 18 फरवरी, 1970 को की गई थी। आयोग के विचारार्थ विषयों की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 10722/76]**

(ख) जी, नहीं।

(ग) बिड़ला समूह की 26 कम्पनियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है तथा एक आन्तरिक स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसके अनुसार आयोग द्वारा इन कम्पनियों के कार्यों की जांच करने पर रोक लगा दी गई है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी कमीशन के विचारार्थ विषयों की अनुसूची ग की मद संख्या 5 में उल्लिखित बीमा कम्पनियों के कार्यों की जांच के बारे में भी स्थगन आदेश जारी किए हैं। जांच कमीशन को सौंपे गए अनेक मदों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आयोग को कमीशन आफ इन्कवायरी अधिनियम और नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, वह तारीख बता सकना सम्भव नहीं है जब तक आयोग द्वारा अपना कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा की जा सके।

(घ) प्रारम्भ से 31 मार्च, 1976 तक आयोग पर 1,05,78,154 रु० खर्च हुए हैं।

बिहार में सुपर तापीय विद्युत केन्द्र

2794. **श्री शिव पूजन शास्त्री :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में एक सुपर तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) इसे कब स्थापित करने तथा चालू करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को उपग्रह टेलीविजन के प्रभाव के संबंध में जारी किए गए अनुदेश

2795. **श्री शिव पूजन शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों ने देश के 2400 गांवों में उपग्रह टेलीविजन के प्रभाव के अनुवर्तन के संबंध में क्या उपाय किए हैं ; और

(ख) केन्द्र सरकार ने इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों को क्या अनुदेश जारी किए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग को सफल बनाने के लिए 6 राज्यों अर्थात् राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम किया है। प्रत्येक राज्य सरकार ने एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल स्थापित किया है। इनका प्राथमिक काम प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों के लिए प्रातः कालीन कार्यक्रमों के प्रभाव का परीक्षण करना है। राज्य सरकारें कृषि कार्यक्रमों पर विशेष लीफलेट जारी करती रही है। राज्यों के अधिकारी सामूहिक चर्चा करने के लिए कुछ चुनींदा ग्रामों में जाते रहे हैं। राज्यों के राज्य परिवार नियोजन कार्यालय भी ग्राम समूहों में 'साइट' कार्यक्रमों के प्रभाव का लाभ उठाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच गहरा संपर्क है और सभी संबंधितों को आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं।

राज्य जिला और ब्लाक स्तरों पर 20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए तन्त्र की व्यवस्था

2796. **श्री बाल कृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर 20-सूत्री कार्यक्रम के पूर्ण परिवीक्षण के लिये किसी तन्त्र की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त तन्त्र का स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या सम्बद्ध जिलों और ब्लाकों से आने वाले संसद् सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों का उपयुक्त तन्त्र से सम्बन्ध होगा और यदि हां, तो किस हैसियत में?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शंकर घोष) : (क) से (ग) 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के विषय विशेष रूप से वे विषय जिन पर वित्तीय निवेश करना वांछित है, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के अभिन्न अंग हैं। भारत सरकार इन कार्यक्रमों पर पूरा ध्यान रखती है, और वार्षिक योजनाओं के साथ-साथ इनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखती है।

राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने जो इस कार्यक्रम के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं, इसके कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए राज्य और जिला/तालुका स्तर पर समितियां गठित की हैं। कई संसद् सदस्य तथा विधान सभा सदस्य भी इन समितियों से सम्बन्धित हैं।

भारतीय अन्तरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट

2797. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय अन्तरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लगभग कितने समय में खण्डित हो जायेगा ;

(ख) क्या इस बीच एक अन्य उपग्रह छोड़ने का प्रस्ताव है ; और

(ग) देश में बने राकेटों से कितने समय तक देश में ही बने उपग्रह अन्तरिक्ष में छोड़े जा सकेंगे ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इस बारे में कोई भी सही भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, किन्तु इस बात की पूरी सम्भावना है कि यह उपग्रह खंडित होने से पहले 8-9 वर्ष तक चक्कर काटता रहेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) सन् 1978 के अन्त तक।

देश को भौगोलिक और जन-सांख्यिकीय जोनों में विभाजित करने की योजना

2798. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक इकाइयों जैसे भाषायी राज्यों की अपेक्षा भौगोलिक दृष्टि से संलग्न और समरूप जोनों को प्राथमिकत्ता देने की योजना बनाने का कोई प्रयास किया गया ;

(ख) यदि हां, तो देश को कितने तथा किस प्रकार के जोनों अथवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या देश को वैज्ञानिक रूप से भौगोलिक और जनसांख्यिकीय जोनों में विभाजित करने तथा राज्य योजनाओं की अपेक्षा सूक्ष्म आयोजना (माइक्रो प्लानिंग) को जोनल योजनाओं तक सीमति रखने के लिए कोई कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) यद्यपि योजनाएं सामान्य रूप से राज्यवार तैयार की जाती हैं, तथापि कुछेक मामलों में राज्य स्तर पर योजनाएं तैयार करने में सुस्पष्ट संसाधन वाले क्षेत्रों और उनमें परियोजना विकास संभावनाओं को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है।

गैर-मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कष्ट

2799. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय प्रतिबन्ध के कारण गैर-मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजतियों के लोगों को शिक्षा, अर्थ तथा राजनीति के क्षेत्रों में अनेक वर्षों से भारी हानि होती रही है ;

(ख) क्या 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल जनजाति कल्याण योजनाओं में भी उन जनजातियों की ओर ध्यान दिया गया है जो अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर रहती है ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी योजना क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कुछ राज्यों के बारे में, अनुसूचित जन जातियों को राज्य के कुछ क्षेत्रों में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिये कुछ योजनाएं केवल उन्हीं समुदायों के लिये हैं जो अनुसूची में सम्मिलित हैं। फिर भी, बड़ी संख्या में कार्यक्रम जो समुदाय के कमज़ोर वर्गों के लिये हैं, सभी वर्गों के लाभकारी हैं चाहे वे अनुसूची में हैं अथवा नहीं।

(ख) तथा (ग) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लाभ अनुसूचित क्षेत्रों में अथवा बाहर वाले आदिवासियों के लिये समान हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य योजनाएं जिनसे विशेषरूप से अनुसूचित जनजातियों को लाभ होगा, निम्नलिखित हैं —

(1) कृषि भूमि की अधिकतम सीमा का कार्यान्वियन और फालतू भूमि का तेजी से वितरण तथा भूमि अभिलेखों का संकलन।

(2) भूमिहीनों तथा कमज़ोर वर्गों के लिये आवास-स्थलों की व्यवस्था को तेज करना।

(3) बन्धक मजदूर जहां कहीं भी है, को अवैध घोषित करना।

(4) ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करने के लिये योजना/भूमिहीन मजदूरों छोटे किसानों और दस्तकारों से ऋण की वसूली पर अधिस्थगन के लिये कानून।

हरियाणा में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने सम्बन्धी योजना

2800. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में हरियाणा राज्य में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की किसी योजना को मंज़ूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसकी क्रियान्विति कब तक की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) अन्य राज्यों के समान ही हरियाणा राज्य में शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार के अवसर प्राथमिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों के योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के माध्यम से उपलब्ध किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उस राज्य की 1976-77 की वार्षिक योजना में लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत 2 लाख रु० के परिव्यय से दो स्कीमें भी स्वीकार की गई थीं। राज्य के प्रस्तावों के अनुसार इन स्कीमों का लक्ष्य तकनीकी उद्यमियों और शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को वांछित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना है। इन स्कीमों को 1976-77 में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। इन स्कीमों को स्वीकार कर लिया गया।

ब्रेथवेट एंड कम्पनी, कलकत्ता के पास पड़े हुए क्रयादेश

2801. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे रक :

(क) क्या ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता को, जो एक सरकारी उपक्रम है क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं ;

(ख) उक्त कम्पनी को रेल के मालडिब्बों के लिए क्रयादेशों की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विविधिकरण की दृष्टि से उसे आर्मी रोड ट्रेलर्स के निर्माण हेतु क्रयादेश दिये गये हैं; और

(घ) सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त कम्पनी को पर्याप्त क्रय-देश प्राप्त हों, और उसका उत्पादन कम न हो?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में क्रयादेश स्थिति अपर्याप्त है।

(ख) वैगन क्रयादेश का साईज इस उद्देश्य के लिए आवंटित किए गए बजट पर निर्भर करता है।

(ग) ट्रेलरों के क्रयादेश से कुछ अंश तक क्षमता की पूर्ति होगी।

(घ) रेलवे वैगन क्रयादेशों अंशों को छोड़कर, आज तक कम्पनी को 20 करोड़ रु० के मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हो चुके हैं। कम्पनी अपने उत्पाद-मिश्र का विविधीकरण करने का अथक प्रयत्न कर रही है, ताकि रक्षा ट्रेलरों, कोल हेंन्डलिंग प्लांट्स, डीजल रेल क्रेनों तथा स्टील आर एंड के संयंत्रों के लिए लेडल क्रेनों तथा जूट उद्योग के लिए स्पिनिंग और ड्राइंग क्रेनों का निर्माण भी किया जा सके।

कोहिमा में सैनिक ट्रक दुर्घटना

2802. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहिमा में 10 मार्च, 1976 को हुई एक ट्रक दुर्घटना में आठ सैनिक कर्मचारी घटना-स्थल पर ही मर गये थे। और अन्य आठ गम्भीर रूप से घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे और घायलों तथा मृतकों के निकट सम्बन्धियों को कितनी-कितनी राशि दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का विधवाओं को उपयुक्त रोजगार देने और मृतकों के बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता देने का कोई प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल): (क) से (ग)

1. 9 मार्च, 1976 को चाकाबामा-कोहिमा सड़क पर जो मोटर दुर्घटना हुई थी उसमें सात सेना कार्मिक मारे गये थे और अन्य नौ सेना कार्मिक जख्मी हो गये थे।

2.1 दुर्घटना उस समय हुई जबकि मोटरगाड़ी तेज मोड़ ले रही थी। दुर्घटना का सही कारण अज्ञात है क्योंकि मोटर गाड़ी के चालक की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई थी। तथापि, एक जांच-अदालत चल रही है।

2.2 यदि मृत्यु सैनिक सेवा के कारण पाई गई तो जो व्यक्ति दुर्घटना में मारे गये थे उनकी विधवाएं अथवा निकटतम सम्बन्धी विशेष पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे। यह जांच अदालत के निष्कर्ष उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही निश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वे आर्मी ग्रुप बीमा योजना से 5,000 रुपए पाने के भी पात्र होंगे। वस्तुतः यह राशि तीनों मामलों में पहले ही दे दी गई है।

2.3 जो व्यक्ति जख्मी हो गये थे वे सामान्य रूप से निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं/उपचार के पात्र हैं।

3.1 सशस्त्र सेनाओं का जो सदस्य कार्य करते हुए ड्यूटी पर मर जाता है अथवा युद्ध में मर जाता है अथवा विकलांग हो जाता है उसकी पत्नी/पुत्र/पुत्री/नजदीकी सम्बन्धी को रोजगार सहायता देने के लिए अनुदेश पहले ही विद्यमान हैं।

3.2 जिन मामलों में मृत्यु सैनिक सेवा पर आरोग्य ठहराई जाती है उन मामलों में मृत व्यक्ति का परिवार पेंशन की मात्रा के आधार पर शिशु भत्ता पाने का भी पात्र है।

देवलबेरी कोयला खान में दुर्घटना

2803. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, तलचर की देवलबेरी कोयला खान में छत का एक भाग गिरने से दिनांक 15 मार्च, 1976 को दुर्घटना में एक माल चढ़ाने वाला व्यक्ति मारा गया ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उसके उत्तराधिकारी को कोई मुआवजा दिया गया है तथा मृतक के आश्रितों की शिक्षा के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० को देवलबेरी कोयला खान में 5-3-1976 को हुई दुर्घटना में श्री मिठु नायक नाम का एक लदान मजदूर बुरी तरह घायल होकर मर गया। यह दुर्घटना 2/2 फीट × 1/1 फीट आकार के कोयले के टुकड़ा गिरने से हुई जो छत की डाट के यकायक शिथिल हो जाने के फलस्वरूप गिर पड़ा था।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पन-बिजली का पूरा उपयोग

2804. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हमारे पन-बिजली साधनों से 27,000 मेगावाट से 43,000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा सकती है और हम उसका लगभग 20 प्रतिशत ही उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने हमारी पन-बिजली का पूरा-पूरा उपयोग करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) उपलब्ध जल वैज्ञानिक और स्थलाकृतिक आंकड़ों पर आधारित एक प्रारम्भिक जल विद्युत सर्वेक्षण से 60 प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग 42 मिलियन किलोवाट की जल-विद्युत् संभाव्यता का पता चला है। जिन स्कीमों का कार्यान्वियन इस समय चल रहा है उनसे इस मंत्रालय के 25 प्रतिशत से अधिक का उपयोग होने लगेगा ।

विद्युत् परियोजनाओं का चयन किसी विशेष क्षेत्र की विद्युत् संबंधी मांगों और पारेषण की आवश्यकताओं और अन्य तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक परियोजनाओं की सापेक्षिक आर्थिक मितव्ययता और लागत संबंधी लाभों के आधार पर किया जाता है।

उक्त मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जल विद्युत् संभाव्यता का विकास करने का प्रस्ताव है ।

सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा श्रमिकों की छंटनी

2805. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री रानेन सेन :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोल फील्ड्ज़ लिमिटेड ने भिन्न-भिन्न कोयला खानों में काम कर रहे लगभग 5000 व्यक्तियों की छंटनी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जी नहीं।

ठेका मजदूर (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी शनैः-शनैः वर्जित क्षेत्रों में ठेका-मजदूरों को काम पर लगाने की प्रथा समाप्त कर रही है। इस कार्रवाई से ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कुछ मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं।

नारियल जटा उद्योग की समस्याओं के बारे में समिति

2806. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री० पी० गंगा रेड्डी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नारियल जटा उद्योग की समस्याओं की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और सरकार को किस तारीख के आसपास रिपोर्ट मिल जाने की आशा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल से जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं आशा की जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट 30 जून, 1976 तक प्रस्तुत कर देगा।

1. श्री बी० शिवारमन्, — अध्यक्ष
   सदस्य, योजना आयोग।
2. श्री ए० पी० वी० कृष्णन — सदस्य
   अवर सचिव तथा उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के एकीकृत वित्तीय सलाहकार।
3. संयुक्त सचिव (कयर के प्रभारी) — सदस्य
   उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय।

4. श्री के० माधवदास, सदस्य
चीफ आफीसर,
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया,
एग्रीकल्चरल क्रैडिट डिपार्टमेंट, बम्बई ।

5. केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी । सदस्य

6. वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी । सदस्य

7. अध्यक्ष, कयर बोर्ड, कोचीन । सदस्य-सचिव ।

सरकार ने अध्ययन दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 30 जून, 1976 निश्चित की है।

Loans by Industrial Development Corporation

2807. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether Board of Directors of the Industrial Development Corporation has taken a decision to give loans worth Rupees 5 crores and 94 lakhs for 11 schemes of various States in the country in which Bihar has not been included; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya):

(a) There is no all-India Financial Institution functioning under the style "Industrial Development Corporation". As such, it is not clear as to which institution and also which scheme the question refers.

(b) Does not arise.

दक्षता अवरोध के मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए अनुदेश जारी करना

2808. **श्री छत्रपति अम्बेश : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय के कोई अनुदेश जारी किये गये हैं कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में विचाराधीन दक्षता अवरोध के मामलों को अन्तिम रूप देने के लिये सरल मार्ग अपनाया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग को सिफारिश के अनुसरण में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा दक्षता रोध पार करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किये हैं । उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-10723/76]

कोलाघाट (पश्चिम बंगाल) में बिजली घर

2809. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल विधान-सभा में "विद्युत् मंत्री" द्वारा दिये गये हाल ही के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कोलाघाट (पश्चिम बंगाल) में स्थापित किये जाने वाले बिजली घर की स्थिति केन्द्र द्वारा धन का आबंटन न किये जाने के कारण अनिश्चित है; और

(ख) यदि हां, तो पहले के निर्धारित समय के अनुसार कोलाघाट बिजली घर को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के विद्युत् मंत्री ने इस आशय का वक्तव्य दिया था कि धन की कमी के कारण कोलाघाट ताप-विद्युत् परियोजना तनिक अनिश्चित स्थिति से गुजर रही है।

(ख) विद्युत् परियोजनाओं को धन राज्य योजना से दिया जाता है और केन्द्रीय सहायता समूची राज्य योजना के लिये दी जाती है। पश्चिम बंगाल की 1976-77 की वार्षिक योजना में, कोलाघाट परियोजना के लिये भी कुछ धन-व्यवस्था की गई है।

तलचेर में "फार्म्ड कोक प्रोजेक्ट"

2810. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलचेर में निम्न तापीय कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना के अतिरिक्त एक "फार्म्ड कोक प्रोजेक्ट" भी स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने तालचेर (उड़ीसा) में 88,000 टन वार्षिक क्षमता वाला एक फार्म्ड कोक संयंत्र के निर्माण की मंजूरी दे दी है जो केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद द्वारा विकसित प्रक्रिया पर आधारित अनुसंधान व विकास प्रोजैक्ट के रूप में होगा।

(ग) संयंत्र का निर्माण चल रहा है। इसके पांचवीं योजना अवधि में पूरा हो जाने की आशा है।

कोयले की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर

2811. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में कोयले की मांग तथा उसकी सप्लाई के बीच वास्तविक अन्तर कितने टन का है; और

(ख) उपभोक्ताओं तथा लघु क्षेत्र को कोयले की सप्लाई की प्रक्रिया में क्या विशिष्ट सुधार किये गये हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1975-76 के दौरान कोयले की मांग शुरू में 990 लाख टन आंकी गयी थी, किन्तु, जब वर्ष के दौरान कोयले की पूर्ति में सुधार हो गया, तो अधिकांश बड़े उपभोक्ताओं ने अपनी मांग में कटौती करना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप -कोयले की पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो गई। कुल खरीद में लगभग 45 लाख टन की कमी हुई।

(ख) कोल इंडिया लि० द्वारा कोयले की वितरण में सुधार करने और प्रत्येक विपणन क्षेत्र का कोल इंडिया लि० को किसी खास सहायक कम्पनी के साथ जोड़कर देश को पांच विपणन क्षेत्रों में बांटे जाने के निर्णय से कोयले की उपलब्धि मांग से सदैव अधिक रहने की आशा है।

कोयला उत्पादन कार्यक्रम

2812. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये कोयला उत्पादन कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के मसौदे में कोयला कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978-79 तक 1350 लाख टन कोयला उत्पादन की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम में कोल इंडिया लि० का 1205 लाख टन, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० का 100 लाख टन तथा टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०/इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० का 45 लाख टन योगदान होगा। कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

सरकार द्वारा अभी पांचवीं योजना मसौदे पर अन्तिम निर्णय लिया जाना है। पांचवीं योजना के प्रथम 2 वर्षों में कोयले का उत्पादन निम्नलिखित रहा :—

1974-75 . . .	884 लाख टन
1975-76	. 998.80 लाख टन

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए राजसहायता का उपयोग

2813. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कभी कोई जांच और अध्ययन किया गया है कि कुछ राज्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये दी गई राजसहायता का उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं; और

(ख) उक्त अध्ययन के क्या परिणाम हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : : (क) यह सच है कि कुछ राज्यों ने राज सहायता के रूप में अधिक राशि निकाली है और कुछ राज्यों ने अपेक्षाकृत कम राशि निकाली है। कुछ राज्यों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये कम राशि निकाले जाने का क्या कारण है इसका कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में लाइसेंसों का हस्तांतरण

2814. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में कितने लाइसेंसधारियों को अन्य क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी गई है जब कि उन्हें लाइसेंस पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये दिये गये थे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अपनी परियोजना के स्थापना स्थल में परिवर्तन करने के इच्छुक लाइसेंसधारी को रजिस्ट्रेशन एण्ड लाइसेंसिंग आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्स रूल्स के अधीन निर्धारित फार्म पर आवेदन करना होता है। ऐसे आवेदन औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय को भेजने होते हैं। ऐसे आवेदनों की प्राप्ति और निपटान संबंधी केन्द्रित जानकारी केवल 1 नवम्बर, 1974 से ही रखी जा रही है। नवम्बर, 1974 से मार्च 1976 की अवधि में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में इस अवधि में प्राप्त पिछड़े क्षेत्र से गैर पिछड़े क्षेत्र में स्थापना स्थल के परिवर्तन के लिये निर्धारित फार्म पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाइसेंसिंग समिति द्वारा किसी भी मामले में स्वीकृति नहीं दी गई है ।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं

2815. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें हैं; और

(ख) उनके कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) देश में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या 111 है ।

(ख) मार्च, 1975 के अन्त तक 63,578 औद्योगिक एककों को सहायता दी गई है जिससे 2,84,788 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इन एककों में कुल 75.26 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जिसमें 38.92 करोड़ रुपये अचल निवेश और 36.34 करोड़ रुपय कार्यकारी पूंजी के रूप में लगे हैं । 1974-75 की अवधि में इन एककों में हुए उत्पादन का सकल मूल्य 96.43 करोड़ रुपये रहा है ।

भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा रेडियो सेटों का निर्माण

2817. **श्री वयालार रवि** : क्या **इलेक्ट्रानिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रेडियो सैटों का निर्माण करने वाली विदेशी कम्पनियां कौन-कौन सी हैं और उनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में उन्होंने कुल कितने रेडियो सैट बनाये और उनका कम्पनी-वार ब्योरा क्या है, और

(ग) यह अनुमति उत्पादन से कितना अधिक है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न अनुबन्ध में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०-10724/76]

(ग) केवल मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड जिनके पास उनके कलकत्ता स्थित फैक्ट्री में 60,000 रेडियो सैट बनाने की लाइसेंसशुदा क्षमता है, ने अनुबन्ध में दर्शाए गये आंकड़ों के अनुसार इस सीमा को पार कर लिया है । तथापि सरकार ने मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को अपने कलकत्ता

स्थित फैक्ट्री में इस शर्त पर प्रति वर्ष 300,000 रेडियो सैट बनाने की मंजूरी दी है कि उन्हें अपने पूना तथा कलकत्ता फैक्टरियों में रेडियो सैटों के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत तो अवश्य ही निर्यात करना पड़ेगा (और इस प्रकार वे वहीं अपने वर्तमान उत्पादन को नियमित कर लें)।

भारतीय फर्मों के सहयोग से विदेशी फर्मों द्वारा संगणकों का निर्माण

2818. **श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी** : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संगणकों के निर्माण करने हेतु पर्याप्त जानकारी है ;

(ख) क्या आई० बी० एम० के अतिरिक्त कुछ अन्य विदेशी फर्मों ने भारतीय फर्मों के सहयोग से संगणकों का निर्माण करने की पेशकश की है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं और भारत किस समय तक इनका निर्माण करने में समर्थ हो सकता है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में संगणकों को किराये पर लेने अथवा उनका आयात करने पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ, कुछ किस्म के छोटे और मध्यम आकार वाली प्रणालियों के संबंध में।

(ख) और (ग) एक औद्योगिक लाइसेंस के अंतर्गत ब्रिटेन की आई० सी० एल० कम्पनी इंटरनेशनल कम्प्यूटर इंडियन मैन्यूफैक्चर लिमिटेड के माध्यम से आई० सी० एल-1901 अभिकलित्र प्रणाली का भारत में निर्माण कर रही है। उन्होंने अब और परिष्कृत प्रणाली के निर्माण कभी प्रस्ताव रखा है। बरोज इनकारपोरेशन, अमरीका ने एक भारतीय कम्पनी के सहयोग से तथा निर्यातोन्मुखी आधार पर अभिकलित्रों के उपान्त उपस्करों (पेरीफेरल्स) तथा उप-प्रणालियों और साथ ही अभिकलित्र की यंततर-सामग्री (साफ्टवेयर) के निर्माण की पेशकश की है।

भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड 1970 से देशी डिजाइनों की अभिकलित्र (कम्प्यूटर) प्रणालियों का निर्माण कर रहे हैं। अब तक इस सरकारी क्षेत्र की कंपनी द्वारा विनिर्मित 69 अभिकलित्र देश में ही विभिन्न प्रयोक्ताओं को बेचे गए हैं। वर्ष 1975 में कुछ उद्यमकर्ताओं को देशी तकनीकी जानकारी के आधार पर लघुकाय संसाधित्रों (मिनी-प्रोसैसर्स) तथा लघुकाय अभिकलित्र प्रणालियों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान किये गए हैं। यह आशा की जाती है कि चालू योजनावधि के अन्त तक, देश लघुकाय अभिकलित्रों तथा छोटे एवं मध्यम रेंज के अभिकलित्रों, जिनमें उनसे सम्बद्ध उपान्त उपस्कर (पेरीफेरल्स) तथा यंत्रेतर सामग्री शामिल है, की आवश्यकताओं के बारे में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

(घ) गत तीन वर्षों में अभिकलित्रों के आयात पर तथा साथ ही आई० बी० एम० और आई० पी० एल० से किराये पर लिये गये अभिकलित्रों पर लगभग 33.86 करोड़ रुपया खर्च किया गया।

रक्षा सम्बन्धी साज-सामान की सप्लाई

2819. **श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ ने हाल ही में दिल्ली में रक्षा संबंधी साज-सामान की सप्लाई सम्बन्धी एक गोष्ठी (वर्कशाप) का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी में क्या मुख्य सिफारिशें की गईं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी इंजीनियरिंग एककों में कुल कितने मूल्य के रक्षा उत्पादों का निर्माण किया गया ; और

(घ) क्या रक्षा अधिकारियों ने ऐसे उत्पादों की किस्म को नियंत्रित करने के लिये अपने मानक तैयार किये हैं ; और यदि हां, तो इस मामले में गैर सरकारी क्षेत्र का कार्यकरण कैसा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल गाडगिल) : (क) भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ ने रक्षा सम्बंधी साज-सामान की सप्लाई सम्बन्धी एक गोष्ठी का 4-12-75 को कलकत्ता में आयोजन किया था ।

(ख) उस गोष्ठी में जो मुख्य सिफारिशें की गई वे निम्नांकित हैं :

(1) रक्षा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों इन्जीनियरिंग उद्योगों को और अधिक काम में लाया जाना चाहिए। उद्योग ने अपनी ओर से सामान सप्लाई करने (डिलिवरिज) में सुधार लाने की आवश्यकता को स्वीकार किया ।

(2) रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में उद्योग को पर्याप्त सूचना मिलती रहनी चाहिए। संघ और रक्षा पूर्ति विभाग के अधीन तकनीकी समितियों के प्रतिनिधियों के संयुक्त कार्यकारी दल को समय-समय पर उन मदों,का पुनरीक्षण करना चाहिए जिन के स्वदेशीकरण की आवश्यकता है ।

(3) रक्षा स्टोरों के स्वदेशीकरण में जो फर्म महत्वपूर्ण प्रयत्न करती हैं उनके लिए पुरस्कार प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

(4) माल की किस्म और उत्पादन विश्वसनीयता के लिए अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के विचार से रक्षा निरीक्षण संगठन द्वारा जो किस्म नियन्त्रण प्रणालियां तैयार की गई हैं उन्हें स्थापित करने के लिए उद्योग को कार्रवाई करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए रक्षा निरीक्षण संगठन द्वारा सप्लाईकर्ताओं की तकनीकी दक्षता का विस्तार से मूल्यांकन करना चाहिए ।

(ग) निजी क्षेत्र इंजीनियरिंग उद्योग में निर्मित रक्षा स्टोरों के मूल्य के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते । तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा पूर्ति विभाग द्वारा निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र इंजीनियरिंग तथा अन्य यूनिटों को भी जितने मूल्यों के आर्डर दिए गये और सप्लाई प्राप्त हुई वे निम्नांकित हैं :—

रुपए करोड़ों में

	दिए गए आर्डरों का मूल्य	प्राप्त सप्लाई का मूल्य
1973-74	21.05	20.01
1974-75	47.11	22.05
1975-76	55.00	34.00

(घ) इंजीनियरिंग और अन्य उत्पादनों के किस्म नियन्त्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) लागू करने के लिए रक्षा निरीक्षण संगठन ने मानक तैयार किए हैं । सब मिलाकर, निजी क्षेत्र का कार्य सन्तोषजनक है ।

समाचार पत्रों को बड़े व्यापार-गृहों के प्रभाव से मुक्त करना

2820. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में आपात स्थिति की घोषणा के बाद बदली हुई नई स्थिति की पृष्ठभूमि में समाचार पत्रों को बड़े व्यापार गृहों के प्रभाव से मुक्त करने के प्रश्न पर कोई निर्णय किया है ।

(ख) यदि नहीं, तो क्या समाचार पत्रों के स्वामित्व का पुनर्गठन करने के लिये कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) समाचार पत्रों को मालिकाना नियंत्रण से असम्बद्ध करने का उद्देश्य यह है कि समाचार पत्रों की ओर से एक आचार संहिता लागू की जाय । इस उद्देश्य की कुछ सीमा तक पूर्ति हाल ही में बनाये गये कानूनों के माध्यम से होने की उम्मीद है । इसके अतिरिक्त, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में संशोधन विचाराधीन है । इन से भी सम्पादकीय नीति पर मालिकों के संभाव्य अवांछनीय प्रभाव का प्रतिकार हो सकेगा । तथापि, इस बारे में भारत के समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों के परामर्श से तथा अनुज्ञेय संवैधानिक और कानूनी [illegible] के भीतर आगे विचार किया जाता है ।

[illegible]

2821. **श्रीमती [illegible]** : क्या [illegible] यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि [illegible] में [illegible] में प्रवेश करने पर हरिजनों पर जुर्माना किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

संगणक लगाना

2822. **श्री के० मालन्ना** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने संगणक लगाये गये हैं ; और

(ख) उनमें कितने संगणक देशीय और कितने विदेशी है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 314

(ख) उपर्युक्त संस्था में से, जिनमें कोई यूनिट रिकार्ड मशीनें सम्मिलित नहीं हैं, 191 अभिकलित्र (कम्प्यूटर) देश में ही बने हैं। 69 अभिकलित्रों का निर्माण भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड नामक सरकारी क्षेत्र के उद्यम द्वारा किया गया है। 25 अभिकलित्रों का निर्माण यहाँ इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स इंडियन मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है जो एक 60 प्रतिशत विदेशी साम्या पूंजी (ईक्विटी) की कंपनी है, जबकि 95 अभिकलित्रों की पूर्ति आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन की भारतीय शाखा द्वारा उन अभिकलित्रों का भारत में परिमार्जन करके की गयी है, जो "जहाँ हैं जैसी हैं" के आधार पर आयात किए गए थे। दो अन्य अभिकलित्रों की डिजाइन और उनकी संरचना अनुसंधान एवं विकास संगठनों द्वारा देश में ही तैयार की गयी है। शेष 123 अभिकलित्रों का आयात किया गया है।

प्रिंटिंग पेपर का उत्पादन

2823. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में सफेद प्रिंटिंग पेपर के उत्पादन के लिए देश में पेपर निर्माता एककों ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ख) उन एककों के एककवार, नाम क्या है जिन्होंने अब तक लक्ष्य पूरा नहीं किया है, उनका वास्तविक उत्पादन कितना है और इनके उत्पादन में कमी के कारण क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) कागज उत्पादक एककों के लिए 1974-75 में छपाई के सफेद कागज का उत्पादन करने हेतु अलग-अलग कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। समग्र कागज उद्योग ने शिक्षा क्षेत्र और सरकारी विभागों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 2,750 रु० प्रति मी० टन की रियायती दर पर प्रति वर्ष 2 लाख मी० टन छपाई का सफेद कागज उपलब्ध कराने की सहमति दी थी। सम्भरण और निपटान के महानिदेशालय द्वारा बताई गई सरकारी विभागों की सफेद छपाई के कागज की आवश्यकता के आधार पर तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की शिक्षा क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए किए गए आबंटन के आधार पर कागज उद्योग की संयुक्त समिति द्वारा रियायती दर पर छपाई के सफेद कागज का सम्भरण करने के लिए मिलवार नियतन किया जा रहा था। इस योजना के लागू होने के पश्चात् सरकारी विभागों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की शिक्षा क्षेत्र की सफेद छपाई के सफेद कागज की आवश्यकता की पूर्ति, कागज उद्योग द्वारा सम्भारित किए गये कागज से समग्र रूप में की गई है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास क्रयादेश

2824. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1976 के अन्त में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बुक किए क्रयादेशों की स्थिति क्या थी ;

(ख) यदि कोई निर्यात क्रयादेश हैं, तो उनके संबंध में तथ्य क्या है ;

(ग) वर्तमान उपयोग क्षमता के स्तर पर बाकी क्रयादेशों को पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) तत्पश्चात् उत्पादन कार्य जारी रखने की क्या सम्भावनाएं हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मार्च, 1976 के अंत तक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को उत्पादन करने वाले एककों द्वारा लगभग 800 करोड़ रु० के कुल मूल्य के क्रयादेश पूरे किए जाने हैं।

(ख) मार्च 1976 के अंत तक बकाया निर्यात क्रयादेशों का मूल्य लगभग 20 करोड़ रु० है। इसके अतिरिक्त, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास भारत में आई० डी० ए० द्वारा विन घोषित कार्यों के लिए लगभग 33 करोड़ रु० का क्रयादेश है।

(ग) वर्तमान उत्पादन रुख को देखते हुए अनिर्णीत क्रयादेश लगभग 18 महीने में पूरे हो जाएंगे।

(घ) सरकार द्वारा नई योजनाओं के लिए धन के आबंटन की गति को ध्यान में रखते हुए विद्युत जनित्रण उपकरणों के निर्माण के लिए सभी निर्माण केन्द्रों में उत्पादन को बनाए रखने की संभावनायें बहुत उत्साहवर्धक नहीं समझी जा सकती।

शोलापुर में एक प्रसारण केन्द्र की स्थापना

2825. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोलापुर में एक प्रसारण केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) उक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हाथ में लेना सम्भव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखानों की स्थापना

2826. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में सीमेंट के नये कारखाने स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के सम्बध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या वर्तमान कम मांग देखते हुए किसी प्रस्ताव को छोड़ने के बारे में पुनर्विचार किया जा रहा है **और** ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) एक विवरण सलंग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--10725/76]**

ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1976-77 के लिए वार्षिक योजना प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाना

2827. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति भविष्य के लिए योजना बनाने हेतु अनुकूल है ;

(ख) यदि हां, तो चालू योजना प्रारूप को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को निश्चित वित्तीय सहायता का आश्वासन देकर वर्ष 1976-77 के लिए योजना पर कार्य करने का संकेत दे दिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) जी, हां ।

(ख) 1976-77 की वार्षिक योजना के दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे लोक सभा के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

(ग) राज्यों की 1976-77 की वार्षिक योजनाओं के लिए आबंटनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और राज्य सरकारों ने 1 अप्रैल, 1976 से अपनी-अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है ।

विद्युत प्रजनन को बढ़ाने के लिए समिति की नियुक्ति

2828. **डा० के० एल० राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980, 1990 और 2000ईसवी में विद्युत् प्रजनन के लक्ष्य क्या हैं ;

(ख) यदि विद्युत् का अतिरिक्त उत्पादन करने की वर्तमान दर अपर्याप्त है तो इन दशकों के महत्वपूर्ण वर्षों में विद्युत् की कमी दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि विद्युत् शक्ति समृद्धि की प्राप्ति और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का सर्वोत्तम साधन हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धन सहित अनेक प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए विद्युत् प्रजनन बढ़ाने के लिये व्यावहारिक सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विद्युत् उत्पादन के लक्ष्य केवल एक योजनावधि के लिए ही निर्धारित किए जाते हैं और इसलिए सन् 1980, 1990 तथा 2000 के लिए अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । तथापि 1990-91 तक के लिए विद्युत् की मांग का अनुमान ईंधन नीति समिति की रिपोर्ट में लगाया गया है । इन अनुमानों के अनुसार, विद्युत् उत्पादन की कुल आवश्यकता 1983-84 में 198.8 और 211 बिलियन यूनिट के बीच तथा 1990-91 में 385 और 398 बिलियन यूनिट के बीच होगी ।

(ख) भविष्य में विद्युत् की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित मुख्य कदम उठाने की आवश्यकता होगी :—

(1) भविष्य में विद्युत् की मांग का सही-सही अनुमान लगाना ।

(2) अनुमानित मांग के अनुसार और परियोजना पूरी होने की अवधि को ध्यान में रखते हुए विद्युत् उत्पादन के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वियन करना ।

(3) परियोजनाओं का अनुसूची के अनुसार कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए धन, सामग्री और प्रबंध व्यवस्था संबंधी निवेश की उचित व्यवस्था करना ।

(4) अपेक्षित पारेषण और वितरण के लिए आवश्यक व्यवस्था करना तथा एकीकृत प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(ग) आर्थिक विकास के लिए विद्युत् ऊर्जा की उपलब्धता को एक आवश्यक तत्व माना गया है ।

(घ) बिजली उद्योग का पुनर्गठन किए जाने से, सरकार द्वारा विद्युत् कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दिए जाने से और पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस दिशा में हुए सुधारों से ऐसी समिति की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

Role of Foreign Powers in Disrupting Unity in the Country

2829. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have information to the effect that foreign powers are engineering conspiracy in various parts of the country, particularly in border areas, to disrupt the unity of the country; and

(b) if so, the number of persons arrested during the last six months in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) Government are aware that some anti-national elements, particularly in the border areas, have the encouragement and support of certain foreign powers.

(b) It will not be in public interest to disclose details.

Recovery of Outstanding Amounts by Coal India Limited

2830. **Shri Shankar Dayal Singh:**
Shri N.K. Sanghi :

Will the Minister of **Energy** be pleased to state the steps taken by the Coal India Limited, to recover the outstanding amounts from their customers?

The Deputy Minister in the Ministery of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): The various steps taken by the Coal India Limited to ensure expeditious recovery of their outstanding dues from their customers included introduction of the system of daily billing, intensification of collection drive by taking up the matter in writing as well as by deploying executives at frequent intervals, and drawing up a programme for resolving the disputes and reconciling the accounts with consumers.

Besides, Coal India Limited are also implementing the following measures:—

1. Insisting on prompt payment of all undisputed amounts and evolving a suitable mediating machinery for early settlement of disputes;
2. Charging penal interest on arrears not paid within a reasonable time;
3. Giving some concessions for prompt payment through opening of letters of credit; and
4. Suspending or stopping despatches of coal as last resort after giving one months notice.

कोल इण्डिया लिमिटेड में काम करने वाले मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों की कुल संख्या

2831. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों तथा उसमें काम करने वाले अन्य मजदूरों की कुल संख्या क्या है और उन्हें प्रतिमास कितनी धन-राशि का भुगतान किया जाता है; और

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या उपाय किये हैं और गत तीन वर्षों में उन पर कितना व्यय हुआ है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1 जनवरी 1976 को कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कम्पनियों में रोजगार प्राप्त कुल कर्मचारियों की संख्या 5,94,674 थी। मांगी गई अन्य सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'स्टेनलैस स्टील' का निर्माण

2832. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बर्तन बनाने के लिए स्टैनलैस स्टील का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए कितनी मात्रा में स्टैनलैस स्टील आयात किया गया; और

(ग) क्या स्टील के बर्तनों की निरन्तर मूल्य वृद्धि को रोकने के विचार से सरकार देश में ही ऐसे स्टैनलैस स्टील निर्माण के बारे में विचार कर रही है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) 1974-75 और 1975-76 की लाइसेंसिंग अवधि में स्टेनलैस स्टील के बर्तन बनाने के लिए वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए स्टेनलैस स्टील की चद्दरों का आयात करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी 1975-76 में एम० एम० टी० सी० द्वारा स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने वालों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तदर्थ आधार पर 4 करोड़ रुपए की स्टेनलेस स्टील की चद्दरों का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए बनायी गई वर्तमान आयात नीति में यह व्यवस्था की गई है कि एम० एम० टी० सी० द्वारा बर्तन बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की चद्दरों को आयात करके निर्धारित (रिजर्व) मूल्य पर बेचा जा सकता है। स्टेनलस स्टील के बर्तनों के आयात के बदले पंजीबद्ध निर्यातक आयात नीति में यह प्रावधान है कि बर्तन बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की चद्दरों का आयात किया जा सकता है।

(ग) अलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर इस समय 1.5 मि०मी० मोटाई की ए०आई०एस०आई० 304 किस्म की हाट रोल्ड स्टेनलेस स्टील की चद्दरें बना रहा है। ये हाट रोल्ड चद्दरें बाद में कुछ रि-रालरों द्वारा बर्तन बनाने हेतु पतली गाज चद्दरों में बदल दी जाती हैं। जब सेलम स्थित इस्पात संयंत्र चालू हो जायेगा तो वह बर्तनों के काम आने वाली गाज के स्टेनलेस इस्पात की चद्दरों का उत्पादन करने लगेगा और इससे आयात में काफी कमी हो जाएगी।

कोयला युक्त ऐसे क्षेत्र जहां से कोयला नहीं निकाला गया

2833. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुत से ऐसे कोयला युक्त क्षेत्र एवं कोयला खानें हैं जहां से कोयला नहीं निकाला जाता;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी उद्यमियों ने अनुरोध किया है कि कोयला का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये क्षेत्र एवं कोयलाखानें उन्हें आवंटित की जायें; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) ऐसे कोयलाधारी क्षेत्र जिनसे अभी तक कोयला नहीं निकाला गया है देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। इन क्षेत्रों का विकास कोयले की उद्योग-बार तथा क्षेत्र-वार जरूरत, विभिन्न खनन परियोजनाओं के विकास को आर्थिक उपादेयता और भूगर्भीय व अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर कोयला भंडारों के विकास की राष्ट्रीय योजना के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण कानून में उल्लिखित दायरे को छोड़कर, अर्थात् लोहा और इस्पात उत्पादक कम्पनियों के स्वामित्व और प्रबंध वाली कोयला खानों को छोड़कर सरकार द्वारा कोयला खानों का सरकारी क्षेत्र में विकास किया जा रहा है।

केन्द्रीय तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों के लिए ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि

2834. **श्री वसंत साठे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का देश में शिक्षित बेरोजगारों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए केन्द्रीय तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों में नियुक्ति के लिए समान आधार पर ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने का विचार है।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ा दिया है।

(क) समूह 'ग' लिपिक वर्गीय अराजपत्रित पद	21	से	25	वर्ष
(ख) केन्द्रीय सचिवालय में सहायक	24	से	25	वर्ष
(ग) सम्मिलित इंजीनियरी सेवाएं परीक्षा	25	से	27	वर्ष
(घ) अखिल भारतीय/केन्द्रीय सेवाएं समूह 'क' तथा समूह 'ख' के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाएं	24	से	26	वर्ष

सामान्य उपाय के रूप में केन्द्रीय सेवाओं/पदों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पदों पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमाओं को और बढ़ाने के लिए इस समय कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

संकटग्रस्त लघु एककों को पुनर्जीवित करने संबंधी समिति

2835. **श्री वसन्त साठे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को बैंक ऋण दिए जाने की समस्या के अध्ययन के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य और निर्देश पद क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों को लघु उद्योग के क्षेत्र के संकट ग्रस्ट एककों को पुनः चालू करने के लिए अपेक्षित सामग्री प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर समन्वय समिति गठित करने के लिए आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस केन्द्रीय निदेश के क्रियान्वयन में प्रत्येक राज्य ने क्या प्रगति की है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) उत्तर प्रदेश, केरल, त्रिपुरा राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ ने राज्य स्तर की समन्वय समिति का गठन कर लिया है। अन्य राज्यों द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

समिति का गठन

1. श्री ए० एफ० कोटो — अध्यक्ष
विकास आयुक्त,
लघु उद्योग,
नई दिल्ली।

2. श्री बी० सी० पटनायक, — सदस्य
उप-सचिव,
बैंकिंग विभाग,
वित मंत्रालय
नई दिल्ली।

3. अध्यक्ष, — सदस्य
फेडरेशन आफ एशोसिएशन आफ,
स्माल इण्डस्ट्रीज आफ इण्डिया,
नई दिल्ली।

4. श्री ए० रामन, — इष्नेने
सलाहकार,
क्रेडिट प्लानिंग एण्ड बैंकिंग विकास कक्ष, — सदस्य
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया,
बम्बई।

5. उद्योग निदेशक,
आन्ध्र प्रदेश, — सदस्य
हैदराबाद।

6. श्री एच० एल० आनन्द,
मुख्य अधिकारी,
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया,
सेन्ट्रल आफिस। — सस्दय
बम्बई।

7. श्री सी० एस० कल्याण सुन्दरम, — सदस्य
चीफ आफीसर,
स्टेट बैंक आफ इण्डिया,
केन्द्रीय कार्यालय,
बम्बई।

8. श्री० के० सी० चक्रवर्ती — सदस्य
चीफ आफीसर,
कम्युनिटी बैंकिंग विभाग
बैंक आफ इण्डिया,
पी० ओ० बम्बई-400020

9. श्री के० एम० किशनचन्दानी, — सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
जम्मू और काश्मीर राज्य,
वित्त निगम, श्रीनगर।

10. प्रबन्ध निदेशक, — सदस्य
बिहार राज्य वित्त निगम,
पटना, बिहार।

11. श्री सी० वी० कप्पुस्वामी, — सदस्य सचिव
सचिव, लघु उद्योग विकास
आयुक्त (ल०उ०)
का कार्यालय,
नई दिल्ली।

समिति के विचारार्थ विषय :

(क) वित्तीयन की शर्तों और उपबन्धों के सम्बन्ध में एक समान अभ्युपाय लागू करने की सम्भावनाओं की जांच करना।

(ख) बैंक ऋण के बारे में विशेष रूप से विद्यमान ब्याज की दर के संदर्भ में लघु उद्योगों की समस्याओं /कठिनाइयों का सुनिश्चय करना।

(ग) संस्थागत वित्त की प्राप्ति को सुचारु बनाने के लिए लघु उद्योग एककों को उनके द्वारा किए जाने वाले अभ्युपाय सुझाना।

New Life for Dacoits

2836. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the experience gained so far by Government in their special campaign which was initiated to provide an opportunity to the dacoits to lead a new life; and

(b) whether, after having been satisfied with their new life, Government propose to allow them to go back to their native places?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) & (b) The experience gained so far by the Government s of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh is encouraging. These State Governments have made generous arrangements for the surrendered dacoits to lead a new life and to return to their native places after release.

Necessary information in respect of Rajasthan Government is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

बिड़ला बंधुओं द्वारा मलेशिया में लुगदी संयंत्र की स्थापना करना

2837. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिड़ला बंधुओं की मलेशिया में एक लुगदी संयंत्र स्थापित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इससे हमारा देश कहां तक लाभान्वित होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम के बारे में विभिन्न विषयों पर फर्म से स्पष्टीकरण करने को कहा गया है। फर्म से अपेक्षित सूचना मिलने पर ही प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम से देश को होने वाला संभावित लाभ बताना संभव होगा।

Report of Commission Appointed to go into Charges levelled against former chief Minister of Tamil Nadu

2838. **Shri Paripoornanand Painuli :** Will the **Prime Minister** be pleased to state the time by which report of the Commission appointed to go into the charges levelled against the former Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Karunanidhi, is expected to be submitted?

The Prime Minister, Minister of Planning, Minister of Atomic Energy, Minister of Elecronics and Minister of Space (Smt. Indira Gandhi): As mentioned in the statement made in Lok Sabha on 3-2-76 by the Minister of State for Home, Personnel and Parliamentary Affairs, the Commission of Inquiry has been requested to submit its report by 1st February. 1977.

भारत को नासा उपग्रह की सुविधाएं

2839. **श्री राजदेव सिंह** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन प्रसिद्ध अमरीकी प्रोफेसर, जो हाल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सम्बन्ध में भारत में थे, भारत द्वारा शिक्षा संबंधी प्रयोगों के लिए नासा सिन्कानस उपग्रह का उपयोग करने में हमारी सफलता से प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या उन्होंने अमरीकी सरकार से अनुरोध किया है कि भारत को नासा उपग्रह की सुविधाएं जारी रखी जायें, और

(ग) अपने अन्तरिक्ष कार्यक्रम में हमें कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकस मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1970-80 के दशाब्द में अन्तरिक्ष-कार्यक्रम के विकास के लिए तैयार की गई रूपरेखा में हमारी अपनी ऐसी उपग्रह-प्रणाली की स्थापना की योजना शामिल है जिसमें दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण तथा दूरसंचार सम्बन्धी सम्पर्कों के लिए एक बहुउद्देशीय उपग्रह को काम में लाया जायेगा इस योजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

टेलीविजन निर्माताओं को कल-पुर्जों की सप्लाई

2840. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषज्ञों के पूर्वानुमान का पता है कि भारत में टेलिविजन पर किये गये पूंजी निवेश से तब तक लाभ नहीं होगा जब तक प्रायोजित कार्यक्रम के लिये रिसीवरों पर समस्त लेवी को हटा कर रिसीवर सस्ते नहीं बनाये जाते;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु क्षेत्र में रिसीवरों के निर्माता लाइसेंसधारी लाइसेंस क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं; और

(ग) क्या मूल्यों को कम करने के लिये कोई सरकारी एजेंसी सभी टेलीविजन निर्माताओं को कल-पुर्जे देगी ताकि लाइसेंस क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके ।

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इस आशय की एक टिप्पणी पिछले दिनों प्रेस के एक वर्ग में प्रकाशित हुयी थी। दूरदर्शन सेटों पर आने वाली ऊंची लागत के मसले की सरकार ने जांच की है तथा सरल और कार्यात्मिक प्रकार के दूरदर्शन सेटों को बढ़ावा देने और इस प्रकार इन्हें अपेक्षाकृत काफी सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए, 1976-77 के केन्द्रीय बजट में इकमुश्त (पैकेज) उपायों की घोषणा की गयी है। इन उपायों के परिणाम-स्वरूप, 51 सेंटीमीटर ट्यूबों के आकार वाले विभिन्न ब्रांड नामों के दूरदर्शन सेटों के उपभोक्ता मूल्यों को इन सेटों के विनिर्माताओं ने 700 रु० तक घटा दिया है और इसके फलस्वरूप, इस आकार के दूरदर्शन सेटों को आम लोगों की पहुंच के अन्दर ला दिया है, इसमें कम आकार के पर्दे वाले सेटों की कीमत उसी अनुपात में सस्ती होगी ।

(ख) लघु क्षेत्रों में दूरदर्शन सेटों के निर्माण के लिए जिन 69 एककों को लाइसेंस प्रदान किए गये हैं, उनमें से 45 से अधिक एककों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है वस्तुतः लघु क्षेत्र के कुछ एककों ने तो संगठित क्षेत्र एककों की अपेक्षा बेहतर कार्य निष्पादित किया है ।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह आशा दी जाती है कि दूरदर्शन सेटों के विनिर्माता अपनी लाइसेंसशुदा क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग कर सकेंगे बशर्ते उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति वर्तमान स्तर पर बनी रहे । दूरदर्शन सेटों के संघटक-पुर्जों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इनमें प्रयुक्त होने वाला एक प्रमुख पुर्जा अर्थात् पिक्चरट्यूब का विनिर्माण भारत इलैक्ट्रानिकी लिमिटेड नामक सरकारी क्षेत्र के एक केन्द्रीय उपक्रम द्वारा किया जा रहा है, और वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को दिए गए लाइसेंसों के अन्तर्गत किए जाने वाले आयात अथवा मांग और पूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए किए जाने वाले आयात/ इलैक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम नामक सरकारी क्षेत्र के एक अन्य केन्द्रीय उपक्रम द्वारा किए जाते हैं । विक्षेपण (डिपलेक्शन) संघटक-पुर्जों का अतिरिक्त विनिर्माण करने के लिए अन्य

कंपनियों के अलावा हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा भारत इलैक्ट्रानिकी लिमिटेड नामक सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है । दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए जिन संघटक-पुर्जों की आवश्यकता है, उनमें ये महत्वपूर्ण पुर्जे हैं ।

केरल में डायनामाइट के मामलों का पकड़ा जाना

2841. **श्री आर० एन० वर्मन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केरल में डायनामाइट के कुछ मामले पकड़े गये हैं;

(ख) क्या इस मामले का हाल में अहमदाबाद में पकड़े गए मामले से किसी रूप में संबंध है; और

(ग) क्या केरल के डायनामाइट मामले को भी केन्द्रीय जांच व्यूरो को सौंपा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने सूचित किया है कि निम्नलिखित विस्फोट पकड़े गए थे :—

1. जिलेटिन स्टिकस	— संख्या में 4,900 (26 बक्सों में 650 कि० ग्रा०)
2. डिटोनेटरम	— संख्या में 2,900
3. फ्यूज वायर	— 48 रोल
4. पोटेशियम क्लोरेट	— 97.50 कि० ग्रा० (2 थैले)

(ख) किसी संबंध के होने के बारे में अब तक कोई सबूत नहीं पाये गये हैं ।

(ग) राज्य सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो से जांच पड़ताल करवाना आवश्यक नहीं समझा है ।

रेल वैगनों के लिए विदेशों से क्रयादेश

2842. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों से रेल वैगनों का काफी बड़ा क्रयादेश प्राप्त करने में सफल हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितने वैगनों का क्रयादेश उसके पास है;

(ग) विभिन्न यूनिटों को इनके निर्माण के लिए कितना नियतन किया गया है और उनके दिये जाने की लक्ष्य तिथि क्या है; और

(घ) देश के पूर्वी क्षेत्र में यूनिटों में मजदूरों की रोजगार की स्थिति में सुधार किस प्रकार किया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क), (ख) और (ग) क्रयादेशों का विस्तृत ब्यौरा और विभिन्न एककों को किया गया आवंटन निम्न प्रकार है :—

देश	मात्रा	निविदा की तिथि	निर्माता	सप्लाई किये गये वैगनों की संख्या
1. ईरान	492 वैगन	16 मार्च, 1970	मे० के०टी० स्टील	306 वैगन ; शेष की सप्लाई स्थगित कर दी गई है ।
2. यूगोस्लाविया	300 350 200 175 275 ——— 1300 वैगन ———	23 अक्तूबर, 1970 बाद में 16 जनवरी, 1975 निश्चित की गई थी ।	मे० बर्न मे० आई० एस० डब्ल्यू० मे० ब्रेथवेट मे० जेसप मे० टेक्समेको	सब-एसेम्बली किये गये । 1300 वैगन सेट सितम्बर, 1975 में यूगोस्लाविया भेजे गये । पूर्ण रूप से एसेम्बिल किये गये 958 वैगनों की डिलीवरी की जा चुकी है । शेष को जून, 1976 तक भेज दिये जाने की संभावना है ।
3. मलयेशिया	110 वैगन	10-12-1973	मे० सिमको	71 वैगन भेजे जा चुके हैं । शेष को अप्रैल/मई, 1976 तक भेज दिये जाने की संभावना है ।
4. बंगला देश	500 वैगन	27-7-74	मे० टेक्समेको	240 भेजे जा चुके हैं । शेष के निविदा की वास्तविक तिथि अर्थात् जून, 1976 तक भेज दिये जाने की संभावना है ।

(घ) निर्यात क्रयादेश अभी तक इतनी मात्रा में नहीं हैं कि उपयुक्त क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके ।

उत्तर प्रदेश में विद्युत की संभावित कमी

2843. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के चेयरमेन ने राज्य में विद्युत् की संभावित कमी की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है जबकि देश में विद्युत् का उत्पादन अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है; और

(ग) उक्त स्थिति को टालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, जो विद्युत् परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं उनके चालू हो जाने से पांचवीं योजना की शेष अवधि के लिए उत्तर प्रदेश की विद्युत् संबंधी परियोजनाएं पूरी हो जाने की संभावना है ।

किन्तु, विद्युत् की मांग एक सी नहीं रहती और मांग में वृद्धि होने की संभावना है तथा छठी योजना और उसके बाद की योजनाओं की अवधियों के दौरान, बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और परियोजनाओं को हाथ में लेना होगा ।

इस क्षेत्र के लिए विद्युत् संबंधी भविष्य की योजना बनाने में इस पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है ।

खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी

2844. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात् स्थिति के पश्चात् केवल खाद्यान्नों के मूल्यों में ही कमी हुई है;

(ख) क्या उससे किसानों को कठिनाई हो रही है तथा उन्हें मानसिक बेचैनी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कमी का प्रभाव कब तक दिखाई देगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) आपात्स्थिति की घोषणा के बाद नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग द्वारा विनिर्माताओं से की गई बातचीत के परिणामस्वरूप कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे टायलेट साबुन जिसमें जनता साबुन भी शामिल है, धुलाई साबुन, दियासलाइयां, शिशु आहार और सामान्य ब्रांडों की चाय तथा आम जूतों की कुछ ब्रांडों के मूल्यों में कमी की गई थी । पिछले वर्ष सरकार ने कई बार उर्वरकों के मूल्यों में कमी की घोषणा की । वर्ष 1976-77 के बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप अनेक आवश्यक विनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों में कमी की गई है । इनमें से कुछ वस्तुएं ये हैं : धुलाई साबुन, टायलेट साबुन (सस्ती किस्में) जिसमें जनता साबुन भी शामिल है, सिंथेटिक अपमार्जक, एल्युमिनियम के बर्तन, मेज पर रखने वाले पंखे, मध्यम आकार के रेफ्रिजरेटर और टेलिविजन । सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विनिर्माताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत की जाती रहती है, ताकि वस्तुओं की उत्तमता और मूल्यों को उचित स्तर पर रखा जा सके ।

Joint Development Board for Development of Bundelkhand Area

2845. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether a Joint Development Board consisting of representatives of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Governments was set up three years ago for the development of Bundelkhand area;

(b) if so, the names and designations of the members of the Board, alongwith the number of meetings held till 28th February, 1976; and

(c) the development schemes in respect of each district in the said area sent by the Board for the approval of the Planning Commission?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Sankar Ghose) : (a) No, Sir.
(b) & (c) Do not arise.

Development of Energy in Bihar

2846. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Bihar Government has prepared a scheme for the development of energy in the State:

(b) if so, the particulars thereof;

(c) whether the State has sought some Central assistance for this purpose; and

(d) if so, the nature there of and Government's reaction in regard thereto?

The Minister of Energy (Shri K.C. Pant) (a) & (b) The Bihar Government had constituted an Electricity Plan Project Committee consisting of 24 Legislators to advise the Bihar State Electricity Board and the State Government on matters of planning and development concerning power.

The Committee had submitted two memoranda, the second of which requested for, inter-alia, taking over of certain projects in the Central Sector, higher allocation of funds and making available more Damodar Valley Corporation power to the Bihar State Electricity Board.

(c) & (d) The Committee Members met the Union Minister for Energy in February 1975 and their proposals were discussed.

Lists of Freedom Fighters Sanctioned Pension

2847. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have published State-wise list of those freedom fighters who are receiving pensions; and

(b) if not, whether Government propose to publish such a list for the information of public?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) No. Sir.

(b) In view of the voluminous work involved, it is not possible for the present to compile and publish complete State-wise lists. However, copies of sanction orders are endorsed to District Magistrates and the State Governments who have been asked to give them wide publicity.

Sale of Book Making Objectionable Remarks Against Hazrat Mohammed

2848. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a book published from U.S.A. currently on the sale in India, wherein objectionable remarks have been made against Hazrat Mohammed, the Prophet of Islam religion;

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) whether the convenor of Akhil Bhartiya Urdu Patrakar Sangh, (All India Urdu Journalists Association), Danapur, has written letters to the Prime Minister about this book in March and September, 1975 and January, 1976.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a), (b) and (c): All India Urdu Press Correspondents' Association, Anand Bazar, Dinapore Cantt. (Bihar) wrote to the Prime Minister on the 14th March, 1975 complaining that the book entitled "Majesty that was Islam" by Professor W. Montgomery Watt. Head of the Department of Arabic and Islamic Studies, University of Edinburgh, carried a picture of Prophet Mohammad and was therefore injuring the feelings of the followers of Islam.

The matter was examined and Government issued instructions to the Customs & Central Excise authorities to ensure that the picture of Prophet Mohammed is blacked out before allowing entry of the book into India.

Nominations to Cantonment Boards

2849. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal to nominate members to Cantonment Boards and dispense with elections to those Boards; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J.B. Patnaik): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पांचवीं योजना के लिए उड़ीसा की मांग में कटौती

2850. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना के लिए उड़ीसा की मांग में भारी कटौती की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) उड़ीसा सहित राज्यों की पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । तथापि उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर विभिन्न कार्यकारी दलों में विचार-विमर्श हो चुका है, जिनमें योजना आयोग केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि थे ।

कलकत्ता से प्रसारित होने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया

2851. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से प्रसारित होने वाले टेलिविजन कार्यक्रमों के बारे में जनता की प्रतिक्रिया प्रत्याशित रही है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों में टेलिविजन की अनुकूल क्षमता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या टेलिविजन की वर्तमान रेंज बर्दवान-आसनसोल औद्योगिक पट्टी बढ़ाई जायगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) उम्मीद है आसनसोल रिले केन्द्र के चालू हो जाने पर वर्दवान-असनसोल की अधिकांश औद्योगिक पट्टी के अन्दर दूरदर्शन कार्यक्रम देखे जा सकेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि० की वर्ष 1974-75 की समीक्षा और प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लिमिटेड के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लिमिटेड का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 10712/76]**

उद्योग (विकास और विनियोजन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 184 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 मार्च 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मेसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेट, कलकत्ता के प्रबन्ध पर नियन्त्रण जारी रखने से सम्बन्धित है सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 10713/76]**

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 620 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली प्रारूप अधिसूचना संख्या 15/16/76—आई जी सी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 100, 101, 102, 103, 391, 392 और 394 की सरकारी कम्पनियों पर लागू किया जाना है । सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 10714/76]** ।

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा मंत्री (भत्ते चिकित्सीय उपचार और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1976

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सातवां संशोधन विनियमन, 1976 जो दिनांक 3 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 278 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) नौवां संशोधन विनियमन, 1976, जो दिनांक 6 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 286 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय, प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 6 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 287 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियमन, 1976 जो दिनांक 14 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 294 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक, 14 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 295 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक, 3 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 468 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 10 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 501 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियमन, 1976, जो दिनांक 10 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 502 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियमन, 1976, जो दिनांक 10 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 503 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति लाभ) चौथा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 10 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 504 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) आठवां संशोधन विनियमन, 1976 जो दिनांक 10 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 505 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 10715/76]** ।

(2) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 291(ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10716/76]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

(63वां प्रतिवेदन)

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 63वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

Public Account's Committee

(216वां और 220वां प्रतिवेदन)

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:

(1) 'पुर्तगाल के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध तथा बी ओ ए सी स्वर्ण तस्करी काण्ड' पर समिति के 166वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 216वां प्रतिवेदन।

(2) सरकार द्वारा 'की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणियां देने में विलम्ब' पर 220वां प्रतिवेदन।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

(99वां, 101वां और 90वां प्रतिवेदन)

श्री तुलसीदास दासप्पा (मैसूर): मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:—

(1) गृह मंत्रालय-चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर 99वां प्रतिवेदन।

(2) नौवहन और परिवहन मंत्रालय—सीमावर्ती सड़कों पर 101वां प्रतिवेदन।

(3) ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग)—कोयले की उपलब्धता तथा वितरण पर 'समिति के 68वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 90वां प्रतिवेदन।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITION

(29वां प्रतिवेदन)

श्री जगन्नाथ राव (छतारपुर) : मैं याचिका समिति का 29वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की मांगें 1976-77—जारी
DEMANDS FOR GRANTS 1976-77—Contd.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की वर्ष 1976-77 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई हैं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी
46.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	57,68,000	
47.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	73,46,08,000	36,11,83,000
48.	परिवार नियोजन	63,52,42,000	8,33,000

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : We demanded discussion on yesterday's statement. Notice was also given.

Mr. Speaker : I have not received it.

जो सदस्य कटौती प्रस्ताव देना चाहते हैं वे 15 मिनट में देदें।

Dr. Kailas (Bombay South): I want to say something on Demands 47 and 48 of the Ministry. I am not able to understand why the hon. Minister is laying stress on family planning alone. No doubt family planning is important not only for this country but also for the entire world.

Demand No. 47 is in respect of Ayurveda. The provision made for it is very meagre. If we go through the history of modern medicine, we find that it receives a lot of encouragement from the various Government Hospitals. The Central Government itself is running a number of Hospitals in Delhi. Where would the graduates of colleges functioning for the promotion of Ayurveda would be engaged? So long as the Government does not establish Ayurvedic Hospitals and does not encourage production of Ayurvedic medicines it cannot promate Ayurved. Prior to his taking over the Health Ministry certain units like C.C.I.R.M., C. & S. M. for collection of source material for Research in Ayurveda. But these units have been abolished with effect from 31st August 1975. The Government should take steps to bring uniformity in the Ayurvedic education. In respeet of the course of M.B.B.S. and M.S. there is uniformity not only in India but the whole of the world.

It is necessary that our vaids are given education in Physeology, Anatomy, Pathalogy and X-ray Radiology. In the absence of that they cannot meet with Doctors of modern medicine. Ayurveda is the on the best systems of medicine.

Dr. Gilder has proposed an integrated course we should train Vaids who may earn name not only in India but in the whole world. Ayurveda should be included as one of the subjects in Allopathy. It can lead the world towards healthy life for 100 years and even more. It is possible only through Ayurveda to lead a healthy life without disease. The Government should establish Directorate General of Ayurvedic Services. Then only the Government could get the right advice. Shri Ram Sewak be given charge of Ayurveda and shri Ishaque be given Homoeopathy and the hon. Minister may keep Allopathy and Family Planning with himself. I am in agreement with the population policy of the Government.

In the sphere of family planning I do not understand the element of compulsion. Take the example of prohibition it could not succeed by compulsion. You cannot compel the Muslims or the Christians. Every thing can be got done by love. Certain States have imposed compulsion as if they have resources for total sterilisation.

There is atmosphere of terror among Principals and teachers that they may lose their jobs. This policy would lead the country towards corruption.

There is much talk of urban ceiling at 5 lakh, 7 lakh or 3 lakh but what has been the outcome is ceiling on vacant land. Similar is the position in regard to family planning. There is no harm if disincentives are enhanced.

In spite of assistance from UNICEF the Primary Health Centres are in bad condition. The hon. Minister should utilise the services of persons who have passed integrated course. They should not be treated at par with the persons who have get themselves registered after undergoing non-institutional trainning. The hon. Minister should provide them with separate schedule. They should be allowed to practise throughout the country. They are prepared to serve in any sphere including family planning.

The hon. Minister may establish a council for Ayurvedic medicines and also a laboratory.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
46	3	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों द्वारा विशेष दवाइयां मंगाने के लिए अपनाई जाने वाली जटिल प्रक्रिया जिससे उनकी पूर्ति में विलम्ब तथा रोगियों को परिहार्य असुविधा होती है।	राशि में से 100 रु० कम कर दिये जायें
46	4	,,	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से औषधियां मंगाने के स्थान पर इस सेवा से लाभ प्राप्त करने वालों को आपात् स्थिति के विशेष दवाइयां स्थानीय रूप से खरीदने की अनुमति देने की आवश्यकता।	,,
46	5	,,	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा को विशेष दवाइयां प्रतिदिन मंगाने की अनुमति देने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
46	6	श्री रामावतार शास्त्री	लोधी कालोनी, नई दिल्ली, में मच्छरों का प्रकोप रोकने में असफलता।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिये जायें।
46	7	,,	दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई कालोनियों, विशेषकर जनकपुरी और सफदरजंग इन्कलेव, में मच्छरों के प्रकोप पर नियंत्रण की आवश्यकता।	
46	8	,,	जनकपुरी, नई दिल्ली के 'ए', 'बी', और 'सी' ब्लाकों के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा के पृथक औषधालय खोलने की आवश्यकता।	,,
46	18	,,	नई दिल्ली के केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में औषधियों का न मिलना।	,,
46	19	,,	नई दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा के सभी औषधालयों में छुट्टियों के दिन आपात सेवा आरम्भ करने में असफलता।	,,
46	20	,,	दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में रोगियों की भारी भीड़ से बचने के लिए अधिक डाक्टर नियुक्त करने की आवश्यकता।	,,
46	21	,,	नई दिल्ली के केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों से कर्मचारियों द्वारा औषधियों की चोरी करने में असफलता।	,,
46	22	,,	नई दिल्ली के केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में डाक्टरों द्वारा रोगियों को प्रभावी औषधियां देने में असफलता।	,,
46	23	,,	नई दिल्ली के सफदरजंग इन्कलेव के "ए" और "बी" ब्लाकों, अर्जुन नगर, कृष्ण नगर तथा हुमायूं पुर के निवासियों के लिए पृथक केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय खोलने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
46	24	श्री रामावतार शास्त्री :	मच्छरों के आतंक के उन्मूलन में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
46	25	,,	बिहार के पटना शहर में चेचक का प्रकोप ।	,,
46	26	,,	ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा निदान के लिए असंतोषजनक प्रबन्ध ।	,,
46	27	,,	परिवार नियोजन के नाम पर दबाव डालने की नीति का परित्याग करने की आवश्यकता ।	,,
46	28	,,	रोगियों को सस्ती दवाएं सप्लाई करने में असफलता ।	,,
46	29	,,	सरकारी अस्पतालों में दवाओं की अत्यधिक कमी को दूर करने में असफलता	,,
46	30	,,	ग्रामीण क्षेत्रों में और अस्पताल खोलने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिया जायें
46	31	,,	मलेरिया उन्मूलन में असफलता	,,
46	32	,,	सरकारी अस्पतालों में दवाओं का दुरुपयोग तथा चोरबाजारी ।	,,
46	33	,,	अंधेपन के बढ़ते हुए मामलों को रोकने में असफलता ।	,,
46	34	,,	कैंसर, कुष्ठ रोग तथा अन्य खतरनाक रोगों के निदान का अविष्कार करने में असफलता ।	,,
46	35	,,	पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में मच्छरों के आतंक का उन्मूलन में असफलता	,,
46	36	,,	सरकारी अस्पतालों में बच्चों को 'डीपीटी' का टीका लगाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
46	37	श्री रामवतार शास्त्री	सरकारी हस्पतालों में प्रशासन सुधार की आवश्यकता	राशि में से 100 रु० कम कर दिये जायें ।
46	38	,,	सरकारी हस्पतालों में और अधिक बिस्तरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता	,,
46	39	,,	सरकार द्वारा निजी हस्पतालों को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता	,,
46	40	,,	निजी चिकित्सा कालेजों द्वारा प्रति छात्र फीस लेने को रोकने की आवश्यकता	,,
46	41	,,	सरकार द्वारा निर्धन रोगियों को निशुल्क भोजन देने की आवश्यकता	,,

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : राष्ट्रीय जनसंख्या सम्बन्धी नीति पर मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय पर वाद विवाद और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

पांचवीं योजना में केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा प्रत्यायोजित योजनाओं के लिए 252 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। हालांकि पांचवीं योजना के दो वर्ष समाप्त हो चुके हैं और तीसरा वर्ष चल रहा है फिर भी यह कहा जा रहा है कि योजना अभी तक प्रारूप स्तर पर ही है । इन तीनों वर्षों के लिए कुल 130 करोड़ रुपये का आवंटन होगा और इस वर्ष केवल 54.4 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। तीसरा वर्ष आरम्भ हो गया है और हमारे पास कुल परिव्यय 50 प्रतिशत से भी कम बचा है। इससे अत्यधिक चिन्ताजनक स्थिति है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि केन्द्र द्वारा प्रत्यायोजित योजनाओं के 46.38 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 32.46 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 4.10 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम तथा 2.60 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय कुष्ठ रोक नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आबंटित की गई है। किसी अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम विशेषतया क्षय रोग नियंत्रक कार्यक्रम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सम्भवत: धनाभाव के कारण यह योजना राज्यों पर छोड़ दी गई है।

ग्राम्य स्वास्थ्य योजना योजनाओं का महत्वपूर्ण अंग है। प्रतिवेदन से पता चलता है कि प्रत्येक खण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई है। लेकिन अभी भी 113 खण्ड ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। फिर डाक्टरों की व्यवस्था के लिए भी एक योजना बनाई गई है । 73 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं है। फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 10,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए एक उप-केंद्र बनान का प्रस्ताव है। लेकिन ऐस 43,886 उप-केन्द्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी जबकि 35,374 उप-केन्द्र कार्य कर रहे हैं। यद्यपि 35,000 केन्द्र हैं लेकिन प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया है कि वह डाक्टर एंव वैज्ञानिक प्रबन्ध है अथवा नहीं । फिर इन उप-केन्द्रों की क्या स्थिति होगी, यह अनुमान लगाया जा सकता है।

सरकार ने कुछ वर्ष पहले यह दावा किया है कि वह मलेरिया उन्मूलन करने में सफल होगी लेकिन मलेरिया फिर बड़े पैमाने पर फैल गया है। देश में मलेरिया के पुनः प्रकोप के परिणामस्वरूप यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि न केवल कृषि उत्पादन बल्कि औद्योगिक उत्पादन में भी कमी हो गई है। यदि हम मलेरिया को नहीं रोक पाये हैं तो यह सरकार की लापरवाही है क्योंकि वह राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं कर सकी है। सरकार ने मलेरिया उन्मूलन विभाग के कर्मचारियों को परिवार नियोजन कार्य पर लगा दिया गया है । इसका यह परिणाम निकला है कि डी०डी०टी० तक नहीं छिड़की जा रही है और मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है । अब सरकार उन्मूलन के बजाये नियंत्रित करने का विचार कर रही है। सरकार को चाहिए कि वह इसके उन्मूलन के लिए शीघ्र कार्यवाही करे, केवल रोग पर नियंत्रण पाने से कुछ नहीं होगा। चेचक उन्मूलन के बारे में भी यही स्थिति है।

जहां तक क्षय रोग का सम्बन्ध है, इस बारे में घरेलू चिकित्सा की बात की जाती है। लेकिन यह प्रभावकारी नहीं है और गरीब लोग इसका पालन भी नहीं करते हैं। ये लोग कुछ महीनों के बाद फिर इस रोग के बीमार हो जाते हैं। उनका यह रोग समाप्त नहीं होता है। यह रोग फैलता जा रहा है। इस बीमारी का पता लगाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। क्षय रोग के सैनेटोरियम स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं। इनका लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए इन्हें कुछ राज सहायता दी जानी चाहिए।

क्षय रोग को रोकने के लिए सरकार बी०सी०जी० के टीके लगाती है । इस समय देश में 309 दल काम कर रहे हैं और यदि एक जिले में एक दल कार्य कर रहा है तो वहां के सभी लोगों को टीका लगाने में उन्हें दस वर्ष लग जायगे। क्षय रोग के मामले को रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहियें।

जहां तक कुष्ठ रोग का सम्बन्ध है, स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश में कुष्ठरोगियों की संख्या 15 लाख थी। लेकिन आज यह संख्या दुगुनी हो गई है। बहुद्देशीय कार्यवाही की आवश्यकता है ताकि इस रोग को रोका जा सके। इस सम्बन्ध में जन प्रचार, बेहतर शिक्षा, रोगनिदान तथा रोगी की समय पर जांच पड़ताल एवं परीक्षण की आवश्यकता है । इसके अलावा इन बेबस लोगों के पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

माता तथा शिशु कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवा तथा पौष्टिक आहार कार्यक्रम के लिए 100 लाख रुपये का आबंटन किया गया था जिसमें से 29 फरवरी, 1976 तक केवल 50 प्रतिशत राशि ही व्यय की गई है। मंत्री महोदय इस मामले पर ध्यान दें।

जनसंख्या नीति के मामले में मंत्री महोदय ने अपने विवरण में बताया है कि राष्ट्र अपने वांछित आदर्शों की प्राप्ति की दिशा में तभी अग्रसर हो सकता है जब निर्धनता तथा रोगों का सफाया हो। हमारा विश्वास है कि इसका कारण निर्धनता की अपेक्षा अधिक जनसंख्या का परिणाम है। अतः गरीबी तब तक दूर नहीं की जा सकती जब तक कि यह समस्या हल नहीं होगी ।

दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागाध्यक्ष अपने कर्मचारियों पर जबरन दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें नसबन्दी करानी होगी। दिल्ली प्रशासन ने संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में परिवार नियोजन का व्यापक अभियान चलाना आरम्भ किया है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने एक परिपत्र जारी किया है कि जिन कर्मचारियों की पत्नियां 45 वर्ष से अधिक आयु की हैं और जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें नसबन्दी करानी होगी अन्यथा उन्हें विभिन्न रियायतें जैसे त्यौहार अग्रिम, मकान बनाने के लिए

ऋण, वाहन अग्रिम राशि, शिशु शिक्षा भत्ता, फीस, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, निःशुल्क चिकित्सा सेवा तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे। ऐसी जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए।

यदि मंत्री के तीन से अधिक बच्चे होते हैं, तो भी वह तो अपने पद पर बना रह सकता है परन्तु यदि गरीब कर्मचारी के बच्चे उससे अधिक हो जाते हैं तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अतः मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि उसे परिवार नियोजन के बारे में लोगों पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : परिवार नियोजन के बारे में मंत्री महोदय ने जो ऐतिहासिक घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। देश की उत्तरोत्तर बढ़ रही जनसंख्या पर काबू पाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो नया रूप दिया गया है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री के आभारी हैं।

परिवार नियोजन और स्वास्थ्य का कार्यभार राज्य सरकारों का है और हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे मंत्री महोदय को इस कार्य को करवाने में कितनी कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है। अपने वक्तव्य में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करने वाली राज्य सरकारों को क्या क्या प्रोत्साहन दिये जायेंगे। कुछ राज्य सरकारों को यह शिकायत थी कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू नहीं किया, उन्हें विधान सभाओं तथा संसद में अपना कुछ प्रतिनिधित्व खोना पड़ा है। अब स्वास्थ्य मंत्री ने विधान सभाओं और संसद में प्रतिनिधित्व को 1971 के स्तर पर निश्चित कर अच्छा ही किया है।

परिवार नियोजन की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के कमजोर वर्ग को सम्पन्न बनाने के लिए रचनात्मक कदम उठाये जायें। लोगों को इसके बारे में उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। कुछ लोगों का यह विश्वास रहता है कि परिवार नियोजन उनके जीवन निर्वाह में अड़चन पैदा करता है। अतः इस दृष्टि से यह और भी आवश्यक है कि 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को और अधिक तेजी से क्रियान्वित किया जाये जिससे कि समाज के कमजोर वर्ग को यह अहसास हो कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है तथा अब वह परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपना सकते हैं।

महोदय ने परिवार नियोजन के प्रचार के लिए रेडियो तथा टेलीविजन के उपयोग की बात भी की है, यह ठीक है कि यह प्रचार के अच्छे साधन हैं तथा इनका जनता पर अच्छा असर पड़ता है। परन्तु इसके साथ ही आवश्यकता इस बात की है कि फिल्मों के अध्ययन से भी परिवार नियोजन को प्रोत्साहन दिया जाये। यह खेद की बात है कि कुछ एक फिल्मों में परिवार नियोजन के सिद्धांतों की हंसी उड़ाई गई है। सरकार को इस प्रकार की फिल्म बनाने तथा उनको प्रोत्साहन देने वालों दोनों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

मंत्रालय द्वारा किया गया अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह है कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम का संशोधन कर दिया गया है। हमें आशा है कि नये अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण रोकने के लिए कठोर कदम उठाये जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन भी कर दूं कि हम खाद्य अपमिश्रण अधिनियम को लागू करने वाले व्यक्तियों का चयन करते समय सावधानी से काम लेना चाहिए। ऐसा न हो कि हम ऐसे व्यक्ति इस कार्य के लिए चुन लें जो कि निर्दोष व्यक्तियों को ही तंग करते रहें। ऐसा न हो कि अधिकारी लोग इस अधिनियम का लाभ अपने हित के लिए ही उठाते रहें।

यह खेद की बात है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधायें अधिक नहीं है जो चिकित्सालय है उनमें भी पर्याप्त डाक्टर उपलब्ध नहीं है परन्तु दूसरी ओर विडम्बना यह है कि डाक्टरों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आखिर इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है, यह भी मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिये। डाक्टरों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी कुछ उपयुक्त कदम उठाने चाहिये। देश में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या भी काफी कम है, इनमें वृद्धि की जानी चाहिये।

आजकल मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाना बहुत कठिन हो रहा है। वहां दान के नाम पर बहुत अधिक धनराशि की मांग की जा रही है। यह एक सामाजिक कुरूति का रूप लेती जा रही है जिसमें वास्तविक प्रातिमा सम्पन्न गरीब छात्र को अपनी शिक्षा की बलि देनी पड़ जाती है। अतः इस ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार देश में बढ़ती हुई डाक्टरों की बेरोजगारी की ओर भी अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिये। देश से जो योग्य व्यक्ति विदेश जाते जा रहे है, उन पर रोक लगाने के लिए भी कुछ कड़े कदम उठाये जाने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं

डा० वी० के० आर० वी० राव (बेल्लारी): मैं सर्वप्रथम मंत्री महोदय को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने सदन के समक्ष जनसंख्या सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया है। परिवार नियोजन सम्बधी जो कार्यक्रम मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए भी वह बधाई के पात्र हैं। इस तथ्य को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये कि हम प्रत्येक वर्ष अपनी जनसंख्या में 90–100 लाख की वृद्धि नहीं होने दे सकते। यह संतोष की बात है कि बच्चों के जन्म पर रोक लगाकर सामाजिक और आर्थिक नीति पर अधिक जोर दिया गया है इसके परिणामस्वरूप जन्म दर कम करने में सहायता मिलेगी।

मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के अन्तर्गत यह सुझाव भी दिया गया है कि विवाह की आयु बढ़ा दी जाये। उसमें यह भी कहा गया है कि इसके दण्डनीय अपराध होने का यह अर्थ नहीं है कि यह अपराध नहीं है। आज यही कारण है कि विवाह की आयु बढ़ा देने के साथ-साथ, विवाह का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये। इसके लिये उपयुक्त विधान प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

अगला निवेदन मैं लोक वित के बारे में करना चाहता हूं। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है संसद में प्रतिनिधित्व 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि इससे भी अधिक प्रभावशाली उपाय यह होगा यदि राज्यों को विकास तथा आयोजन के लिये आबंटित किये जाने वाले धन का आवंटन भी इसी आधार पर किया जाये। ऐसा करने से प्रत्येक मुख्य मंत्री यह समझेगा कि यदि उसके राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रभावकारी ढंग से लागू न किया गया तो राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होगी तथा उसे केन्द्र से राज्य के लिए धन नहीं मिलेगा।

साम्यवादी दल के समाचारपत्र मेनस्ट्रीम में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सम्बन्धी का महत्वपूर्ण लेख छपा है। इस लेख में सरकार के रास्ते में आने वाले विभिन्न कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है मैं समझता हूं कि सरकार को इस लेख में व्यक्त समस्याओं को समझाने तथा उनका समाधान खोज निकालने का प्रयत्न करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि जनसंख्या को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावकारी साधन नसबन्दी ही है। सरकार का कहना है कि इसे अनिवार्य नहीं किया जा रहा है। परन्तु जब यही परिवार नियोजन का

सबसे प्रभावकारी उपाय हैं तो फिर भला इसे अनिवार्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आज समाचारपत्रों में देखने को आया है कि दिल्ली में नसबन्दी अनिवार्य नहीं है। क्या सरकार यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ देगी कि उनके राज्य में नसबंदी की सुविधायें पर्याप्त है या नहीं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह नैतिक दायित्व नहीं है कि वह राज्य सरकारों को परिवार नियोजन की शर्तें मत तोड़ने दे। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर नसबन्दी को अभी अनिवार्य इसलिए नहीं समझा क्योंकि उसके पास पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें नहीं हैं। इसके साथ ही हमें यह भी मालूम होना चाहिये कि यदि कोई नसबन्दी आपरेशन गलत हो जाता है, या गलती से किसी गलत आदमी की नसबदी कर दी जाती है, तो उसका कुप्रभाव हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम पर ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर पड़ेगा। अतः यह अनिवार्य है कि नसबन्दी को लागू करने से पहले, हम राज्यों को इससे सम्बद्ध शर्तें पूर्णतया स्पष्ट कर दें। क्योंकि हमें नसबन्दी करते समय अपेक्षित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिपेक्ष को भी दृष्टिगत रखना पड़ता है। यह उस सम्पूर्ण प्रक्रिया का एक अंग है। सरकार का शिक्षा तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय को मिलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यदि हम परिवार नियोजन का अर्थ यह समझते हैं कि इससे परिवार का कल्याण होगा, जीवन स्तर सुधरेगा और सामाजिक तथा आर्थिक विकास होगा और यह समझते हैं कि शिक्षा का शिक्षा, शिशु पोषण, महिला साक्षरता तथा शिक्षा में जनसंख्या के महत्व से परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति में सहायता मिलेगी तो हमें कार्यविभाजन का पुनर्गठन करना होगा। स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय अलग-अलग कार्य करने की बजाय यदि इकट्ठा कार्य करें तो काम अच्छा होगा।

*श्रीमती भार्गवी तनकप्पन (अडूर) : सरकार स्वास्थ्य की अपेक्षा परिवार नियोजन की समस्या पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री महोदय ने कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति की घोषणा करते समय बताया था कि देश की जनसंख्या प्रति माह 10 लाख बढ़ जाती है। गत 23 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या 25 करोड़ बढ़ गई है। यदि इसी दर से जनसंख्या बढ़ती रही तो देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। समय आएगा जब लोगों के पास खाने के लिए अन्न तक नहीं होगा प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस समस्या को समझा है और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में कहा गया है कि सरकार इस देश से गरीबी तथा बीमारी खत्म कर देगी।

सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। लोग परिवार नियोजन के महत्व को समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के लाभों का प्रचार करके कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। ग्रामीणों को यह समझाया जाना चाहिए कि परिवार नियोजन से उनका सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर सुधरेगा। इससे जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगेगी। परिवार नियोजन को अनिवार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन अशिक्षितों को परिवार नियोजन के महत्व से अवगत कराए जो इस विषय के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही कर रही है?

प्रतिवेदन में कहा गया है कि 10,000 लोगों के पीछे एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक ब्लाक के पिछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है। लेकिन अधिकांश उप-केन्द्रों में केवल एक ही दाई होती

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malyalam.

है। वह दस हजार लोगों की आवश्यकयताओं को किस प्रकार पूरा कर सकेगी है। अतः इन केन्द्रों में कुशल डाक्टरों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। म आशा करता हूं कि सरकार इस ओर गम्भीरता से विचार करेगी।

सरकार परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। कई राज्य सरकारें इस मामले में कानून बनाने पर विचार कर रही है। जो लोग नसबंदी नहीं कराएंगे उनके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही की जाएगी। यह एक बड़ी खतरनाक बात है। लाखों अज्ञानी लोग इस कानून के बारे में कुछ नहीं जानते। यदि दांडिक कार्यवाही की गई तो आशंका है कि ये अज्ञानी लोग यहाँ तक कह सकते हैं कि बच्चा उनका नहीं है। इस प्रकार कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि ऐसी कड़ी कार्यवाही न की जाए। किसी की वेतन वृद्धि या पदोन्नति केवल इस कारण नहीं रोकी जानी चाहिए कि उस कर्मचारी ने नसबंदी नहीं कराई है। जहाँ तक शिक्षितों का सम्बन्ध है, वे स्वेच्छा से परिवार नियोजन स्वीकार करेंगे परन्तु जहां तक अशिक्षितों का सम्बन्ध है, उन्हें परिवार नियोजन के महत्व की शिक्षा दी जानी चाहिए।

जहाँ तक चेचक रोग का सम्बन्ध है, हालांकि इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं किया गया फिर भी काफी सीमा तक सरकार को सफलता मिली है। लेकिन हम क्षय रोग, कुष्ठ रोग, तथा कैंसर आदि भयंकर रोगों के उन्मूलन में सफल नहीं हो पाए हैं। त्रिवेन्द्रम में कैंसर संस्थान को कैंसर अनुसंधान केन्द्र बनाने पर विचार किया जा रहा है। आशा है केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस काम के लिए आर्थिक सहायता देगी।

हिमाचल प्रदेश में एक क्षय रोग सेनिटोरियम है। वहाँ के 90 कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। यह एक बड़ी गम्भीर बात है। देश में अधिक-से-अधिक क्षय रोग सेनिटोरियम स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सेनिटोरियम बन्द न हो।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : मंत्री महोदय ने स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के मामले में साहसपूर्ण नीति की घोषणा की है। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

नसबंदी एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सब जानते हैं कि देश की जनसंख्या बड़ी तेज गति से बढ़ रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारी जनसंख्या में 25 करोड़ की वृद्धि हुई है। यदि इस गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं होगा। इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिए तथा इसका साहसपूर्ण ढंग से निराकरण किया जाना चाहिए।

विवाह की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। प्रायः गरीब लोगों में बाल-विवाह की प्रथा है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस कानून की क्रियान्विति सावधानी से करें। महिलाएं अधिक बच्चे नहीं चाहती हैं। वस्तुतः पुरुष ही परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं देते। प्रसन्नता की बात है कि युवा वर्ग बड़े उत्साह से परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बना रहा है। स्वयंसेवी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। इन संस्थाओं में कार्य कर रहे व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सम्मेलन में भी पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों ने यही सुझाव दिया है। डाक्टरों को भी पूरी तरह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

महिलाओं को प्रसूति लाभ केवल दो या तीन बच्चों के लिए ही दिया जाना चाहिए। महिला कर्मचारियों के बार-बार प्रसूति अवकाश होने से सरकारी काम में नुकसान होता है। हमसे यह भी पूछा

जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की तीन लड़कियां हैं, पर लड़का एक भी नहीं है तो उनकी देखभाल कौन करेगा। इसका उत्तर यह है कि सरकार को वृद्धजनों की पूरी देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए। उनको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं।

सफदरजंग अस्पताल में आधुनिक औषधियां गरीबों को निःशुल्क दी जाती हैं और यह अस्पताल विश्व का एक बढ़िया अस्पताल है। इसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

दिल्ली में परिवार नियोजन के प्रचार की कई खबरें मिली हैं। मैंने लोगों से ऐसे मामले प्रकाश में लाने के लिए कहा है जिनमें अविवाहित लड़के या लड़की की नसबन्दी की गई हो।

इस बारे में काफी प्रचार हो रहा है तथा प्रतिक्रियावादी तत्व स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं।

मेरा एक सुझाव है कि परिवार नियोजन कार्य से महिला शिक्षकों, अविवाहित महिला शिक्षकों, अववविवाहित पुरुष शिक्षकों को पृथक् रखा जाये।

इन शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

Kumari Maniben Patel (Sabarkantha): The whole process of family planning is going on. Has the Government investigated that what effects sterilisation has on the ladies. They neither proper rest nor proper care.

Our 'Shastras' contain a lot in this regard. Would the process of planning now going on would help enhance our moral development.

You now mention of two childrens. If one or both of them die what would happen ? I think this matter requires serious consideration.

I think the country would be more benefited by constrained life than by this propaganda. The advertisements attract the people towards sexual feelings.

The Hon. Minister is a scholar of Sanskrit. He should try to find out ways and means from our ancient scriptures.

There is fear and discontentment among the people against operation. As the religion of Muslims does not permit for it. Government should not cover them. I feel there should be no compulsion on any one as it would not yield good results.

The Government should give attention towards household methods. Mothers are given less time for rest after delivery. In our ancient system they were given rest for 2 months.

The Governments should also undertake cleanliness drives. Fruit vendors do not keep baskets for putting waste.

These things cannot be done by propaganda alone.

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : बच्चों का लालन-पालन माता पिता का कर्तव्य है। यह सही है कि बहुत-से रोगों का उन्मूलन हो गया है अथवा होता जा रहा है। परन्तु टाइफाइड, मलेरिया, चेचक, क्षय आदि रोग अभी भी विद्यमान हैं। समझा जाता था कि मलेरिया समाप्त हो गया है परन्तु यह दोबारा पहले से अधिक शक्ति से आ गया है।

कुछ व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाते । इस उद्देश्य के लिये मद्रास के समान स्पीच थेरेपी के केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिएं ।

बड़े-बड़े नगरों में अवैध गर्भाधान बड़ी चिन्ता का विषय बनता जा रहा है । युवा वर्ग को यौन शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाये । प्राचीन काल में भारत में माता का नाम चलता था। स्वीडन में तथा दक्षिण भारत में आज भी माता का नाम चलता है क्यों न इसे समूचे भारत में अपना लिया जाये ।

भारत की जनसंख्या द्रुतगति से बढ़ रही है । इसे रोकने के लिये किये गये उपाय विफल रहे हैं । हर कोई चाहता है कि घर में दो तीन स्वस्थ बच्चे हों । शास्त्र में पहले पुत्र को धर्मपुत्र कहा गया है तथा अन्यों को कामपुत्र । पहले के नियम उस समय के लिये उपयुक्त थे जबकि आवश्यक पदार्थों का अभाव नहीं था । अपने संस्रोतों का समुचित उपभोग करने के लिये यह आवश्यक है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जाये । यदि विश्व में अधिक बच्चे होंगे तो हवा पानी की भी कमी हो जायेगी। लोगों को मनोविनोद के साधन उपलब्ध किये जाने चाहिएं । पहले देहाती लोग नोटंकी आदि द्वारा मनोरंजन करते थे परन्तु अब तो व्यावसायिक फिल्मों का बोलबाला है जिससे लोगों की वासनाएं जागृत होती हैं ।

नसबन्दी के बारे में समुचित जानकारी नहीं दी जाती । उन्हें अंग-भंग का डर रहता है । सही जानकारी स्पष्ट शब्दों में दी जानी चाहिए ।

अब एक अच्छा वातावरण तैयार हो गया है और यदि पुरुष सहयोग दें तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम सफल हो सकता है । लड़के और लड़की की विवाह आयु बढ़ाने से दोनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा । और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुधरेगा ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा करके डा० कर्ण सिंह ने सारे देश का ध्यान आकृष्ट किया है ।

हमारे देश में जनसंख्या के अनुपात में डाक्टरों की संख्या बहुत कम है । मंत्रालय को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक अस्पताल खोलने चाहिए । इस समय प्रत्येक पंचायत में बुनियादी स्वास्थ्य केन्द्र हैं परन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं । कैंसर क्षय रोग आदि देश भर में फैले हुए हैं । अनेकों बहुराष्ट्रीय औषधि कम्पनियां होते हुए भी हमारे यहां संजीवनी औषधियों की बहुत कमी है । कुछ औषधियां महानगरों में भी उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में हम कब तक आत्मनिर्भर हो सकेंगे ?

हमारी जनता कुपोषण की समस्या से सर्वथा अनभिज्ञ है। हमें लोगों को बताना चाहिए कि क्या खायें और कितना खायें । यह कार्यवाही कुपोषण का सामना करने के लिये आवश्यक है ।

जनसंख्या के नियंत्रित किये जाने के बारे में देश में कोई दो मत नहीं हैं । प्रबुद्ध, शिक्षित और उच्च वर्ग पहले ही परिवार नियोजन का पालन कर रहा है परन्तु निचले वर्ग को इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं हुई है । उनके पास मनोरंजन का और कोई साधन नहीं है जिसके अभाव में वे परिवार संवर्धन में लगे रहते हैं । हम प्रति वर्ष एक आस्ट्रेलिया पैदा करते हैं । हम सबको परिवार नियोजन कार्यक्रम को समर्थन देना चाहिए । हम नसबन्दी का स्वागत करते हैं परन्तु इसे अनिवार्य बनाने के प्रश्न पर हम सहमत नहीं हैं । इससे घातक स्थिति पैदा होगी । हमारी जनसंख्या नीति हमारे समूचे आर्थिक विकास पर आधारित होनी चाहिए और जीवन स्तर के सम्पूर्ण प्रश्न के अनुरूप होनी चाहिए। किन्तु हमें जनसंख्या नीति का प्रचार करते समय अपनी जनता को साथ लेकर चलना चाहिए। अनिवार्य नसबन्दी

के मामले को राज्यों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए । यह नीति केन्द्र द्वारा तय की जानी चाहिए । यह प्रसन्नता की बात है कि अन्य धर्मों के प्रधान भी परिवार नियोजन गतिविधियों का स्वागत कर रहे हैं । यह आशा की जाती है कि अन्य धर्मों के प्रधान भी इसके लिये राजी कर लिये जायेंगे और उन्हें परिवार नियोजन स्वीकार्य होगा ।

श्री ए० के० किस्कु (झाड़ग्राम) : मैं डा० कर्ण सिंह को उनकी चमत्कारपूर्ण उपलब्धियों पर बधाई देता हूं । यह उनकी गतिशील निष्ठा एवं नेतृत्व के कारण संभव हुआ है । चेचक का उन्मूलन उन्होंने सफलतापूर्वक किया है ।

उनकी दूसरी उपलब्धी खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण रोकने का संशोधिक विधेयक है ।

अंतिम उपलब्धी जनसंख्या नीति की घोषणा है ।

नसबन्दी के बारे में डा० वी० के० आर० वी० राव के सुझाव सराहनीय हैं ।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताया जाता है कि अभी भी 195 ब्लाक उनसे वंचित हैं जिनमें से दो-तिहाई जनजातीय क्षेत्रों में हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन इस कार्य को परम अग्रता दी जायेगी।

लगभग 95,000 गांवों में पेय जल उपलब्ध नहीं है । खेद है कि ग्रामीण जल सम्भरण की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । लोग अभी भी ऐसे तलाबों का पानी पीते हैं जिनमें पशु नहाते हैं। इन सुविधाओं के लिये जो धन दिया जाता है वह उन्हीं पर व्यय किया जाये इस बात का ध्यान रखा जाये ।

मैं आग्रह करता हूं कि बुनियादी स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में रिपोर्ट में कुछ उल्लेख नहीं किया गया।

संसद् में कुष्ठरोग के बारे में कई बार पूछा गया है कि क्या इन रोगियों की संख्या बढ़ रही है? मुझे भय है कि कुष्ठरोगियों की संख्या बहुत अधिक है । इस बारे में सही गिनती की जानी चाहिए । जब मैं मंत्रालय में था तब ऐसी संस्थाओं के अनुदान 3-4-5 वर्ष तक रुके हुए थे। यदि यही स्थिति है तो कल्पना नहीं की जा सकती कि स्थिति कितनी विषम है।

संसद् ने केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की स्थापना की है । तब से इस पद्धति की मांग बढ़ती जा रही है । कानपुर विश्वविद्यालय ने होम्योपैथी निकाय की स्थापना की है कलकत्ता विश्वविद्यालय ने चार वर्ष का डिग्री कोर्स चालू किया है ।

इस विधेयक के प्रस्तुत होने से चिकित्सा के क्षेत्र में देश में नया उत्साह आया है। देसी चिकित्सा पद्धतियों की अभी भी उपेक्षा की जा रही है । सरकार उनकी ओर अधिक ध्यान दे। होम्योपैथी और अन्य देशी चिकित्सा पद्धतियों के डाक्टरों को रेलवे, रक्षा आदि विभागों में नियुक्त किया जाए और इस प्रकार उनके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं सरकार को चेचक का उन्मूलन करने के लिए बधाई देती हूं। परन्तु मलेरिया फिर से आ गया है। सभी जगह मच्छरों की बहुतायत हो गयी है । इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है? सरकार इस ओर अधिक ध्यान दे।

बच्चों की आंखों के कमजोर होने के कारण का पता लगा कर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। सरकार बच्चों की आंखों में सुधार की ओर अधिक ध्यान देने तथा उनमें होने वाली आंख की बीमारियों की रोकथाम का प्रयत्न करे।

एन्टीबायटिक्स पैथिडीन आदि दवाइयों का उपयोग यहां के लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए कम किया जाएं, क्योंकि इसका असर खतरनाक हो सकता है।

मेडिकल कालेजों में इस महिला वर्ष में महिलाओं के लिए आधे स्थान सुरक्षित किए जाएं। इस पेशे में महिलाएं अधिक आ सकती हैं।

मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए दान देने की प्रथा को समाप्त किया जाए। क्योंकि ऐसी अवस्था में गरीबों को इस शिक्षा से वंचित रहना होगा और फिर शिक्षा को इस प्रकार बेचा क्यों जाए।

परिवार नियोजन के संबन्ध में मैं भी अन्य सदस्यों के विचारों से सहमत हूं। इसका सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। इससे उनके स्तर में सुधार होगा तथा परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। परिवार नियोजन से पूर्णतः सहमत होते हुए भी मैं इस सम्बन्ध में होने वाली अनियमितताओं जैसे अविवाहितों की नसबन्दी, आपरेशन में लापरवाही, बलप्रयोग आदि के विरुद्ध हूं।

परिवार नियोजन लागू करते समय धर्म की बात आड़े नहीं आनी चाहिए।

सरकार योग को बढ़ावा दे। यह निश्चित विज्ञान है। हो सकता है इससे कुछ डाक्टरों की आय पर प्रभाव पड़ सकता है परन्तु देश की जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आवश्यक है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : मलेरिया फिर से एक खतरनाक बीमारी हो गया है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है तथा उन पर कुनीन डी०डी०टी० आदि का भी असर नहीं होता है। फिर इसका विकल्प क्या हो? इस संबन्ध में मंत्रालय तुरन्त कदम उठाए।

देश से डॉक्टर अन्य देशों को जा रहे हैं। सरकार यह नहीं चाहती और डाक्टरों, इंजीनियरों आदि के देश छोड़ कर बाहर चले जाने का रोना रोते हैं पर दूसरी ओर वह मध्यपूर्व अफ्रीकी देशों आदि में जाने के इच्छुक डाक्टरों आदि की सूची बना रही है। मलेरिया को समाप्त करने के लिए नए मेडिकल स्नातकों का उपयोग किया जाए जिससे उनमें निराशा की भावना पैदा न हो। मलेरिया के साथ-साथ फाइलेरिया की ओर भी ध्यान दिया जाए।

परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया है। परन्तु इसे अनिवार्य न किया जाए। लोगों को यह समझाया जाए कि देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है तथा उसके लिए हमें कुछ बलिदान देना चाहिए तथा अपने ऊपर संयम रखना चाहिए।

जैसा कि मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है, विवाह आयु को बढ़ाया जाए। हमें अपने युवकों को राष्ट्र निर्माण के कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए; कम-से-कम 25 वर्ष की आयु तक तो अवश्य हो, जिससे विवाह की बात सोच ही न सकें।

इस कार्य में महिलाओं द्वारा योगदान दिए जाए बिना सफलता नहीं मिल सकती। इसके लिए हमें तालुका और जिला स्तर पर संगठन बनाने चाहिए क्योंकि जब तक ग्रामीण महिलाओं को इस संबन्ध में शिक्षित नहीं किया जाता इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकती।

श्रीमती एम० गोडफ्रे (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय) : हमारे अस्पताल बड़े गन्दे हैं, उनकी सफाई में सुधार किया जाना चाहिए।

अस्पतालों के आपात विभागों में आवश्यकता की पूर्ति करने योग्य व्यवस्था नहीं है। वहां रोगी की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में नर्सें आदि नहीं है। उनमें दवाइयों आदि की सप्लाई पर्याप्त नहीं है। रोगी बिन दवाई के पड़े रहते हैं। जो दवाई सप्लाई होती है, बहुत खराब किस्म की होती है तथा कभी-कभी उनके उपयोग से रोगियों की मौत हो जाती है। ऐसे मामलों में संबन्धित निर्माता, के विरुद्ध कार्यवाई की जानी चाहिए।

हमें परिवार नियोजन के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता को शिक्षित करना चाहिए। उनके मन से इसके बारे में विद्यमान डर को निकालना चाहिए।

सरकार लोगों को समझाएं कि परिवार नियोजन के संबन्ध वह जो भी कदम उठा रही है वह जनता और देश की भलाई के लिए है। तथा इसमें हम उनका सहयोग चाहते है। लोगों पर दबाब डालने के बजाय परिवार नियोजन के संबन्ध में उन्हें उचित जानकारी देनी चाहिए।

परिवार नियोजन के लिए आवंटित धन को व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। जिन लोगों की एक बार नसबन्दी कर दी गई है उनके नामों की सूची कई बार बनाई जाती है क्योंकि एक डाक्टर को कुछ निर्धारित संख्या में लोगों की नसबन्दी करनी होती है। इसलिए वह पहली सूची के नामों की फिर से सूची तैयार करता है। 70 वर्ष के व्यक्तियों की नसबन्दी करने का कोई औचित्य नहीं है।

एक अन्य शिविर में 24 वर्ष के लड़के को नसबन्दी करने के लिए लाया गया था। इस तरह से ग्रामीण महिलाओं में यह भय फैल गया है कि पुरुषों की नसबन्दी होने से उनके परिवार को बहुत हानि होगी। अतः शिक्षित लोगों को गांवों में जाकर वहां के लोगों को परिवार नियोजन के बारे में सही और उचित शिक्षा दी जाये तो वे स्वयं यह महसूस करेंगे और दो या तीन से अधिक बच्चे नहीं बनायेंगे। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि सरकार उनके सुख और समृद्धि के लिए यह कार्य कर रही है और उन्हें सरकार को सहयोग करना चाहिए।

यदि हम उनके मन से भय और शंका दूर कर दें तो प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करेगा और परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति होगी।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मलेरिया बहुत घातक रोग है। इससे देश में सबसे अधिक लोग मरते हैं। 1952 में नियंत्रण कार्यक्रम और 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व इस रोग से प्रति वर्ष 7.5 करोड़ व्यक्ति रोग ग्रस्त होते थे और 8 लाख व्यक्ति मरते थे। अतः राष्ट्र को यह चिंता हो गई थी कि मलेरिया के आतंक से कैसे छुटकारा पाया जाये। अन्ततः इसका एक समाधान मिला और 1953 में हमने राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम अपनाया। जब इस कार्यक्रम का उत्साहजनक परिणाम निकला तो हमने 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अपनाया। इसका भी बहुत अच्छा परिणाम निकला। जब इससे पहले प्रतिवर्ष 7.5 करोड़ व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते थे और 8 लाख व्यक्ति मरते थे लेकिन बाद में 1961 में रोगियों के मामले घटक 49.151 रह गये

और इससे कोई मृत्यु नहीं हुई। 1961 से 1973 तक इस रोग से कोई व्यक्ति नहीं मरा। आरम्भ में इसके रोगियों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई। लेकिन अब हाल में यह बहुत बढ़ गई।

सदस्यों ने मलेरिया वापस आने के मामले में बहुत चिन्ता व्यक्त की है। इसके कई कारण हैं कि यह क्यों वापस आया है? एक कारण तो यह है कि 1965 में कीटनाशकों के मूल्य में भारी वृद्धि हो गई थी और जितना धन हमारे पास था हम उससे केवल आधी मात्रा में कीटनाशक खरीद पाये। फिर मच्छरों पर डी०डी०टी० का प्रभाव पड़ना कम होता गया। कुछ समय के लिये तो दवाओं की भी कमी हो गई थी। इसी कारण मलेरिया के रोगियों में भारी वृद्धि हुई है। प्रत्येक राज्य में व्यक्तियों की वेतन वृद्धि के कारण संचालन लागत भी बढ़ गई थी। जब प्रतिवर्ष 80 लाख व्यक्तियों की जान लेने वाला यह रोग कुछ वर्षों के लिये नष्ट प्रायः हो गया था, तब प्रशासन में भी कुछ ढील आ गई थी। इन सभी कारणों से मलेरिया वापस फिर आया है। यह कोई भारत में ही नहीं है। यह तो विश्वव्यापी मामला है। इस क्षेत्र के अन्य देशों में भी मलेरिया की समस्यायें हैं।

सरकार इस समस्या से निपटने में बिल्कुल उदासीन नहीं है। सरकार बहुत प्रयत्नशील है और इससे निपटने के लिये एक नई समरनीति अपनाई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की तीसरी संयुक्त बैठक में यह दृढ़ निश्चय किया गया है कि हमें मलेरिया से डटकर मुकाबला करना चाहिये। हमने इसके लिये मूलभूत ढांचा बना लिया है। लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध धन है उससे हम इसका पूर्णतः उन्मूलन नहीं कर सकेंगे। धन की कमी के अतिरिक्त इस समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिये हम सभी उपलब्ध उपाय करेंगे। आशा है हमारा राष्ट्र मलेरिया को नियंत्रण में कर लेगा।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) :—We have been able to eradicate smallpox, but malaria has assumed serious proportions. The Minister should accept the challange and take steps to check this menace.

Allopathic system of medicine is expensive. Ayurvedic and Unani systems are cheaper and good. The Government should give encouragement to these systems of medicines.

A number of our doctors are going to America and settling there. This is a great loss to the country. Steps should be taken to check this brain drain. The difficulties of doctors which compelled them to leave the country should be removed.

We have to take up family planning programme on war footing. Cooperation of State Governments and all people is necessary for the successful implementation of this programme. Assistance of voluntary organisations should also be taken in this matter.

At present we are concentrating our attention on urban areas for implementing family planning programmes. More attention should be paid to rural areas. Health centres with necessary equipments and doctors should be set up there so that family planning programme is implemented in rural areas also.

There is delay in making medicines available in C. G. H. S. dispensaries. This is because of complicated procedure for getting medicines. Steps should be taken to remove this delay.

Trained doctors should be sent to rural areas. All those coming out of colleges, should be sent to rural areas for two years.

I support the demands of this ministry.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : A number of undesirable things are being done in the name of family planning. The Delhi Municipal Corporation has issued a circular

which is aimed at coercing its employees to go in for sterilisation. Sterilisation certificates are demanded in the matter of recruitment, promotion, confirmation etc. Other facilities like loan or advances are to be given only if sterilisation certificates are produced. All sorts of coercive methods are being adopted to force people to go in for sterilisation.

Family planning is a desirable programme for the country, but there should not be any coercion in enforcing this programme. If the present state of affairs continue the very objectives of family planning will be defeated. This programme should be implemented through persuasion and not by force.

It is said that smallpox has been completely eradicated. But there are cases of small pox in Patna.

Our country is facing mosquito menace. Steps should be taken to check this menace.

Attention should also be paid to the problems of hospital employees, and their demands should be met.

श्री पी० गंगा रेड्डी (आदिलाबाद) : यह हमारे लिये गर्व की बात है कि देश में रोहे और चेचक की बीमारी पूर्णतया दूर ही कर दी गयी है। यह बीमारी देश में फिर न फैले इसके लिये अनुवर्ती कार्यवाही करनी होगी अन्यथा मलेरिया की भांति यह रोग फिर प्रकट हो जायेंगे?

फ्लू, मियादी बुखार, हैज़ा, काली खांसी, क्षय रोग और यौन रोग जैसे खतरनाक रोगों पर नियंत्रण किया जाना चाहिये। अन्धेपन को रोकने की कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये। प्रतिवर्ष देश में 30,000 बच्चे इस अन्धेपन के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं जबकि इनमें से 75 प्रतिशत बच्चों को यदि उनके रोग का इलाज किया जाये तो अन्धेपन से बचाया जा सकता है। उनके अन्धेपन का मुख्य कारण कुपोषण और उपेक्षा है। अन्धे बच्चों के लिये अधिक विद्यालय खोले जायें। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंखों का आपरेशन करने के लिये नये शिविर लगाये जायें।

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान, हृदय और मस्तिष्क शल्य चिकित्सा के सम्बन्ध में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन इस संस्थान को वित्त अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इस संस्थान के लिये आवश्यक सुविधाओं और धन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

संजीविनी औषधियों पर, जिनका हम आयात करते हैं, लगाये जाने वाले सीमा शुल्क में काफी वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले पर वित्त मंत्री से बातचीत करनी चाहिये। अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान के लिये आवर्ती निधि की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा उसे इन दवाइयों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिये। इस प्रकार यह संस्थान काफी पैसा बचा सकता है।

देश में 2 करोड़ अपंग व्यक्ति हैं। उनके पुनर्वास के लिये जिला स्तर पर पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिये।

पोषण कार्यक्रमों को देश के हर कोने तक पहुंचाया जाये। प्रत्येक बच्चे को 2 गिलास दूध प्रतिदिन मिलना चाहिये?

अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजनायें चालू की जायें। धनी वर्गों को निशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिये।

यदि हम देश में परिवार नियोजन लागू नहीं करेंगे तो देश में जनसंख्या का विस्फोट हो जायेगा। कुछ लोग परिवार नियोजन के मामले में धर्म की आड़ लेते हैं। कोई भी धर्म परिवार

नियोजन से मनाही नहीं करता। अधिकांश मुस्लिम देश भारत की ही अपेक्षा अधिक तेजी और सफलता से परिवार नियोजन के कार्य को अपना रहे हैं । यह धर्म का प्रश्न नहीं है अपितु यह हमारे जीवन का प्रश्न है ।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : मैं मंत्री महोदय को इसलिये बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने जनसंख्या को 'राष्ट्रीय' जनसंख्या नीति के रूप में लिया है। और इस नीति को तैयार किया है। यह देश की जन नीति है।

मुझे तो तभी प्रसन्नता होगी यदि सभी माननीय सदस्य अपने परिवार के आंकड़े दें।

देश की जनसंख्या इस समय बढ़कर 60 करोड़ हो गई है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन 27 वर्षों में देश की जनसंख्या में 25 करोड़ की वृद्धि हुई है। जनसंख्या में ज्यामैट्रीकल अनुपात से वृद्धि हुई है ।

भारत में कर्मचारियों और मजदूरों को पारिवारिक जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई मनोरंजन प्राप्त नहीं है। बाहर मनोरंजन मनाना उनके सामर्थ्य से बाहर है। इसीलिये उनके परिवारों में वृद्धि होती है । और यह विश्वास, आस्था या धर्म का प्रश्न नहीं है बल्कि यह इस वातावरण का प्रश्न है जो हमने इन लोगों के लिये बनाया है।

परिवार और राष्ट्र के स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है। हमें केवल जनसंख्या का ही नियंत्रण नहीं करना है बल्कि हमें यह भी देखना है कि इस प्रक्रिया,से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो ? साथ ही हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि परिवार नियोजन अपनाने, नसबन्दी अनिवार्य रूप से कराने के लिये आप दबाव न डालें। लोगों की जबरन नसबन्दी करने के लिये शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें अनेक तरह की धमकियां दी जा रही है।

हमारी ओर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। गत वर्ष पांच मामले प्रकाश में आये। एक मामले में 64 वर्षीय वृद्ध की नसबन्दी की गई, दूसरे मामले में 59 वर्षीय व्यक्ति तथा तीसरे मामले में 17 वर्षीय युवक की नसबन्दी की गई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम सब जनसंख्या को कम करना चाहते हैं। हमें साहसपूर्ण ढंग से यह कहना चाहिये कि हम कुछ वर्षों तक सन्तान उत्पन्न नहीं करेंगे। यदि सब महिलायें यह निर्णय कर लें कि वे अगले दस वर्ष तक बच्चे उत्पन्न नहीं करेंगी तो सहज रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिये हमें करोड़ों रुपये व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है—इच्छा शक्ति की। आपात स्थिति ने हमारे अन्दर यह इच्छा शक्ति उत्पन्न की थी लेकिन लगता है कि हमारी इच्छा शक्ति फिर कमजोर पड़ गई है। लेकिन जहां तक मेरे दल का संबंध है, हम इस मामले में गम्भीर रहे हैं। हमारे यहां जब भी विवाह सम्पन्न होते हैं, हम भरे पंडाल में परिवार नियोजन पर भाषण देते हैं। यह काम हम आज से नहीं लम्बे अरसे से करते आ रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं यह भी सुझाव दूंगा कि नसबन्दी को अनिवार्य न बनाया जाये बल्कि जनता में परिवार नियोजन की इच्छा शक्ति उत्पन्न की जाये।

पांडिचेरी में 'जिप्मर' संस्थान वर्ष 1956 से चल रहा है। परन्तु यहां से शिक्षा प्राप्त डाक्टर बेरोजगार हैं। उनको पांडिचेरी में नौकरी नहीं मिल पाई है। ऐसी नीति से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमें अपनी नीतियों को गंभीरता से अपनाना चाहिये । मैं इस संस्थान में वेतनमानों की विषमता के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। वहां के प्रयोगशाला निरीक्षक के वेतनमान सफदरजंग

हस्पताल या विलिंगडन हस्पताल के समपदधारियों से कहीं कम हैं। जब हम उनको परिवार नियोजन की बात करते हैं तो उनका कहना यह होता है कि पहले हमारी विषमताएं दूर करो। स्वास्थ्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस समस्या पर विचार करें।

परिवार नियोजन वैज्ञानिक तरीके अपनाकर नहीं किया जा सकता। इसके लिये हमें लोगों में इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी।

श्री एस० एम० सिद्धय्या (चामराजनगर) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही मैं अपने विचार भी प्रकट करना चाहता हूं।

गैर-सरकारी चिकित्सा-शिक्षा कालेजों द्वारा प्रति छात्र शुल्क लेने के मामले पर सदन में कई वर्ष 1970 में चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये और सरकार को चाहिये कि वह इस प्रथा को रोके और यदि वह ऐसा नहीं कर सकती तो उसे उन संस्थाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। क्या सरकार ने इस आशय का कोई निर्णय किया है कि वह गैर-सरकारी चिकित्सा शिक्षा कालेजों को अपने हाथ में ले लेगी ? कर्नाटक में ऐसे 5 से अधिक कालेज हैं जहां यह शुल्क लिया जाता है। समृद्ध वर्ग के छात्र तो प्रवेश पा जाते हैं पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र इन कालेजों में धनाभाव के कारण प्रवेश नहीं पा सकते। सरकार इस मामले में चुप क्यों बैठी है?

देश में कुल 106 चिकित्सा शिक्षा कालेज हैं जिनमें से 25 गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। अधिकांश गैर-सरकारी कालेजों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये सीटें आरक्षित नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने के बावजूद भी वे इन जातियों के छात्रों के लिये सीटें आरक्षित नहीं करते। स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये भी इन जातियों के लिये सीटें आरक्षित नहीं हैं। हाल में केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया था कि स्नातकोत्तर परीक्षाएं अखिल भारतीय स्तर पर होंगी। केन्द्रीय चिकित्सा बनाने का भी एक प्रस्ताव सरकार के पास था। यदि ऐसी स्थिति में इन जातियों के लिये सीटों का आरक्षण नहीं किया जाता तो इससे इन जातियों को काफी हानि होगी उच्चतर शिक्षा के मामले में इन जातियों के लिये सीटों के आरक्षण पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

सरकार ने हाल में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

जहां तक महिला शिक्षा का संबंध है, देश में महिला साक्षरता पर बल देना चाहिये क्योंकि इस समय महिला साक्षरता बहुत कम हैं। इसके लिये राशि व्यय की जानी चाहिए और जन्म दर घटाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

जहां तक नसबन्दी के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसको स्वैच्छिक घोषित करने से सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन अनिवार्य नसबन्दी के मामले में सरकार को बहुत सावधानी से काम लेना होगा। यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कंधों पर नहीं डालनी चाहिये। वहां अनिवार्य नसबन्दी के लिये आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों को लोगों में परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिये क्यों नहीं कहा जाता? अनिवार्य नसबन्दी के अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस पहलू पर विचार करें। महिला शिक्षा तथा परिवार नियोजन प्रचार पर अधिक राशि व्यय की जानी चाहिये।

***श्री आर० एन० बर्मन** (बेलूरघाट) : इस समय देश को दो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । पहली समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरी समस्या है खाद्यान्न समस्या । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष खाद्यान्न स्थिति संतोषजनक रही है। यदि हमें प्राकृतिक प्रकोप का सामना न करना पड़े तो हम आगामी वर्षों में आत्म-निर्भर हो सकते हैं। लेकिन यदि हम जनसंख्या की वृद्धि को नहीं रोकते तो हमारे सारे प्रयत्न निष्फल हो जायेंगे। जनसंख्या की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है और इस पर रोक लगनी ही चाहिये। हम कई वर्षों से इस समस्या के समाधान में लगे हैं परन्तु असफलता ही हमारे हाथों लगी है । क्या मंत्री महोदय इस असफलता का कारण बता सकते हैं? मेरे विचार में असलफता का मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा और केवल शहरी क्षेत्रों की ओर ध्यान करना ।

हमें चाहिये कि हम परिवार नियोजन कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफल बनायें। डाक्टरों को भी परिवार नियोजन शिक्षा दी जानी चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन तरीकों के बारे में कई अफवाहें फैली हुई हैं । हमें इन अफवाहों को दूर करना चाहिये। परिवार नियोजन को अनिवार्य करने की बातें सुनकर प्रत्येक राज्य में आतंक का वातावरण बन गया है। क्या ऐसे कदम केवल शहरी क्षेत्रों में उठाये जायेंगे अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवार नियोजन को अनिवार्य किया जायेगा ? दिल्ली में अध्यापकों को नसबन्दी के 5 मामले लाने के लिये कहा गया है । ऐसा न करने पर उनका वेतन रोक दिया जायेगा। यह अच्छा नहीं है । जनता में परिवार नियोजन के महत्व के बारे में रुचि पैदा करने की आवश्यकता है। अध्यापकों को ऐसा काम करने पर विवश नहीं किया जाना चाहिये अन्यथा वे भली प्रकार पढ़ा नहीं पायेंगे। कई ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें महिलाओं को नसबन्दी आपरेशन के बाद कई रोगों का शिकार होना पड़ा । इस समस्या का हल क्यों नहीं निकाला गया ?

परिवार नियोजन राष्ट्र की प्रगति के लिये आवश्यक है। अतः इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों के कंधों पर डालनी चाहिये। हम केवल अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर हैं। हमें होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी आदि चिकित्सा विधि पर भी जोर देना चाहिये। विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करने से जनसंख्या में कमी होगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता। बजट आवंटन की अधिकांश राशि शहरी क्षेत्रों में व्यय कर दी जाती है । मंत्री महोदय बतायें कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया जाता है ?

पश्चिमी बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले के कई स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं। लेकिन इनमें चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त पड़ा है। कई केन्द्रों में बिस्तरों तक की व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय सरकार का कहना है कि यह काम राज्य सरकार का है और राज्य सरकार का कहना है कि उनके पास धन नहीं है। इस प्रकार ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। जिला स्तर पर भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बेलूरघाट में 300 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है पर वहां 550 बिस्तरों की आवश्यकता है। क्षयरोगियों के लिए अलग हस्पताल नहीं है। धनाभाव के कारण निर्माण कार्य रुका पड़ा है। वहां रक्त बैंक भी है पर प्रशिक्षित डाक्टरों के अभाव में इस बैंक से लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा। इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speach delivered in Bengali.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि मलेरिया फिर से जोर पकड़ रहा है। अब इससे मानसिक रोग भी हो सकते हैं। उत्तरी बंगाल में मलेरिया फैल चुका है। इस आतंक को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? कलकत्ता में दूषित जल की सप्लाई होती है। इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती?

मंत्री महोदय के सामने विकट समस्याएं हैं परन्तु हम उनके साथ हैं, सारा राष्ट्र उनके साथ है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। परिवार नियोजन राष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्या है। लेकिन हम इसको गम्भीर रूप से नहीं अपना रहे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या में 25 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 30 लाख जनसंख्या बढ़ जाती है। यह एक गम्भीर बात है और हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार ने अनिवार्य नसबन्दी पर एक विधेयक पेश किया है। इससे देश में आतंक फैल गया है। लेकिन मैं परिवार नियोजन का समर्थक हूं। हमें राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या का हल करना चाहिएं। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। यदि जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप था लेकिन राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता के परिणामस्वरूप वहां मलेरिया का नामो निशान नहीं है।

आदिवासी क्षेत्रों में कुष्ठ रोग फैला हुआ है। कुष्ठ रोगियों के लिए अलग अस्पताल बनाए जाने चाहिएं और उनके रहने की व्यवस्था वहीं की जानी चाहिए। इसके लिए कोई कानून भी बनाया जाना चाहिए ताकि कुष्ठ रोगी अन्य लोगों के सम्पर्क में न आएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में फिलेरिया, कैंसर, क्षय रोग तथा रति रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति शोचनीय है। प्रश्न केवल इस बात का नहीं है कि सरकार ने इस दिशा में क्या किया है; प्रश्न इस बात का है कि सरकार ने क्या नहीं किया।

हमारी चिकित्सा शिक्षा नीति दोषपूर्ण है। डाक्टरी शिक्षा पूरी करने के बाद डाक्टर स्वदेश छोड़ कर विदेशों में नौकरी करते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

देश में कई निजी प्रयोगशालाएं हैं जिनमें अकुशल व्यक्ति काम करते हैं। वे गलत रिपोर्ट देते हैं। क्या कोई ऐसा कानून बनाया गया है जिससे इन प्रयोगशालाओं में केवल कुशल व्यक्ति ही काम करें। सरकार को इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। कुशल डाक्टरों के विदेश जाने का एक कारण यह भी है कि यहां प्रयोगशालाएं अकुशल डाक्टरों द्वारा चलाई जा रही हैं।

जहां तक मिलावटी दवाओं का सम्बन्ध है, दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार विश्लेषकों की नियुक्ति क्यों नहीं करती जिनका दवाओं के निर्माण के बारे में निर्णय

अन्तिम होगा ? जब तक मिलावट के क्षेत्र में कठोर कार्यवाही नहीं की जाती, हम इस समस्या का सही निदान नहीं कर सकते।

अस्पतालों में दवाओं की बहुत कमी है। जब अपात स्थिति की घोषणा की गई सरकार ने कहा कि वह शाम को भी बहिरंग रोगी विभाग खोलेगी। लेकिन ऐसा करने से क्या लाभ है यदि दवाएं ही उपलब्ध नहीं हैं ?

सरकार को आयुर्वेदिक तथा स्वदेशी प्रणालियों एवं वर्तमान चिकित्सा प्रणालियों की एक मिश्रित नीति बनानी चाहिए। ये सभी प्रणालियां एक साथ चल रही और उनका आपस में समन्वय नहीं है। इसलिए मिश्रित व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है।

जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है, यह बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को डराया धमकाया जाए। सरकार अनिवार्य नसबन्दी की बात किस प्रकार कर सकती है ? इसका क्या अर्थ है ? परिवार नियोजन के लिए हमें लोगों के रवैये में परिवर्तन करना होगा। हमें लोगों का सहयोग प्राप्त करना होगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करना होगा जिससे रुग्ण पीढ़ी का जन्म हो।

हमने सुना है कि पुलिस स्कूलों में घुसकर बच्चों को पकड़ कर ले जाती है और गरीब अभिभावकों से नसबन्दी करवाने के लिए मजबूर करती है। यह संगत नहीं है।

परिवार नियोजन के क्षेत्र में अब तक हमें जो सफलता प्राप्त हुई है वह लोगों को समझाबुझाकर हुई है, न कि उन्हें विवश करके। विवश करने का अर्थ है--डराना धमकाना। सरकार को ऐसे अनुदेश जारी करने चाहिए कि यदि कोई इस प्रकार की घटना होती है तो दोषी अधिकारी को सजा दी जाएगी नसबन्दी तथा परिवार नियोजन के प्रश्न पर हमें सभ्य तरीके से विचार करना होगा।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr): Our ancient indigenous system of medicines are in a state of utter neglect and serious thought requires to be given to their development.

As regards family planning, there are no two opinions that if population went on increasing at this rate, it will create serious problems in regard to food supply and living accommodation. It is, therefore, most essential to make efforts to control the growth of population and reduce the birth rate. But coercion and force should not be used in implementing the family planning programmes. Some sort of climate should be created in the country in which people may realise the gravity of the problem of population explosion. Measures should be taken to eliminate poverty with a view to reducing the birth rate among the poor sections of the society.

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए।]
[**Shri Bhagwat Jha Azad in the Chair.**]

It is alright that Hindi has been fairly used for propagating family planning programmes, but it should be noted that prescriptions of medicines in urban or rural hospitals are still written in English and the patient is often unable to know what medicines are prescribed for him. Therefore, those prescriptions should be written either in Hindi or the regional language of that area.

As regards food adulteration, action is being taken against petty retailers and the big manufacturers are going scotfree. At the same time, sanitary inspectors are exploiting the situation to earn illegal money. Adequate measures should be taken to check adulteration.

Mr. Chairman: Please conclude your speech. I give you 5 minutes more.

श्री० बी० बी० नायका : मैं अनुरोध करता हूं कि समय बढ़ाया जाये ताकि हम वाद-विवाद में भाग ले सकें।

सभापति महोदय : एक दल के प्रत्येक सदस्य को 6 मिनट का समय दिया गया है। अधिक समय के लिए आप अपने दल से अनुरोध करें।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी गढ़वाल) : 6 मिनट के समय में व्यक्ति क्या बोलेगा। कम से कम 10 या 12 मिनट का समय तो दिया ही जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अभी कांग्रेस दल के 12 सदस्यों को भाषण देना है। उपमंत्री महोदय को भी अपना भाषण देना है जो कम से कम 10 मिनट लेंगे। इसलिए आप कृपया शान्त होकर बैठ जाइये।

Shri M. C. Daga (Pali): The main question is as to whether the States or the Centre are going to implement the national policy on population. There is not adequate supply to medicines and drugs to primary health centres in blocks and poor patients have to go without them. Even the hospitals being run under ESI Scheme are short of medicines.

Government themselves are responsible for the brain-drain of medical talent, bacause government cannot offer better opportunities for these talents. Serious thought should be given to this aspect also.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): Several remarkable achievements in the field of public health go to the credit of the Ministry of Health during the last 25 years but a good deal still remains to be done. The condition of primary health centres in rural areas or the rural family planning centres is very pitiable and a good deal of improvement requires to be done in their working. In the rural areas, people have to suffer hardship due to shortage of doctors. The fresh medical graduates and inexperienced doctors are sent to rural areas for training and it leads to serious results. Therefore, only the experienced doctors should be sent to rural areas. Government should revise their policy in this regard.

It is said that we have been able to wipe out malaria, but we find that it is spreading everywhere. Therefore, in order to control it, arrangements should be made for adqequate supply of DDT and other medicines. Preventive methods for controlling other diseases like T.B. Typhoid etc. should widely used.

The scheme of family planning can be made successful only when the States are given directions to introduce compulsory sterilisation after three children. More publicity should be made in rural areas, specially in backward regions, with a view to enforcing family planning programmes among the lowest and poorest sections of the community. A legislation must be enacted to implement the family planning programmes. It should be made compulsory by law.

Stringent laws have been enacted to prevent adulteration, but only the petty traders are being penalised and no action is taken against the big manufacturers.

There is no supply of drinking water in Rajasthan for miles together. Adequate attention must be paid to tackle this problem.

सभापति महोदय : वाद-विवाद 5.55 बजे समाप्त कर दिया जायेगा। उस समय मंत्री महोदय अपना भाषण देंगे जो कल तक जारी रहेगा।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : परिवार नियोजन कार्यक्रम ने अभी समाज के उस वर्ग को नहीं छुआ है जिसमें अधिकतम बच्चे उत्पन्न होते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर हम समाज के इस वर्ग में भी परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। यदि सही प्रचार किया जाए तो समाज का वह वर्ग भी ऐसी लाटरियों में भाग लेने के प्रति रुचि व्यक्त करेगा जो लाटरियां नसबन्दी अथवा अन्य परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वाले लोगों के लिए निकाली जाती हैं।

जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्य सेवाओं में अलग अलग वेतनमान हैं। इस विभाग द्वारा विभिन्न वेतनामानों का अध्ययन किया जाना चाहिए और कोई ऐसा तरीका निकलना चाहिए जिससे पिछड़े क्षेत्रों को नुकसान न हो क्योंकि ये राज्य उच्च वेतनमान देने की स्थिति में नहीं हैं।

निजी प्रैक्टिस न करने की एवज में दिए जाने वाले भत्ते के बारे में नीति एक समान नहीं है कुछ राज्य भत्ता दे रहे हैं और कुछ राज्यों ने यह भत्ता देना बन्द कर दिया है। लेकिन लोग पिछड़े क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें ऐसा कोई भत्ता नहीं मिलता।

यह बताया गया था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुष्ठ रोग अस्पताल खोला जाएगा, लेकिन यह मामला अभी भी खटाई में पड़ा है। इस बारे में तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

मैं स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय की मांग का समर्थन करता हूं।

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Chowdhury Ram Sewak): It has been alleged by some Member that Government is not paying necessary attention to the indigenous systems of medicines. This is not correct. In fact during the course of the five plans the expenditure on the indigenous systems of medicines has risen manifold. In the First Five Year Plan Government has spent only Rs. 40 lakhs for the development of indigenous systems of medicines. It is now proposed to spend Rs. 28 crores and 25 lakhs for this purpose during Fifth Plan by the Centre and State Governments. Besides Rs. 2 crores and 30 lakhs would also be spent on establishing pharmacies and herb gardens.

An amount of Rs. 6.35 crores has been a earmarked during the Fifth Plan for the Central Schemes for starting postgraduate education, research and central pharmacy.

Four lakh persons are practising indigenous systems of medicine. Out of them I lakhs and 56 thousand are registered practioners of Ayurvedic System of Medicine alone. 15500 persons are practising Siddha System of Medicine and 25000 are practising Unani system of medicine. There are 1,17,092 practioners in homoeopathy who are duly registered.

There are 5 Ayurvedic and one Unani dispensaries under the Central Govrenment Health Scheme in Delhi. It has also been dedided to open Ayurvedic dispensaries in Allahabad, Kanpur, Calcutta, Madras, Nagpur, Bombay and Meerut under the C.G.H.S.

At present there are 89 Ayurvedic colleges, one college in Siddha medicine and 12 in Unani system of medicine in the country. About 2000 graduates are coming out of these colleges every year. Government gives grants to the voluntary institutions which are running these colleges.

The Central Council of Indian Medicines has recommended uniform syllablus for under graduate colleges and we are taking steps to implement these recommendations as early as possible.

So far as postgraduate education is concerned two postgraduate institutions are imparting postgraduate training in indigenous systems of medicine, one at Varanasi and the other at Jamnagar. Government of India has opened postgraduate departments in Ayurveda in fourteen colleges in various States, 2 postgraduate departments each have been opened for Unani and Siddha system of medicine also.

Government of India has constituted a Central Council for Research in the Indigenous System of Medicines, in order to have a uniform level of these systems of medicines and to have one central register.

The Council had already fixed the minimum standard of Ayurved, Sidh and Unani systems in consultation with the states.

Almost all the states have their own pharmacies for fulfiilling the requirements of indigenous medicines of their dispensaries. Apart from this in the country we have more than 620 pharmacies. It has been decided to give a grant of Rs. 5 lakhs per pharma cy to the state Governments.

For Nature Cure Rs. 20 lakhs have been kept in the fifth plan. An advisory Committee for Nature Cure have been constituted.

Shri Paripoorvanand Painuli (Tehri-Garhwal): I support the demands of the Ministry of Health and Family Planning and congratulate the Minister for announcing the new population policy.

Some drastic changes should be made in the medical education. Some incentive should be given to the doctors so as to encourage them to work in villages and backward hilly areas.

I suggest that nobody should be awarded degree unless the student do not serve in hilly and tribal areas atleast for three years.

At present the condition of the hospitals in my State of Uttar Pradesh is very unsatisfactory. It is worst in hilly areas. Some drastic changes should be made in this field.

Public institutions and organisations should try to popularise family planning and tell the people that Ram, Muhammad and Christ all observed family planning.

Most of the diseases spread on account of mal-nutrition. More attention should be paid to this side.

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : I support the demands of the Ministry of Health. The Population Policy declared recently is almost the draft of the Bill. It is good that the representation in the Lok Sabha and the State Legislatures will be frozen on the basis of the 1971 census until the year 2001.

In the tribal areas of Bihar family planning have become a source of income for some unscrupulous persons. They bring aged persons for sterilization and collect money.

On account of not having any Central Government control over Tata Hospital of Jamshedpur, patients die due to negligence. So for two-three cases of this nature have happened there.

Government should try to eradicate chicken pox.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का समर्थन करता हूं। पर मैं चाहता हूं कि इसे सभी राज्यों के लिए अनिवार्य बनाया जाए तथा संविधान में ऐसा उपबन्ध किया जाए। आशा है मंत्री महोदय पुन: विचार करके इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

Shri Ram Kanwar (Tonk) : Even after 27 years of independence there is no medical facilities in hilly and remote areas of the country and people die in want of proper medical aid. Some mobile dispensaries should be set up in such areas.

The family planning staff have not done their duty properly in the past and now they are compelling the persons to have starilization operation.

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad): In spite of our efforts population is increasing. This cannot stop unless and until we restrict the births equal to deaths. Steps in restricting the births should be taken without giving any consideration to religion, politics and other things.

A proper and separate arrangement should be made for keeping the lepers and they should not be allowed to roam about in the cities.

The laws regarding adulteration should be strictly implemented, because on account of adulteration thousands of people are dying every year.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : मलेरिया का प्रकोप फिर से आ गया है। मच्छरों पर अब डी० डी० टी० असर नहीं करता। अतः सरकार इसका कोई विकल्प ढूंढे, जिससे लोगों को इसके हमले से बचाया जा सके। मलेरिया के साथ-साथ फाइलेरिया के फैलने को भी रोका जाए क्योंकि यह भी छूत की बीमारी है और मच्छरों से ही फैलती है।

बुनियादी स्वास्थ्य केन्द्रों को जब तक अधिक साधन सम्पन्न नहीं बनाया जाता हम देश की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं।

मैं मंत्री महोदय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का समर्थन करता हूं। यह 20 वर्ष के अनुभव पर आधारित है तथा इसे तैयार करते समय अन्य देशों के अनुभवों को भी ध्यान में रखा गया है। अनिवार्य नसबन्दी का सहारा लेना आवश्यक हो गया है। इस दिशा में पहल करके महाराष्ट्र और पंजाब ने बधाई योग्य कार्य किया है।

इन शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : Government should encourage all the systems of medicines in the country because different persons believe in different systems.

There is still a long way to go to achieve the target of having a hospital within a distance of 5 kilometres from every village.

In each community block at least there should be one Primary Health Centre. Facilities of drinking water should be provided in the districts where it is not available.

The English names of Hospitals in Delhi should be renamed.

Government should set up an intelligence Agency to find out the persons responsible for producing spurious drugs.

Government should ask those doctors to repay the amount of money spent on their training, who want to go to foreign countries. Similarly the doctors desirous of starting private practice should be asked to repay the half the amount.

The doctors in Government service should be asked to go to the rural and hilly areas and work there for some period.

As far as Rural Health Scheme is concerned, I suggest that pharmacists should be recruited and imparted intensive medical training for two years and thereafter they should be sent to the villages. The theory of bare-foot doctors will not be successful in our country.

Attention should be paid towards female education and sex-education should be imparted in colleges. Obscene films should be banned and the producers should be asked to produce such films as to encourage family planning. Such films should also be subsidised by Government. Talks on family planning should be broadcast over A.I.R.

Shri Bhagat Ram Manhar (Janjgir): Government should open medical colleges and hospitals in rural areas. This will keep identify the problems and difficulties of the doctors in rural areas and in solving them. Rural Health Services Seheme can be successful if medical institutes are set up in the the rural areas.

The Hon'ble Minister has stated that the insecticides for fighting mosquito menace are very costly. Human life is very precious. Government should spend suffcient funds to check mosquito menace.

The family planning operations should be performed with due care because failure of one single operation will have a very adverse effect on the minds of the people. There should be a statutory ban on polygamy. Persons who choose to remain bachelors should be honoured.

Shri Nathuram Ahirwar (Tikamgarh): The number of hospitals in villages is very small. There neither doctors nor medicines are available. It is a very sorry state of affairs. Some rural area allowance should be provided to the doctors so that they may feel drawn towards such areas.

I have all the praise for the population policy of Government. Family planningg programme should be implemented effectively. Adequate knowledge about family plannin is not disseminated in the rural areas. Instead of coercing people to go in for steriliza tion, people should be persuaded to accept family planning. The curruption rampart in the-family planning programme should be rooted out.

The number of nurses in Willingdon Hospital is very small. Their salary is not attractive and that is why they leave their jobs. Adequate salary should be paid to them so that they may continue on their jobs. Proper residential accommodation should also be made available to the doctors.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : सभापति महोदय, यह अत्यन्त संतोषजनक बात है कि परिवार नियोजन के विषय पर इतने अधिक सदस्यों ने दिलचस्पी दिखाई है और चर्चा में भाग लिया है।

Mr. Chairman : He may continue his speech tomorrow.

आधे घंटे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION

विभिन्न संगठनों के साथ सी० आई० ए० के सम्बन्ध तथा एक धमार्थ सोसाइटी द्वारा विदेशों से धनराशि प्राप्त करना

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : बिहार में अव्यवस्था, आगजनी, लूट-मार और सभी गड़बड़ी के लिए मुख्य रूप से ए० बी० ए० आर० डी० उत्तरदायी है। अनकी गतिविधियों में विधान सभा और लोक सभा को भंग करने की मांग और विधान सभा सदस्यों से बलपूर्वक त्यागपत्र दिलाना शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमेरिका और पश्चिम जर्मनी से रुपया प्राप्त किया है। परेशानी तो इस बात की है कि अब तक गृह मन्त्रालय ने कुछ नहीं किया है। यह वित्त मन्त्रालय का आयकर विभाग था जिसने इस सम्बन्ध में जांच की क्योंकि इस संस्था को आयकर से छूट मिली हुई थी।

जहां तक भारतीय युवक संगठन का सम्बन्ध है, श्री मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे और इस सभा में उन्होंने बताया था कि उन्हें नहीं मालूम था कि इस संस्था का सी० आई० ए० से वित्त पोषण होता है और इसका पता लगते ही उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया ।

सी० आई० ए० से पैसा पाने वाली एक और संस्था कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीड्म के श्री जयप्रकाश नारायण एक पदाधिकारी थे। श्री जयप्रकाश नारायण को 1973 में ए० वी० ए० आर० डी० का अध्यक्ष चुना गया और 1973 में ही गुजरात में गड़बड़ी शुरू हुई। 1974 में बिहार में गड़बड़ी हुई अमरीकी सीनेट समिति का कहना है कि 1975 तक काम चलता रहा। कुछ मामलों में राष्ट्रपति जानसन के आदेशों का उल्लंघन करके भी सी० आई० ए० ने अपनी कार्रवाई जारी रखी।

मन्त्री महोदय ने बताया है कि सरकार द्वारा ए० वी० ए० आर० डी० को दिए जाने वाले धन का भुगतान रोके रखा गया। मन्त्री महोदय ने यह माना है कि धन को जिस काम के लिए वह दिया गया था, उसके अलावा अन्य कामों पर खर्च किया गया। परन्तु कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया।

मन्त्री महोदय हमें यह बताएं कि विशेषकर आन्तरिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी गृह मन्त्रालय इस सम्बन्ध में क्या करता रहा। क्या मन्त्रालय ने केन्द्रीय जांच व्यूरो की मार्फत अपनी ओर से इस तथ्य का पता लगाने का प्रयत्न किया कि इस समय इससे सम्बन्धित सभी व्यक्ति इससे बाहर हो गये हैं तथा उन्होंने क्या काम किया? c

हम सी० आई० ए० का गतिविधियों से परिचित हैं। कुछ नेताओं की हत्या की गई, बंगाल, बंगलादेश और चिली और अन्य कुछ देशों में जो हुआ हमने देखा है। हमारी प्रधान मन्त्री रात दिन देश को जागरूक रहने की चेतावनी देती आई हैं ऐसी परिस्थितियों में इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय की ढील बहुत ही गम्भीर है। इस प्रश्न में उल्लिखित संगठनों के सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय कौन से विशेष कदम उठाने जा रहा है?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : श्रीमन्, जयपुर के क्लार्क होटल में 5 और 6 दिसम्बर, 1975 को अमरीकी सुचना सेवा के एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों के जाने-माने शिक्षाविदों ने भाग लिया था। शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों के एक संयुक्त सचिव तथा राजस्थान के राज्यपाल के सचिव भी इस गोष्ठी में उपस्थित थे। राजस्थान विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अमरीकी सूचना सेवा ने इस गोष्ठी का आयोजन करने के लिए न तो राज्य सरकार से और न ही राजस्थान विश्वविद्यालय से और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इजाजत ली।

मुख्य मंत्री ने कहा है कि अमरीकी सूचना सेवा सी० आई० ए० की गतिविधियां चला रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है?

सी० आई० ए० की इसी प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : अमेरिका की सी० आई० ए० के बारे में जो भी सूचना हमें मिली है वह या तो उस देश के स्वतंत्र प्रेस के माध्यम से मिली है अथवा वहां की सेनेट में हुई कार्यवाही से। माननीय मंत्री जी हमें यह बतलायें कि उनके पास जो साधन मौजूद हैं क्या उनके जरिये उन्हें कोई एक भी मामला पकड़ में आया है।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): Natorious activities of C I A are well known. The functioning of C I A was also discussed in a committee Report of U.S. Senate. The excerpts of the Report has been published in today's Hindustan Times which says; "The Committee said, the agency used academic institutions, journalists and religious organisations in the U.S.A. and abroad as part of its far flung espionage work. Keeping in view the above statement, may I know whether Government have kept a watch on Institutions like Anand Marg, Acharaya Rajnish sect, Bal Yogeshwar seat which are involved in anti national activities in the garb of political institutions? May I know whether enquiry has been instituted against such institutions; and if so' what are the results thereof? It is high time that Parliamentary Committee should be formed to go into the working of such institutions.

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) सबसे पहले तो मैं सरकार का ध्यान 3 अप्रैल के साप्ताहिक पत्र 'क्लेरिटी' में छपे समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। पत्र का मुख्य शीर्षक है--"सी० आई० ए० के केन्द्रों के विरुद्ध संजय गांधी का धर्मयुद्ध"। इस पत्र में आगे कहा गया है कि युवा कांग्रेस नेता श्री संजय गांधी ने सी० आई० ए० की भारतीय एजेन्सियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रकाश में लाने की पहल की है। श्री शशि भूषण ने पत्र के संवाददाता को बताया कि श्री संजय गांधी के कहने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ग्रामीण विकास स्वैच्छिक एजेन्सी, विश्व युवा संघ आदि संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की है। यह बात कहां तक सच है?

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 'एमेन्सटी इन्टरनेशनल' के सचिव ग्रामीण विकास स्वैच्छिक एजेन्सी के भी सदस्य हैं। इस पत्र में कहा गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने दक्षिणपंथियों के घरों पर छापे मारे हैं जिससे कई रहस्य खुलेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ये रहस्य कब प्रगट किए जाएंगे।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि सी० आई० ए० या अन्य विदेशी संगठन हमारे राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरकारों का तख्ता पलटने में सी० आई० ए० बहुत सक्रिय है।

अब मैं सदन का ध्यान विश्वविद्यालय सेवा की ओर दिलाना चाहता हूं। इसका मुख्यालय वर्ष 1950 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। यह शिक्षकों-छात्रों तथा प्रशासकों की स्वयंसेवी संस्था है। लेकिन हमें ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे यह सिद्ध हो कि इस संस्था को सी० आई० ए० से वित्तीय सहायता मिलती है। फिर भी हम ऐसे संगठनों पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

जहां तक विश्व युवा संघ नामक संस्था का सम्बन्ध है, इसकी स्थापना अप्रैल, 1955 में की गई थी। इसकी मुख्य गतिविधि विश्व युवक केन्द्र का संचालन है जो स्वतन्त्र रूप से चल रहा है। हमें इस संस्था की किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि अथवा तोड़फोड़ की कार्यवाही की खबर नहीं मिली है। फिर भी मैं यह नहीं कहना चाहता कि इन संगठनों को सी० आई० ए० द्वारा वित्तीय सहायता देने की कोई गुंजाईश नहीं है।

सभापति महोदय : तब इनकी आय का क्या साधन है?

श्री एफ० एच० मोहसिन : जहां तक हमें प्राप्त सूचना का सम्बन्ध है, इस संस्था की आय का मुख्य साधन सदस्य संस्थाओं द्वारा एकत्र सदस्यता शुल्क है। 'इण्डियन असेम्बली आफ यूथ' को यूवा छात्र कल्याण फाउन्डेशन के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय से भी 6 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है और

चाणक्यपुरी में कार्यालय भवन बनाने के लिए रियायती दरों पर जमीन भी मिली है। ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे यह सिद्ध हो कि इस संस्था को सी० आई० ए० से सहायता मिलती हो। सरकार केवल अखबार की खबरों पर ही निर्भर नहीं रह सकती। हमारे मित्रों को यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि सरकार इस मामले में सोयी हुई है। हम इन खबरों पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। मैं केवल अमरीकी प्रेस को आधार बनाकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता।

जहां तक ग्रामीण विकास स्वैच्छिक संगठन का सम्बन्ध है, यह सच है कि इसके अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नारायण हैं और उपाध्यक्ष श्री राधाकृष्णन हैं। इस संगठन के वही-खाते जब्त कर लिए गए हैं तथा आय कर विभाग इसकी जांच कर रहा है। जांच के बाद ही यह पता चल सकेगा कि इस संस्था ने कितना विदेशी धन प्राप्त किया है और इसका किस प्रकार उपयोग किया गया है। ऐसा भी आरोप है कि इस संस्था ने राशि का दुर्विनियोजन किया है तथा भारत में दंगे आदि कराने के लिए विदेशी धन लिया है।

माननीय सदस्यों को पता होगा कि हमने हाल में विदेशी अंशदान विनियमन विधेयक पास किया है जिससे सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे संगठनों के लेखों की जांच-पड़ताल कर सकती है। विदेशी पैसा कई उद्देश्यों से भारत में आता है। धर्मार्थ तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए आने वाले धन पर हम रोक नहीं लगाना चाहते। विधेयक अभी कानून नहीं बन पाया है क्योंकि नियम बनाए जा रहे हैं और शीघ्र ही इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा।

विदेशी एजेंसियों के खतरे से हम पूरी तरह अवगत हैं और सरकार देश के हित को बनाए रखने के लिए कार्य कर रही है और करती रहेगी। जहां तक संगठन के लेखों की आय-कर विभाग द्वारा जांच का सम्बन्ध है, यदि आवश्यक हुआ तो गृह मंत्रालय भी कार्यवाही करेगा।

इसके बाद लोक-सभा गुरुवार, 29 अप्रैल, 1976/9 वैशाख, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 29th April, 1976/Vaisakha 9, 1898 (Saka)

———

MGIPRRND—Sec-VIII—7LSS/76 6-9-76—200